खण्ड-132, अंक-4
गुरूवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1876
(25 मार्च, 1954 ई0)

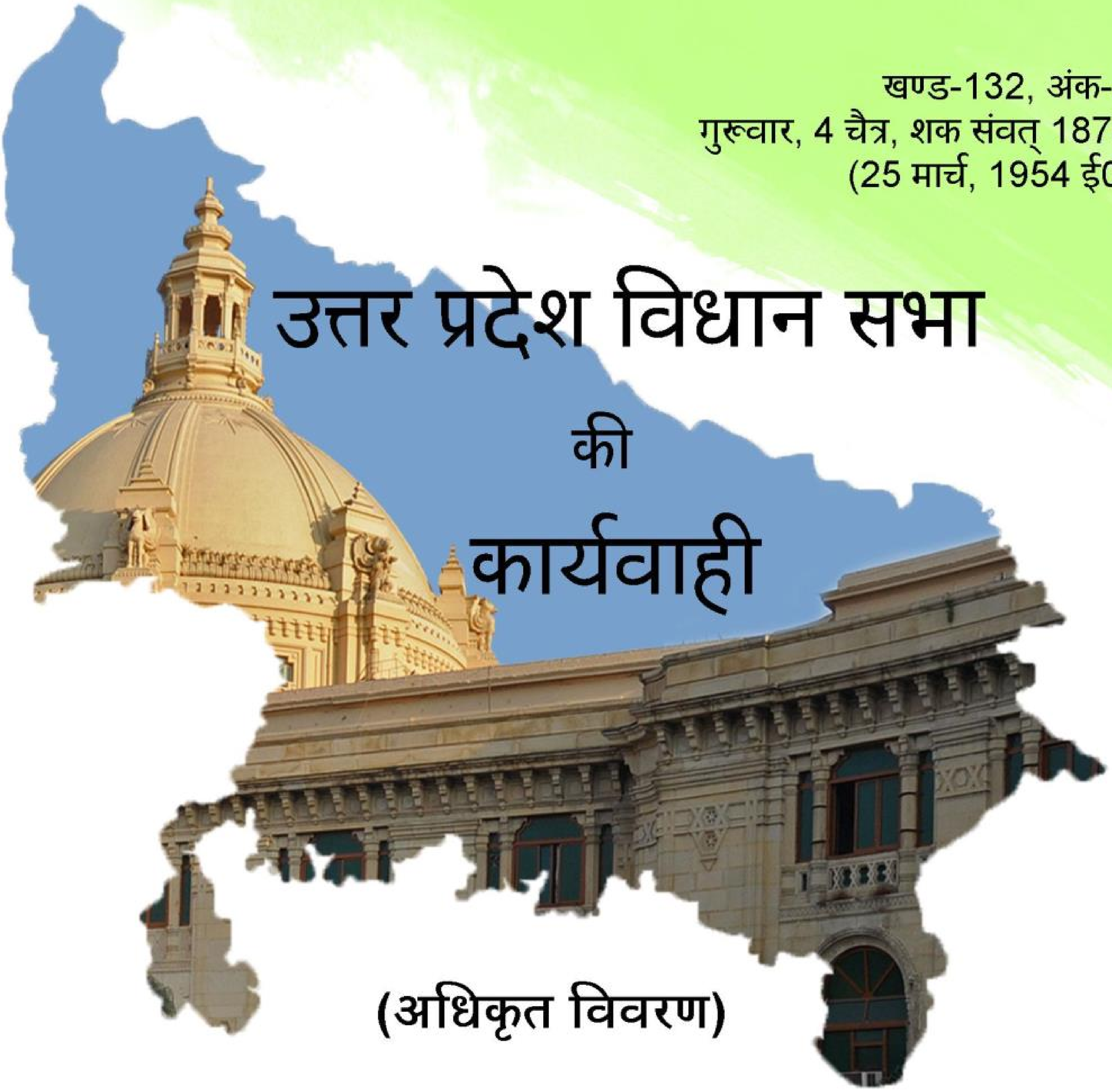

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 132 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कामताप्रसाद, विद्यार्थी श्री
काली चरन टंडन, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री

बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह ,श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर , श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जिला गाजीपुर के श्री दलभंगार दुबे पर सांघातिक आक्रमण के संबंध म कार्यवाही

*१—श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के श्री दलभंगार दुबे को सांघातिक चोट पहुंचाये जाने के संबंध में जो स्मृति-पत्र गाजीपुर के विधान सभा के निम्नलिखित छः सदस्यों ने सर्वश्री शिवपूजन राय, जमुना सिंह, भोला सिंह, कमलासिंह, बेवराम और श्री विश्वनाथ सिंह गौतम ने गत अगस्त के प्रथम सप्ताह में गृह मंत्री को दिया उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मामले की पूरी तौर से छानबीन की गई। जांच अब समाप्त हो गई है। सबूत न मिलने की वजह से पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट (final report) लगा दी।

श्री भोला सिंह यादव—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि किन अधिकारियों से यह जांच कराई गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डी० वाई० एस० पी० आफताब हुसैन द्वारा।

श्री भोला सिंह यादव—क्या गवर्नमेंट कृपा करके बतायेगी कि किन के ऊपर यह अभियोग लगाया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभियोग का सवाल तो पैदा नहीं होता लेकिन श्री दलभंगार दुबे ने जो बयान किया था उसमें उन्होंने ३ सब-इंसपेक्टर्स का नाम लिया था।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतावेंगे कि क्या इस दलश्रंगार दुबे की घटना पर कोई फर्स्ट इनफारमेशन रिपोर्ट की गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, शतानन्द श्रोत्रीय ने की थी।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसमें किन लोगों को अभियुक्त ठहराया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किसी को भी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जांच कितने दिन तक चली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो नहीं बतला सकता कि कितने दिन तक चली लेकिन यह कह सकता हूं कि कई महीनों तक सिलसिला चलता रहा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि श्री दलश्रुंगार दुबे के कितनी सांघातिक चोटें लगी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं नहीं जानता कि सांघातिक चोट का क्या अर्थ होता है लेकिन चोट काफी लगी थी इतना मैं जानता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस मामले की जांच के सिलसिले में किसी भी स्टेज पर कुछ आदमी गिरफ्तार किये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गिरफ्तार कोई नहीं किया गया।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन्होंने इस मामले की जांच की उनके विरुद्ध भी आरोप था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)---क्या सरकार बतावेगी कि यह प्रसिद्ध पुराने कांग्रेसी कार्यकर्त्ता अब भी जख्मी पड़े हैं और क्या सरकार कोई जुडीशियल इन्क्वायरी इस संबंध में कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, किसी समय में वह कांग्रेसी थे लेकिन आजकल वह प्रजासमाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं लेकिन जुडीशियल इन्क्वायरी का प्रश्न उस समय तक नहीं होता जब तक कोई उसका आधार न हो। फर्स्ट इनफारमेशन रिपोर्ट पर श्री राजबंशी राय, सिद्धेश्वर प्रसाद और रामेश्वर सिंह तीनों ने इन्कार कर दिया और उन में से किसी ने नहीं पहचाना तो फिर इन्क्वायरी किस की हो ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या मंत्री बतावेंगे कि वहां के स्थानीय एम० एल० एज० ने कोई शिकायत भेजी थी और वह शिकायत क्या थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस का इशारा तो सवाल ही में है लेकिन मैं इतना बतला दूं कि वहां के एम० एल० एज० ने लिखा था वहां के एम० एल० सी० ने उस के विरुद्ध बात लिखी थी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस संबंध में कोई इस्तगासा दायर किया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मुझे मालूम है, नहीं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--- क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस आघातिक चोट का जिक्र है वह लाठी की थी या किसी और हथियार की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह लाठी की थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब बार-बार इस विधान सभा में उन का ध्यान इस तरफ दिलाया गया कि वहां के एस० पी० भी इस में इन्वाल्व्ड हैं तो फिर जांच इस तरह से कराना क्यों उचित समझा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---महज किसी शख्स के ऐसा कहने से कि फलां एस० पी० पर शुबहा है, वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन बदला नहीं जा सकता जब तक उस का काफी आधार न हो।

श्री भोला सिंह यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिद्धेश्वर प्रसाद जी ने गवाही के सिलसिले में क्या जवाब दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सिद्धेश्वर प्रसाद जी ने बयान देने से इन्कार किया। मेरी खुद उनसे बातचीत हुई थी और क्योंकि वह खुद सदन के मेम्बर रह चुके हैं मैंने उनसे कहा कि और लोगों को छोड़ दीजिये मैं आपकी गवाही पर ही विश्वास कर लूंगा आप बता दीजिये कि कौन-कौन लोग थे। उन्होंने कहा कि मैं पहचानता नहीं हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि जब मैं पहचानता नहीं हूं तो मैं कैसे बयान दे दूं ?

श्री गेंदासिंह---क्या सिद्धेश्वर प्रसाद जी ने यह भी कहा था कि जब तक मौजूदा एस० पी० साहब हैं तब तक बयान देना खतरे से खाली नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खतरे से खाली की बात नहीं कही थी लेकिन उनका यह ख्याल कि जितने बड़े-बड़े अफसर उस जिले के हैं वे सारे के सारे बदल दिये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक हुई सरकारी जांच के अनुसार वास्तविक अपराधी कौन पाये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर कोई पाया गया होता तो उनपर मुकदमा चलाया गया होता।

होली के अवसर पर रेलगाड़ियों पर पत्थरों और कीचड़ की वर्षा

*२---श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)---क्या गृह मंत्री को विदित है कि होली के अवसर पर अधिकांश रेल गाड़ियों पर विशेषतया कानपुर स्टेशन के पास सारी ट्रेन पर पत्थरों और कीचड़ की वर्षा की जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। कई गाड़ियों पर ऐसा किया जाता है।

*३---श्री रामसहाय शर्मा---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस संबंध में सरकार स्टेशनों पर फैली हुई इस गड़बड़ी को रोकने तथा मुसाफिरों के कष्टों को बचाने के हेतु केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके कोई उपाय करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री रामसहाय शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि जो शिक्षित वर्ग रेलगाड़ी में सफर करते हैं उनको पत्थर फेंके जाने के कारण बहुत असंतोष है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। शिक्षित वर्ग में तो है ही लेकिन अशिक्षित लोग भी जो रेल पर चलते हैं उनको भी पत्थर बुरा लगता है।

श्री राम सहाय शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि गाड़ियों में पत्थर फेंकने से आदमी घायल हो जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किसी आदमी के घायल होने की सूचना तो कम आयी है लेकिन रेल के डिब्बे जरूर घायल होते हैं, इसकी सूचना मिली है।

श्री रामसहाय शर्मा---क्या सरकार रेलवे लाइन के किनारे बसने वाले ग्राम सभाओं के सभापतियों को यह रेलवे पर पत्थर फेंकने को रोकने के लिये आदेश देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---मैं यह प्रश्न इसलिये कर रहा हूं कि मैं खुद बच गया हूं नहीं तो पत्थर मेरे सिर पर पड़ते। क्या मंत्री जी को विदित है कि इन पत्थर के फेंकने के कारण जो लोग रेलों में सफर करते हैं उनमें से कितने जख्मी हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री देवदत्त शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों को इस पत्थर के फेंकने को रोकने के लिये कोई निर्देश भेज रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का जिलाधिकारियों को रोकने का मतलब यह होगा कि जिलाधिकारियों को पत्थर फेंकने से रोका जाय। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कोई जिलाधिकारी तो पत्थर फेंकता नहीं और आदेश देने का मतलब है कि हर जगह लाइन के किनारे पुलिस खड़ी की जाय और सभी माननीय सदस्य मानेंगे कि त्योहारों को पुलिस के घेरे में मनवाना मुनासिब बात नहीं है। यह चीज तो समाज में सुन्दर भावनाओं के फैलाने से ही ठीक हो सकती है लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि और सालों की अपेक्षा इस साल यह चीज कम हुई।

गो सदनों में पशु प्रवेश नियम

*४---श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या उत्तर प्रदेश में गो सदन (Cattle Concentration Camps) स्थापित हुए हैं ? उनमें पशुओं के प्रवेश की क्या शरतें हैं और कितने पशु अभी तक उसमें प्रविष्ट हुए हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---जी हां। दो राजकीय गो सदन स्थापित किये गये हैं अभी तक इनमें पशुओं के प्रवेश करने की कोई विशेष शर्तें नहीं लगायी गयी हैं। इन दोनों गो सदनों में फरवरी, सन् १९५४ तक पशुओं की संख्या ४७८ थी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन गो सदनों में पशु ले जाने की भी कोई व्यवस्था है ?

श्री चरण सिंह---इसके लिये विभाग की तरफ से कुछ ट्रक हैं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार जुरैया, तहसील घाटमपुर की जंगली गायों को पकड़वा कर इन गो सदनों में भेजवाने की कृपा करेगी ?

नोट---अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा ने पूछा।

श्री चरण सिंह—जंगली जानवरों को पकड़वाने की समस्या अभी हल नहीं हो पायी है अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकला है। गवर्नमेंट ने एक या दो जिले में इनको किस प्रकार से पकड़ा जाय, इस सिलसिले में तजुर्बा करने का विचार किया है तथा सदन ने उसके लिये कुछ रुपया भी स्वीकार किया है।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दो गोसदन सरकार ने खोले हैं, प्रत्येक गोसदन पर क्या खर्चा आता है?

श्री चरण सिंह—क्या खर्चा आता है, यह कहना तो मुश्किल है। अभी तो खुले हैं, पिछले साल बिल्डिंग तैयार हुई है और एक गोसदन में ३२६ तथा दूसरे में १५२ जानवर हैं।

श्री इस्तफ़ा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों के लिये गोरखपुर के जंगल में कोई गोसदन बनाने का विचार है?

श्री चरण सिंह—जी पता लगा रहे हैं कि गोरखपुर में कोई ऐसी जमीन मिल सकती है या नहीं मिल सकती।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन किस्म के जंगली जानवरों को सरकार पकड़वाना चाहती है?

श्री अध्यक्ष—यह तो गोसदन का सवाल है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार ने और भी गोसदन खोलने का निश्चय किया है, यदि हां, तो कहां-कहां?

श्री चरण सिंह—कहां-कहां खोले जायेंगे और कितने खोले जायेंगे, यह तो अभी निश्चय नहीं किया गया है। जैसे यहां से फंड मिल जायगा वैसे ही हम चार पांच जगहें मालूम कर रहे हैं कि जमीनें कहां कहां मिल सकती हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट और ब्रांच लखनऊ (चीफ कोर्ट) के क्षेत्र का बटवारा

*५—**श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और ब्रांच लखनऊ (चीफ कोर्ट) का क्षेत्र इस प्रकार बांटा जाय कि जो जिले दोनों केन्द्रों के क्रमशः समीप हों उन्हीं जिलों को क्रमशः इलाहाबाद व लखनऊ का अपील क्षेत्र घोषित किया जाय? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कमेटी बनाने का विचार रखती है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां, मगर अभी किसी कमेटी के बनाने के सवाल पर विचार नहीं हो रहा है।

श्री शिवनाथ काटजू—मेरा प्रश्न यह है कि अब जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की इमारत बढ़ गई है तो क्या सरकार लखनऊ बेंच को खत्म करने पर विचार करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—चूंकि लखनऊ बेंच की इमारत पर भी १० लाख रुपया खर्च हो चुका है लिहाजा ऐसा कोई ख्याल नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार के पास बार एसोशियेशन के प्रेसीडेंट का मेमोरेंडम और जनता की ओर से भी शिकायतें आई हैं कि यहां लखनऊ के समीप जो जिलें हैं उनकी सुनवाई लखनऊ में ही हुआ करे?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इस किस्म के रिप्रेजेन्टेशन्स कई जिलों से आये हैं।

श्री नेकराम शर्मा—उन रिप्रेजेन्टेशन्स पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने तो अर्ज किया कि मामला विचाराधीन है ।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो जवाब हां में दिया गया है वह विचार कितने समय तक कार्य रूप में परिणित हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये मैं कोई मियाद नहीं मुअइयन कर सकता ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह बात सही है कि लखनऊ में हाई कोर्ट की एक बेंच मेंटेन करने से हाई कोर्ट के ऊपर ज्यादा खर्चा होता है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा खर्चा तो ज्यादा होता ही होगा क्योंकि जजेज को यहां बैठने के लिये इलाहाबाद से आना पड़ता है लेकिन कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है ।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि लखनऊ का जुरिस्डिक्शन बढ़ाने से पश्चिमी जिले वालों की अपीलों का यहां पर फैसला होने पर वहां के लोगों को अधिक सुविधा होगी ?

श्री सैयद अली जहीर—एक माने में सहूलियत तो जरूर होगी लेकिन अभी कुछ कानूनी मुश्किलें हैं जिनसे अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)—क्या मुअज्जिज वजीर मेहरबानी करके बतायेंगे कि सूबे के मुख्तलिफ जिलों से यह मुसलसल ख्वाहिश हुई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का दायरा बढ़ा दिया जाय और लखनऊ बेंच का दायरा कम कर दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जो चीफ कोर्ट लखनऊ और हाई कोर्ट इलाहाबाद, को अमलगमेट करने का समझौता हुआ था तो उसमें एक शर्त यह थी कि लखनऊ में हाई कोर्ट की एक बेंच लगातार रहेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं उस वक्त यहां था तो नहीं, लेकिन जहां तक मेरा खयाल है कोई इस किस्म की बात जरूर हुई थी ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार लखनऊ में बेंच रखने के प्रश्न पर मत गणना कराने को तैयार है ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसा इरादा नहीं है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट को पूरे सूबे की बहुत बड़ी अकसरियत की इस राय का इल्म है कि इलाहाबाद में ही हाई कोर्ट रखा जाय और लखनऊ को खत्म कर दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—हाई कोर्ट तो इलाहाबाद का है ही और उसी में लखनऊ भी शामिल है, इसलिये खत्म करने का सवाल नहीं उठता ।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—क्या गवर्नमेंट को इल्म है कि जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ चीफ कोर्ट का अमलगमेशन हुआ तब से केसेज बहुत ज्यादा पेंडिंग हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में मुकदमे जो अमलगमेशन के पहले थे वही अब भी पेंडिंग हैं और जिस तरह से फैसला पहले हो रहा था उसी तरह से अब भी हो रहा है ।

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश शुगर कंट्रोल बोर्ड तथा गन्ने का मूल्य

*१—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५३-५४ के सीजन में चीनी मिलों में पेरे जाने वाले गन्ना की कीमत के संबंध में कोई सलाह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या ?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—जी हां, जो मत प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिया है वह गोपनीय है और उसकी सूचना देना सार्वजनिक हित में उचित नहीं है।

*२—श्री गेंदा सिंह—क्या उत्तर प्रदेश शुगर कंट्रोल बोर्ड द्वारा गन्ना की कीमत पर कोई निर्णय हुआ ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—कंट्रोल बोर्ड की गत बैठक में गन्ने के मूल्य के विषय पर विचार विनिमय हुआ। किन्तु इस प्रश्न पर बोर्ड को कोई निर्णय नहीं करना था और न उसने किया।

*३—श्री गेंदा सिंह—उत्तर प्रदेश शुगर कंट्रोल बोर्ड कब बना और उसमें कौन-कौन सदस्य किस हैसियत से और कब से हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—वर्तमान शुगर कंट्रोल बोर्ड १ जुलाई, १९५२ को बना और उपरोक्त तारीख से उसमें जो जो सदस्य जिस हैसियत से हैं उसका विवरण इस प्रकार है:—

१—उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश	पदेन सभापति।
२—विकास मंत्री, बिहार।	
३—श्री डी० आर० नारंग, २ माल ऐवेन्यू, लखनऊ।	इंडियन शुगर मिल्स एसोशियेशन द्वारा नामांकित फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि।
४—श्री के०के० बिडला, ८ रायल एक्सचेन्ज प्लेस, कलकत्ता।	
५—श्री आर० एल० नोपानी, १७८, हरीसन रोड कलकत्ता।	
६—श्री चरत राम, २०/२२, कर्जन रोड, नई दिल्ली।	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामांकित फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि।
७—श्री आर० पी० नेवटिया, २, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।	
८—श्री अलताफ हुसैन, शेखपुर, गोरखपुर	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामांकित गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि।
९—श्री हर सहाय गुप्ता, बिलारी, मुरादाबाद	
१०—श्री वीरेंद्र वर्मा, मुजफ्फरनगर	
११—श्री गंगा शंकर पांडे, मार्फत सर्वश्री पांडे ब्रदर्स, ५२/५०, शक्कर पट्टी, कानपुर।	कानपुर शुगर मर्चेंट्स ऐशोसिएशन द्वारा नामांकित।
१२—चौधरी कालिका प्रसाद राय, चौधरी टोला डुमराओं (शाहाबाद)।	बिहार सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि।
१३—श्री नन्द किशोर नारायण डुमरनरेन्द्र, डाकखाना भोर (सारन)।	

१४—श्री काशीनाथ पांडे, जेनरल सेक्रेट्री, इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्क्स एसोसिएशन, बारूदखाना, गोलागंज, लखनऊ	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामांकित श्रमिकों के प्रतिनिधि।
१५—श्री सत्यपाल मिश्र, आर्गनाइजिंग सेक्रेट्री, आई० एन० टी० यू० सी०, पटना।	बिहार सरकार द्वारा नामांकित श्रमिकों के प्रतिनिधि।
१६—सचिव, विकास विभाग, बिहार	
१७—सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश	पदेन मंत्री।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि भारतीय सरकार ने अभी हाल में उत्तर प्रदेशीय सरकार की राय से पश्चिमी जिलों में चार आने गन्ने की कीमत और देने का कोई आदेश दिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—हां, सही है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी कागज के गोपनीय मानने के कोई नियम हैं ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, पब्लिक इंट्रेस्ट में बतलाना ठीक नहीं है नहीं तो बतला दिया जाता।

श्री गेंदा सिंह—पिछले वर्ष में जब गन्ने की कीमत मुकर्रर हुई थी तो उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सलाह केन्द्रीय सरकार को दी थी तो क्या वह भी गोपनीय रखी गयी थी ?

श्री हुकुम सिंह—जो गोपनीय है वह पारसाल भी गोपनीय थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चार आने ज्यादा दाम गन्ने के यू० पी० में पश्चिमी जिलों में किन-किन मिलों ने दिये हैं ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सच है कि यू० पी० सरकार की सलाह को केन्द्रीय सरकार ने बिलकुल नहीं माना था ?

श्री हुकुम सिंह—यह गोपनीय है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है उत्तर प्रदेश के चीनी मिल अधिकारियों ने भी १९५३-५४ में गन्ने के भाव के लिये अपने सुझाव भी दिये थे ?

श्री हुकुम सिंह—यह भी गोपनीय मालूम होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब पश्चिमी जिलों के लिये चार आने मन गन्ना के दाम ज्यादा देने के लिये प्रादेशिक सरकार ने सलाह दी है तो पूर्वी जिलों के लिये क्यों नहीं दी ?

श्री हुकुम सिंह—पूर्वी जिलों में खत्म हो गई थी तब यह बात तय हुई थी।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि शुगर कंट्रोल बोर्ड का ऐजेंडा जो सदस्यों के पास भेजा जाता है उसमें विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने के लिये लिखा जाता है ?

श्री हुकुम सिंह—वह एजेंडा माननीय प्रश्नकर्त्ता के पास गया है। वह देख लें, जो कुछ उसमें लिखा है वह ठीक है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शुगर कंट्रोल बोर्ड के क्या फंकशन्स हैं ?

श्री हुकुम सिंह--गन्ने के भाव वगैरा के सिलसिले में परामर्श और सुझाव देना।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शुगर कंट्रोल बोर्ड की नियुक्ति कौन करता है और किस प्रकार की जाती है ?

श्री हुकुम सिंह---जो पुराना ऐक्ट है उसकी धारा (८) की रू से होती है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों में गोरखपुर, बस्ती आदि जहां शुगर मिल्स अधिक हैं, वहां के कोई एम० एल० ए० इस बोर्ड के सदस्य क्यों नहीं रखे गये ?

श्री हुकुम सिंह---आइन्दा अहतियात रखेंगे।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस सदस्यों की सूची को बढ़ाने की कोशिश होगी ?

श्री हुकुम सिंह---जरूरत देखेंगे तो बढ़ा देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो चार आने मन गन्ने पर बढ़ाने की बात पश्चिमी जिलों के लिये तय की गयी है वह उस मुनाफे में से मुजरा ले लिया जायगा जो बचत का हिस्सा होगा ?

श्री हुकुम सिंह---यह डिटेल तो बताना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। ऐडजस्ट किया जायगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चार आने मन की जो वृद्धि हुई है वह किस तिथि से किसानों को दी जायगी ?

श्री हुकुम सिंह---जिस तिथि में गवर्नमेंट आफ इंडिया का आर्डर हुआ उसी तारीख में।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कोई तारीख अभी निश्चित नहीं की है ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये तो नोटिस की जरूरत है। देख कर बता दूंगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो चार आने मन बढ़ोत्तरी पश्चिमी जिले वालों के साथ हुई है सरकार की तरफ से, तो क्या पूर्वी जिले वालों को भी देने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)---इसके बारे में मैं समझता हूं कोई पोजीशन बहुत उलझी हुई नहीं है। ख्याल यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने और यू० पी० गवर्नमेंट ने दोनों ने यह माना है कि जो एक्सेस प्राफिट शकर के दाम जितने कि पहले समझे गये हों उतने से ज्यादा पर बिकने से होते हैं, उस मुनाफे का हिस्सा काश्तकारों को मिले। उस सिलसिले में जो पूर्वी जिलों की मिलें थीं उनमें तो करीब-करीब सब गन्ना पिल चुका था जो पश्चिमी जिलों की मिलें थीं उनका गन्ना अब भी कहीं पिलता है और अब तक पिलता रहा उसके बारे में अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह ऐलान कर दिया है, जिनको कतई इस मामले में आखरी अख्तियार है कि चार आने फी मन जो मिलें इस वक्त चल रही हैं उनमें ज्यादा कीमत दी जाय, जोकि मुनाफे की शरह पर फिर आइन्दा फैसला हो उसमें मुजरा किया जायगा। तो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का उसमें जो हिस्सा मिलता है वह पूरा मिलेगा और इनको जो मिलता है उस में से चार आने कट जायगा।

श्री दीनदयालु शर्मा---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह हिस्सा मुनाफे का मिलेगा, उसकी कोई तारीख नियत है कि कब उसका हिसाब लगाया जायगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---उसका ख्याल यह है कि सारे सीजन भर का, शुरू से जितना भी हुआ हो उसके ऊपर वह लागू होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना मिलें अपना हिसाब-किताब रखें, इसकी देख-रेख के लिये और जांच के लिये सरकार ने अपनी तरफ से कोई इन्तजाम किया है ?

श्री हुकुम सिंह---अभी तो नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मुनाफे की दरें, जो किसान को हिस्सा दिया जायगा, यह कब तय होगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---शायद अब तक तय हो जाता, अगर बीच में यहां की आबोहवा ऐसी न हो जाती जिसमें इसे तय करना मुश्किल होता।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि अब वह आबोहवा ऐसी हो गयी है कि वह मामला तय हो जाय ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---मैं उम्मीद करता हूं कि गेंदा सिंह जी की मदद मिलती रहेगी। अगर नहीं हुई होगी तो और अच्छी हो जायगी।

पन्नी जी शुगर मिल्स गोकुलनगर, नैनीताल के बन्द होने का कारण

*४---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि पन्नी जी शुगर मिल्स, गोकुलनगर, नैनीताल इस सीजन में बन्द रही ? अगर हां, तो क्यों और सरकार ने इस सम्बन्ध म क्या कार्यवाही की ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां। १ मई, १९५३ को मिल के मालिकों ने इस आशय का नोटिस दिया था कि १९५१-५२ व १९५२-५३ सीजनों में मिल में खर्चा ज्यादा होने तथा लाभ न होने के कारण वे १९५३-५४ सीजन में मिल नहीं चलायेंगे। प्रदेशीय सरकार ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि कोई अधिकृत नियंत्रक इस मिल को चलाये परन्तु कानूनी कठिनाइयों के कारण यह सम्भव न हो सका।

*५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सरकार ने पन्नी जी शुगर मिल्स गोकुलनगर को गोकुलनगर, जिला नैनीताल से हटाकर अन्यत्र ले जाने की इजाजत दे दी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---यह विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है।

*६---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी "सेस" का व किसानों के गन्ने के मूल्य का कुल कितना रुपया अभी तक उक्त पन्नी जी शुगर मिल्स के ऊपर बकाया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---गन्ने के मूल्य के हेतु पन्नी जी शुगर मिल्स के ऊपर लगभग २२.४६ लाख रुपया बकाया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जो कानूनी कठिनाइयां पैदा हुई हैं, वह किस कानून की कौन सी धारा से सम्बन्ध रखती हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट एन्ड रेगुलेशन ऐक्ट, १९५१ से सम्बन्ध रखती है। कौन धारा है, उसके लिये आप इसे देख लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस फैक्टरी के सम्बन्ध में केन कोआपरेटिव फेडरेशन को अधिकृत नियंत्रक बनाया गया था ?

श्री हुकुम सिंह--वह टेम्पोरेरी सर्विसेज ऐक्ट के रूल से बनाया गया था। उसमें उनको बड़ी लिमिटेड पावर थी और वह काम चल नहीं सकता था। इस वजह से दिक्कत होती थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ के सीजन में इस मिल को चलाने के लिये सरकार क्या कानूनी और अन्य कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह--सरकार कोशिश करेगी कि सन् १९५४-५५ में मिल चले अगर चल सकती है।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो २२ लाख ४६ हजार रुपया सेस और गन्ने को कीमत का किसानों का बकाया उन्होंने बताया है, उसमें गन्ने का मूल्य किसानों का कितना है और उस मूल्य को सरकार कब तक दिलाने में सफल हो सकेगी ?

श्री हुकुम सिंह--अलग-अलग आंकड़े इस समय हमारे पास नहीं हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा--तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितना किसानों का दाम अभी तक शेष है, और वह कब तक अदा कर सकेगी ?

श्री हुकुम सिंह--अब उसमें केन कमिश्नर की डिग्री तो हो चुकी, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी कर दिया है। जब तक स्टे आर्डर का मामला तय नहीं हो जाता है, तब तक मजबूरी है। उसके तय हो जाने के बाद उसकी अदायगी की कोशिश की जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या इस गोकुल नगर मिल को हटा ले जाने के बारे में भारत सरकार ने यू० पी० सरकार से कोई राय मांगी है ? अगर हां, तो यू० पी० सरकार ने क्या राय दी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जहां तक इस पन्नी जी मिल का ताल्लुक है, इसके रवैये से कोई आदमी सन्तुष्ट नहीं मालूम होता। न किसान सन्तुष्ट हैं और न सरकार सन्तुष्ट है और बावजूद डिग्री हो जाने के रुपया वसूल नहीं हुआ। कई किस्म की ऐसी बातें हुई हैं जिस से कि सब का दिक्कतें बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर नारायण दत्त जी कोई ऐसी स्कीम निकालें, जिससे कि यह मिल चल सके और लोग इसको चलाना चाहें तो उसको समझा जा सकता है। मगर जहां तक मैं समझता हूं जो आजकल के प्रोपराइटर हैं उनके हाथ में अगर मिल रहे तो यह बहुत अच्छी तरह से चल नहीं सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि इस मिल को गोकुलनगर से बाहर ले जाने के बारे में क्या भारत सरकार ने यू० पी० सरकार से कोई राय ली है ? अगर ली है तो यू० पी० सरकार ने क्या राय दी है ?

श्री हुकुम सिंह--अगर हमारा सब बकाया अदा करदें तो जांय अगर जाना चाहते हों।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। किसानों के गन्ने का कितना मूल्य अभी तक शेष है एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरे यह जानना चाहता हूं कि क्या उस मूल्य पर जो कि किसानों का शेष है, उस पर सूद भी मिलेगा ?

श्री हुकुम सिंह---प्रश्न संख्या ६ के जवाब में २२ लाख ४६ हजार रुपया बकाया बताया गया है। अलग-अलग इस समय मुझे मालूम नहीं है। उसके लिये जब तक नोटिस नहीं मिल जाती, तब तक बताना मुश्किल है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह रुपया जो किसानों का इस मिल पर वाजिब है, वह कब तक उन किसानों को दिलवाया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह---मैंने कहा कि हाई कोर्ट के स्टे आर्डर के बारे में कुछ आखिरी निर्णय हो जाय, उसके बाद हमारी डिग्री है, उसकी इजरा करके वसूल करने की कोशिश करेंगे।

*७-८---रामसुन्दर पांडेय ---[१३ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बस्ती जिले में बुनकरों की संख्या

*९---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला में बुनकरों (जुलाहों) की कुल संख्या कितनी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---सन् १९३५ ई० में की गयी पड़ताल के अनुसार बस्ती जिले में बुनकरों की संख्या ३५३९ है।

*१०---श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुनकरों की सहकारी समितियां जिले में कितनी हैं और कहां कहां हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---बस्ती जिले में ३१ सहकारी समितियां हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९१ पर।)

श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३५ के पश्चात् आज तक बुनकरों की गणना नहीं करायी गयी ?

श्री हुकुम सिंह ---जी हां। बात तो यही थी।

श्री राजाराम शर्मा---३५३९ बुनकरों में कितने बुनकर कोरी हैं और कितने जुलाहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इसकी तफसील देना बड़ा मुश्किल है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कन्ट्रोल के जमाने में जो तादाद थी, कार्ड के मुताल्लिक वह कहीं ज्यादा है जो इस वक्त बतायी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह---मेरी इत्तिला यह बात नहीं बताती।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह ३५४१ बुनकरों में कोरी भी जाति शामिल हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इसको बताना मुश्किल है। मुमकिन है कि कुछ शामिल हों।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तादाद बुनकरों की बतलायी गयी है, उसमें कालीन और कम्बल के बुनकर भी शरीक किये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इसमें तो शायद कपड़े के बुनने वाले हैं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिस वक्त सूत पर कन्ट्रोल था, उस वक्त जुलाहों की पड़ताल की गयी थी ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री महीलाल---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि भविष्य में बुनकरों की सहकारी समितियों को क्या-क्या सुविधायें देने का विचार है ?

श्री हुकुम सिंह---कुछ पूंजी देंगे, उनको नये नये औजार भी देंगे और उनका कपड़ा बिकवाने की भी व्यवस्था की जायगी।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार कृपा कर बस्ती जिले के बुनकरों की फिर से मर्दुमशुमारी कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह ---कोई जरूरत तो इस वक्त मालूम नहीं होती।

श्री राजाराम शर्मा---जो ३१ सोसाइटियां हैं, उनमें कितनी जिन्दा हैं और कितनी मर गयीं ?

श्री हुकुम सिंह---मरने जीने की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या गवर्नमेंट कृपा करके बतलायेगी कि यह जो बतलाया गया है कि ३१ कोआपरेटिव सोसाइटीज खत्म हो गयी हैं, उनको फिर से आर्गनाइज किया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह---जहां जरूरत होगी, वहां किया जायगा।

*११-१३---श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--- [२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४-१६---श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)--- [२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१८---श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९---श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)---[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०-२१---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२-२४---श्री रमेशचन्द्र शर्मा---[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५-२६---श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)---[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में शरणार्थियों के पुनर्वासन की योजना

*२७---श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में आये शरणार्थियों के पुनर्वासन के लिये कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--जी हां, उनके लिये मकान और दूकानें बनवान की योजना है।

*२८--श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री--यदि हां, तो उनके रहने के लिये कब तक मकान बनवाये जांयगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जिलाधीश से सलाह मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जायगी।

*२९--श्री राजाराम शर्मा--[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

केन सेस से आय

*३०--श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल केन सेस में सन् ५०-५१, ५१-५२, ५२-५३, ५३-५४ में कितना रुपया वसूल हुआ और किन किन मदों पर कैसे खर्च हुआ ?

श्री हुकुम सिंह--गत तीन वित्तीय वर्षों में केन सेस से निम्न प्रकार की आय हुई, जो रकम प्रदेश के सामान्य राजस्व में सम्मिलित कर दी गयी और कोई विशेष कार्य पर खर्च नहीं की गयी :

	रु०
१९५०-५१	२,१६,८६,७६९
१९५१-५२	३,२३,३६,५७९
१९५२-५३	३,१५,३७,२५३

वर्तमान वित्तीय वर्ष की सूचना देना इस समय सम्भव नहीं है।

*३१--श्री राजनारायण (अनुपस्थित)--इस समय केन सेस की कितनी रकम राजकोष में बाकी है ?

श्री हुकुम सिंह--यह प्रश्न नहीं उठता।

*३२--श्री राजनारायण (अनुपस्थित)--इसको आगे खर्च करने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री हुकुम सिंह--यह प्रश्न भी नहीं उठता।

*३३-३५--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६-३८--श्री झारखंडेराय--[८ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

भर्थना, जिला इटावा में शरणार्थियों की दूकानों पर व्यय

*३९--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के अन्तर्गत भर्थना कस्बा में जो १७ दुकानें शरणार्थियों के लिये बनायी गयी हैं, उनमें कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उद्वासित व्यक्तियों के वास्ते पक्की दुकानें निर्माण करने के लिये सरकार की आम स्वीकृति १४५० रुपये फी दुकान की है, जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित है। अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग से न तखमीने आये हैं, न ही दुकानों की वास्तविक लागत का ब्योरा आया है।

*४०--श्री मिहरबान सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन दुकानों के बनाने में जो सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, उसमें रेत और सिमेंट किस अनुपात से मिलाया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--दूकानों की चुनवाई और प्लास्टर में १:६ के अनुपात में सीमेंट और रेत का प्रयोग हुआ है, और लिन्टल तथा छत में १ : ३ का।

*४१--श्री मिहरबान सिंह--क्या यह सही है कि उन दूकानों की दीवारें सिर्फ एक ईंट की बनायी गयी हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि जिस वक्त ये दूकानें बन कर तैयार हुयी थीं, उसके बाद उन दुकानों के लिन्टल पहली बरसात में ही गिर गये ?

श्री हुकुम सिंह--मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन दूकानों की लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है ?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*४२--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--[१ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३--श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

मेरठ जिले में कुटीर उद्योग धन्धों के लिये सहायता

*४४--श्री रामजी लाल सहायक--क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में मेरठ जिले के कितने लोगों को लघु तथा कुटीर उद्योग-धन्धों को चालू करने के लिये राजकीय सहायता दी गयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सन् १९५२-५३ में कुटीर उद्योग धन्धों को चालू करने के लिए मेरठ जिले के निम्नलिखित ६ व्यक्तियों को सहायता तथा ऋण दिये गये हैं :--

क्रमांक	नाम
१	श्री चन्द्रशेखर जैन, थापर नगर, मेरठ।
२	सर्वश्री कंवल स्पोर्टस्, २३, सूरज कुंड कालोनी, मेरठ।
३	सर्वश्री रफीक अहमद एन्ड सन्स, ११२ कोटला स्ट्रीट, मेरठ।
४	श्री लल्लाराम मानव, ७६, पुरवा महाबीर, मेरठ।
५	श्री दौलतराम, विक्टोरिया पार्क, स्पोर्टस् कालोनी, मेरठ।
६	श्रीमती सत्यवती शर्मा, अहाता बृन्दाबन, रेलवेरोड, गाजियाबाद, मेरठ।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि तालिका के प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कितनी सहायता दी गयी ?

श्री हुकुम सिंह---पहले व्यक्ति को ३ हजार रुपये, दूसरे को २ हजार रुपये, तीसरे को ३ हजार रुपये, चौथे को ७५० रुपये लोन और २५० रु० ग्रान्ट पांचवें को १,५०० रु० और छठे को ५०० रु०।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायता देने के क्या नियम और प्रणाली है ?

श्री हुकुम सिंह---जो रूल्स इस सम्बन्ध में हैं, उनकी तरफ मैं माननीय सदस्य की तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले के चमड़ा रंगने वालों ने कितने प्रार्थना पत्र दिये थे और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिए इस वक्त जवाब देना बड़ा मुश्किल है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुटीर उद्योग मेरठ में काम करने वाले वहां शहर खास में रहते हैं या देहात में भी हैं ?

श्री हुकुम सिंह---दोनों जगह रहते हैं।

श्री रामजी सहाय---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सहायता का कितना प्रतिशत सरकार वापस लेगी ?

श्री हुकुम सिंह---करजे का रुपया मैं सब वापस लूंगा।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या सरकार को कोई जानकारी है कि यह कुटीर उद्योग जिनके लिए सरकार की तरफ से सहायता दी गयी, वह मेरठ में चालू भी है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह---जी हां, चालू हैं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि सहायता के पश्चात् जो युटिलाइजेशन सरटिफिकेट दिया जाता है, वह कौन से अधिकारी देते हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इन्सपेक्टर देते हैं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन लोगों को यह सहायता दी गयी है वह खास मेरठ शहर के रहने वाले हैं।

श्री हुकुम सिंह---यह जबाव में बता दिया है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कौन से उद्योग-धन्धे हैं जिनके लिये सहायता दी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह---इसकी फेहरिस्त इस वक्त मेरे पास नहीं है।

राजनीतिक पीड़ितों को प्रमाण-पत्र देने का आधार

*४५---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैतिक पीड़ितों को प्रमाण-पत्र किसके द्वारा तथा किन-किन आधारों पर दिया जाता है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जब कभी पेंशन, शिक्षा, नौकरी आदि के बारे में पूछ-ताछ करने की जरूरत होती है तो जिलाधीश के द्वारा नियमों के अनुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है। प्रमाण-पत्र पीड़ितों या उनके अभिभावकों का ६ महीने या उससे अधिक सजा के आधार पर दिया जाता है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश के पास क्या कोई सूची रहती है, जिसके आधार पर वह प्रमाण-पत्र देते हैं या जेल के अधिकारियों से पूछ ताछ करते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--उनके पास रजिस्टर वगैरा रहते हैं उनको देख कर और तरह से भी मालूम कर के वह इत्तिला देते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या जिलाधीश जेल से भी पूछताछ करते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जहां से जरूरत पूछ-ताछ करने की मालूम होती होगी वहां से वह जरूर करते होंगे। आखिर उनको इत्तिला देनी होती है, जहां से भी उनको इत्मीनान होता होगा, वहां से वह जरूर मालूम करते होंगे।

श्री शिवनारायण--जिन पिछड़े हुए राजनैतिक पीड़ितों को पेन्शन नहीं मिलती है, और बाईचांस जिनका नाम छूट गया है, अगर वे प्रार्थना-पत्र अब दें, तो क्या सरकार उन पर विचार करेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--पिछड़े राजनैतिक पीड़ित कौन से हैं, यह तो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी राजनैतिक पीड़ित हैं, वे ५-६ साल से पेन्शनें पा रहे हैं। इसके लिए कई दफा मियाद मुकर्रर की जा चुकी है, लेकिन फिर भी किसी शख्स को खास जरूरत होगी, तो उसका लिहाज किया जायगा।

*४६--श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[८ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*४७--श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)--[१५ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

टांडा, जिला फैजाबाद के बुनकरों का पाकिस्तान जाना

*४८--श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)--क्या यह सही है कि जिला फैजाबाद के टांडा कस्बा के सहायता अथवा ऋण प्राप्त किये हुए बुनकरों में से कुछ पाकिस्तान चले गये ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी नहीं। जिला फैजाबाद के टांडा कस्बे में ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्तिगत बुनकर को सहायता तथा ऋण नहीं दिया गया। इस लिए सहायता प्राप्त किये हुए व्यक्तियों के पाकिस्तान चले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसुमेर--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कुछ माह पहले टांडा के कुछ एम० एल० एज० और कुछ आदमियों ने वहां के बुनकरों के लिये सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? उस पर क्या ऐक्शन हुआ ?

श्री हुकुम सिंह--टांडा की सेन्ट्रल वीवर्स सोसाइटी को ५ हजार का लोन दिया गया था।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को मालूम है कि टांडा के आसपास के बुनकरों की दशा खराब है ?

श्री हुकुम सिंह--खराब है लेकिन उनको मदद दे कर उसको ठीक करने का उद्योग किया जा रहा है।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या बुनकरों की बहुत सी संख्या बेकार हो गई है?

श्री हुकुम सिंह--बहुत कहना तो नामुमकिन है, कुछ जरूर बेकार हो गये हैं जिनको काम दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार कौन से ऐसे क़दम उठा रही है कि जो बुनकर सहायता प्राप्त कर चुके हैं वे पाकिस्तान न जाय?

श्री हुकुम सिंह --हम लोग तो सोसाईटीज को दे रहे हैं, व्यक्ति को नहीं। सोसाईटीज के सब लोग भाग नहीं सकते।

*४९-५०--श्री नारायण दत्त तिवारी--[२२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१-५२--श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--[५ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३७-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकारी नौकरियों के चुनाव में राजनीतिक पीड़ितों का सुरक्षित स्थान

*५३-श्री मथुराप्रसाद पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकारी नौकरियों का जो चुनाव होता है उसमें राजनैतिक पीड़ितों के लिये भी स्थान रिजर्व है? अगर हां, तो कितने फीसदी?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जी नहीं। संविधान के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए ही सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। पर राजनीतिक पीड़ितों के लिये इस सम्बन्ध में अन्य सुविधायें दी गई हैं। प्रश्न का दूसरा खंड नहीं उठता।

श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अन्य सुविधायें कौन-कौन सी हैं जो राजनैतिक पीड़ितों को दी गयी हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जो लोग जेल में रहे हैं या जिनके अभिभावक जेल में रहे हैं उनको उम्र में ४ साल तक की रिआयत दी जाती है। उनकी क्वालिफिकेशन्स भी औरों के मुकाबले में कुछ कम मान ली जाती हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन पूर्णतया अधिकृत है या सरकार को सलाह देने वाला कमीशन है?

श्री अध्यक्ष--यह कानूनी सवाल है। इसको माननीय सदस्य संविधान से जान सकते हैं।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षायें होती हैं वे प्रेक्टिकल और थ्योरिटिकल दोनों होती हैं?

श्री अध्यक्ष--यह पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पीड़ितों का सवाल है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अन्य सुविधाओं का जिक्र अभी हुआ है उन सुविधाओं का निर्देश पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया गया है?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जी हां।

सोमवार, २२ मार्च, १९५४ के श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी तथा श्री नेकराम शर्मा के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का परिवहन मंत्री द्वारा संशोधन*

श्री अध्यक्ष--माननीय यातायात मंत्री प्रश्नों के बारे में कुछ सूचना देना चाहते हैं, तो आप जवाब दे दें।

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--पिछले सोमवार को जो उत्तर मैंने दिया था उसमें थोड़ा सा भ्रम दो प्रश्नों के उत्तर में हो सकता है। मैंने श्री शम्भूनाथ जी के पूछने पर कहा था कि इसका ठीक विवरण इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन जिससे पैसा वसूल किया गया उनको छोड़ कर बाकी सभी अदालत में नहीं भेजे गये। इसके अलावा कुछ और विभागीय कार्यवाही भी हुई, ऐसा मैंने बाद में जा कर देखा तो मालूम हुआ।

इसी तरह से श्री नेकराम शर्मा ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। उसके उत्तर में मैंने कहा था कि जिसने सिर्फ नेगलिजेंस या लापरवाही की उन्हीं से सिर्फ रुपया वसूल किया गया लेकिन जहां नीयत खराब थी वहां केसेज चलाये गये अथवा विभागीय कार्यवाही की गई और उनको पृथक् किया गया और बहुत से ऐसे केस थे जिनमें केस चलाना आवश्यक नहीं समझा गया। जो सम्बन्धित सदस्य हैं मैं उनके पास पूरा स्टेटमेंट भेज दूंगा उसमें तफसील के साथ सब केसेज का ब्योरा रहेगा। अगर अध्यक्ष महोदय आप इजाजत दें तो उत्तर में संशोधन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--वह तो मैं कर दूंगा लेकिन जो प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य हैं उनके पास भी आप भेज दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या इस सम्बन्ध में अब अनुपूरक प्रश्न भेजे जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। यह तो उत्तर में दुरस्ती के लिये किया जा रहा है।

श्री गजेन्द्र सिंह की कारावास से मुक्ति तथा श्री होतीलालदास को न्यायालय द्वारा दण्ड तथा उनकी अपील की सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं सदन को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना श्री गजेन्द्र सिंह के बारे में है जो कि जिलाधीश इटावा की तरफ से आयी थी।

"मुझे यह निवेदन करना है कि श्री गजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, जो २३ फरवरी, १९५४ को अपराधी सिद्ध हुये थे और जिन्हें १५ दिन के साधारण कारावास का दंड दिया गया था, ९ मार्च, १९५४ को प्रातःकाल ८ बजे कारावास का दंड भोग चुकने के उपरान्त मुक्त कर दिये गये हैं।

यह सूचना मेरे पास उनके पास से आई है।

---

*२२ मार्च, १९५४ को कार्यवाही में संशोधन किये गए।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरी सूचना श्री होती लाल दास के बारे में है। उन को सजा होने के बारे में मैं पहले भी सूचना दे चुका हूं। श्री सूर्य प्रसाद, जुडीशियल आफिसर, अलीगंज, एटा ने ३० मार्च, १९५३ को श्री होती लाल दास, एम० एल० ए०, एटा, को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत १०० रुपये जुर्माना एवं अदालत के उठने तक कारावास का दंड तथा भारतीय दंड विधान की धारा ४२६ के अन्तर्गत १०० रुपये जुर्माने का दंड दिया था और वे तत्काल ही अन्तरिम जमानत पर मुक्त कर दिये गये थे। इसकी सूचना सदन में मैंने २ अप्रैल, १९५३ को दी थी। श्री होती लाल दास ने एटा के सेशन जज के न्यायालय में इसकी अपील की और उन्होंने अपील के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि भेज कर मुझ से प्रार्थना की है कि मैं उसकी सूचना सदन को दे दूं। तदनुसार मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि अपील में एटा के सेशन जज ने श्री सूर्य प्रसाद, प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट के ३० मार्च, १९५३, के निर्णय तथा आज्ञा को रद्द कर दिया। जिसके द्वारा श्री होती लाल दास को पूर्वोक्त दंड दिया गया था। श्री होती लाल दास भारतीय दंड विधान की धारा १८८ तथा ४२६ के अन्तर्गत दोषी नहीं पाये गये और वे तद्नुसार पूर्वोक्त चार्जों से मुक्त कर दिये गये और आज्ञा दी गयी कि उनके जुर्माने, यदि अदा किये जा चुके हों, तो वापस कर दिये जावें।

विशेषाधिकार समिति की तरफ से मेरे पास यह मांग आयी थी कि जो २ प्रश्न श्री गेंदा सिंह और श्री नारायण दत्त जी ने उठाये थे और जो विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किये गये थे, उनकी रिपोर्ट के लिये वह समय कुछ अधिक चाहते हैं। इसलिये मैं उसकी मियाद १५ अप्रैल, १९५४ तक बढ़ाता हूं। उस दिन तक वह अवश्य पेश कर दें।

सरकारी कार्य के लिये तारीख १ अप्रैल और २ अप्रैल निर्धारित की गई हैं। दो दिन के बारे में निश्चित हुआ था और तीसरे के लिये जो कल के एवज में होगा बाद में विचार होगा। तो यह २ दिन अभी दिये गये हैं। इनमें जो कार्यक्रम होगा वह मैं आप को सुना देना चाहता हूं। जो कल २६ तारीख का कार्यक्रम था और जिसके लिये बैलट हो चुका था वह पहली तारीख को ले लिया जायगा और दूसरी तारीख के लिये बैलट २७ तारीख को होगा और उस दिन जो असर-कारी विधेयक या प्रस्ताव बैलट में निकल आयेंगे वे प्रस्ताव या विधेयक २ अप्रैल को विचार में ले लिये जायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आज माननीय होती लाल दास जी के निवेदन पर आप ने एक नोट सुनाया कि सेशन जज महोदय ने उनकी अपील पर उनको अपराधों से बरी कर दिया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सेशन जज महोदय के लिये यह जरूरी नहीं था कि सीधे ही इस अपील के बारे में आप को सूचना दें ?

श्री अध्यक्ष---सूचना देने का सम्बन्ध रिलीज से आता है लेकिन अपील हुई थी और अपील पर फैसला हुआ तो इसमें यह प्रश्न मेरे पास विचाराधीन आप का है। मैं उसके विषय में विचार कर के बाद को बतलाऊंगा कि उसकी आवश्यकता है या नहीं। अपील के दौरान में तो आदमी सम्भवतः बाहर ही जमानत पर होता है इसलिये उसकी रिलीज का प्रश्न नहीं होता। सूचना देना तो कन्विक्शन, रिलीज और डिटेंशन की सूचना अध्यक्ष को देनी चाहिये। क्या प्रस्तुत विषयों को रिलीज का अंश ही मान कर चलना चाहिये या नहीं इसके बारे में कानूनी क्या फैसला होगा इस प्रश्न पर मैं विचार कर के ही कह सकूंगा। वैसे यह प्रथम दर्शन में आवश्यक नहीं मालूम होता कि अदालत रिपोर्ट करे।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरे अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में जो मैंने दो महीने पहले पूछे थे उत्तर नहीं मिले और इकट्ठा हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---उसके लिये मेरे कमरे में आ कर मुझसे पूछ सकते हैं।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सुझाव पेश करता हूं कि अनुदान संख्या ३०, ३१, ३२ और ४५ ये चारों निर्माण से सम्बन्ध रखते हैं और इसलिये मैं यह सुझाव रखता हूं कि चारों को एक साथ ले लिया जाय।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ग्रान्ट नम्बर ३२ है वह तो खाली नौकरियों के लिये है और बाक़ी तीन कामों के सम्बन्ध में हैं। इसलिये उसको अलग ले लिया जाय और यह कामों वाली तीनों को एक साथ लिया जाय।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ़्फ़रनगर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अभी जो सुझाव हमारे विरोधी दल की ओर से आया है वह ज्यादा अच्छा है कि सभी एक साथ ले लिये जायं तो उसमें बोलने वालों को बहुत काफी सहूलियत हो जायगी और बोलने वाले को प्रत्येक को १०, १० मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो यह निश्चित हुआ कि सभी मांगें एक साथ ले ली जायं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ३२ नम्बर का है उस पर ज्यादा महत्व दिया जाय या न दिया जाय। जो उसको महत्व नहीं देना चाहते वे उस पर कृपा कर के न बोलें। इसलिये सब इकट्ठे ले लिये जायेंगे समय के लिये मैं समझता हूं कि बहुत से लोग बोलना ही चाहेंगे इसलिये ७ मिनट से ज्यादा का समय बढ़ाया जाय यह मैं नहीं चाहता परन्तु जिनका कटौती का प्रस्ताव होगा उनको १० मिनट का समय दे दूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---श्री अध्यक्ष महोदय, मूवर के लिये कुछ ज्यादा समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---वह मैं दे दूंगा।

अनुदान संख्या ३०-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३२-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य और ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४५-लेखा शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजीलेखा

*निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०-सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण-कार्य-निर्माण-कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ४,३४,३८,८०० रु० की मांग स्वीकार की जाय, और

अनुदान संख्या ३१- यातायात के साधनों का सुधार (केंद्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित) (लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण-कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत १२,०१,५०० रु० की मांग स्वीकार की जाय, और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारी लाल]

अनुदान संख्या ३२–सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण-कार्य और ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत ५०,९२,१०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––प्वाइंट आफ आर्डर सर, क्या एक माननीय मन्त्री के लिये यह उचित है कि वे सब अनुदानो को एक साथ मिला कर और-और कहते हुये प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि इससे तो माननीय मंत्री जी का आभारी होना चाहिये क्योंकि इससे तो सदन का समय बचता है।

श्री गिरधारी लाल––और अनुदान संख्या ४५–राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत (लेखा शीर्षक ८१–राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा) के अन्तर्गत ४,२२,५०,७०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ३२ जो है वह इस्टैबलिशमेंट या ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनिरी से सम्बन्ध रखता है जिसके द्वारा सारा कार्य संचालित किया जायगा। जो अनुदान शेष हैं उनके अन्तर्गत प्रान्त की जितनी सड़कें हैं, पुल और भवन हैं उन सब की मरम्मत और नये भवनों और सड़कों का निर्माण भी आता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट आफ इंडिया के हमारे प्रान्त के अन्दर जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी देख-भाल और रिहैबिलिटेशन डिमार्टमेंट की ओर से हमारे प्रान्त के अन्दर बाहर के आये हुये जो भाई हैं उनके बसाने के लिये जो मकान बन रहे हैं उन सब की देख भाल भी इस विभाग की ओर से हो रही है। इस तरह कम से कम साढ़े दस करोड़ रुपये का कार्य हमारे प्रान्त के अन्दर इस विभाग के द्वारा होना है। अनुदान संख्या ३२ के मातहत करीब ५० लाख रुपये की जो मांग है उसके संबंध में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है।

शेष अनुदानों के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि जहां तक अनुदान संख्या ३० है उसका सम्बन्ध खास तौर से हमारे प्रान्त के अन्दर जितनी बिल्डिंग्ज और रोड्स हैं उनकी देख भाल से है। इसमें खास तौर से २,६६,१००० रु० रक्खा गया है जिसमें मितव्ययिता के ख्याल से ३ परसेन्ट की कमी की गयी है जिसकी वजह से करीब पौने चार लाख रुपया इस वर्ष पिछले वर्ष से कम हो गया है। यह जाहिर है कि हमारे प्रान्त में साढ़े ९ हजार मील सड़कें हैं जिसमें हमेशा कम से कम ३०० मील सड़कें माडरनाइज की जाती हैं। जो कंकड़ या पत्थर की सड़कें हैं उनको तारकोल लगा कर पेंट किया जाता है और बाक़ी सड़कें जो माडर्नाइज्ड हैं उनको चौड़ा किया जाता है। इसी तरीक़े से इस मेंटिनेन्स की ग्रान्ट के जरिये से सड़कों का सुधार किया जा रहा है। इससे साफ़ जाहिर है कि नई सड़कें जो बनती हैं उनकी मेंटिनेन्स की भी जरूरत होती है इसलिये हर साल मेंटिनेन्स का खर्चा कुछ न कुछ बढ़ना चाहिये लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इस वर्ष ३ परसेन्ट की कमी की गयी है जब कि इस साल और भी भवन हैं जिनकी मरम्मत करनी है जैसे हमारे प्रान्त में चुनार का जो किला है वह एक ऐतिहासिक किला है उसकी मरम्मत करनी है और साथ ही साथ उन्नाव जिला जेल की भी इसी साल मरम्मत करने की जरूरत है। गंगोत्री और यमनौत्री का पिलग्रिम रूट अभी तक वन विभाग के मातहत था, वह अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के मातहत आ गया है। इसके लिये भी ५० हजार रुपया इस अनुदान के अन्दर रखा गया है। हमीरपुर में बेतवा और जमुना के फेअरी घाटों के सुधार के लिये भी इसमें कुछ रुपया रखा गया है। तो इस तरीके से इस अनुदान के अन्दर खास तौर पर रुपया मरम्मत और मेंटिनेंस पर खर्च होगा। इसके अलावा कुछ और भी धन रखा गया है जिसके जरिये इस खास खास भवनों का निर्माण होगा जिसका खुलासा बजट साहित्य के वाल्यूम ३ के अन्दर दिया हुआ है।

दूसरा अनुदान नम्बर ३१ है जिसका संबंध सेंट्रल रोड फंड से है। यह वह फंड है जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रति वर्ष जितना भी पैट्रोल का खर्चा होता है उसके ऊपर कस्टम और एक्साइज ड्युटी लगा कर के इस रुपये को इकट्ठा करती है। इस प्रकार हर प्रान्त में जितना रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया को मिलता है उसका कुछ परसेंट फील्ड एविएशन के लिये सुरक्षित रख कर बाक़ी रुपया वहां की गवर्नमेंट प्रत्येक प्रान्त को प्रोग्राम आने पर दे दिया करती है। इस अनुदान में १२ लाख से अधिक रुपया जो काम अभी तक चल रहे हैं उनको अगले वर्ष चालू रखने के लिये रखा गया है। इसमें खासतौर पर भुवाली-रामगढ़ सड़क को मुक्तेश्वर तक बढ़ाने के लिये ३ लाख रुपया रखा गया है। ६ लाख ४४ हजार ५ सौ कुल रुपये निर्माण के लिए रखा गया है। २ लाख ५७ हजार रुपये में से १ लाख ५७ हजार रुपया सड़कों के लिये है और बाक़ी एक लाख रुपया इस वर्ष कुछ धन लैप्स होने की सम्भावना थी, उसकी पूर्ति के लिये इसमें रखा गया है।

इसके अलावा अनुदान संख्या ४५ का जहां तक सम्बन्ध है, इस अनुदान के मातहत ४,२२,५०,७०० रुपये की मांग इस सदन के सामने रखी गयी है। इसमें २,७९,३०,९०० रुपया भवन के निर्माण के लिये खास तौर पर रखा गया है, जिसमें क़रीब ७,४६,९०० रुपया उस काम के लिये है जिसको भवन ने पिछले साल स्वीकार किया था जो इस वर्ष भी चलता रहेगा तब जा कर के पूरा होगा। इसके अलावा दो करोड़ ८ लाख रुपया नये कामों के लिये हैं। इसमें से पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु-पालन कालेज, मथुरा में अतिरिक्त प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये ९० हजार रुपया रखा गया है। हारकोर्ट बटलर टेक्नीलोजीकल इंस्ट्रीट्यूट, कानपुर, के लिये ५ लाख रुपया रखा गया है। गवर्नमेंट आर्ट्स ऐंड क्राफ्ट स्कूल जो लखनऊ में है, उसके लिये २,९४,००० रुपया रखा गया है। इसके अलावा २ करोड़ रुपया तीसरे फेज में इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के लिये रखा गया है जिससे कानपुर, आगरा, हाथरस और फिरोजाबाद में हमारे श्रमिकों के लिये मकान बनवाने हैं। इसके अलावा साढ़े बारह लाख रुपया मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम के मातहत भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा जहां तक सड़कों का संबंध है उसके लिये भी इस अनुदान में १,३८,३६,५०० रुपया रखा गया है। इसमें से जो पहले स्वीकृत कार्य हैं उनके लिये १,०७,३६,५०० रुपये रखे गये हैं। नये काम जो हैं उनके लिये ३१ लाख रुपये की व्यवस्था इस अनुदान के मातहत की गयी है। जहां तक इस ३१ लाख रुपये का सम्बन्ध है उसका पूरा विवरण बजट के वाल्यूम नम्बर ३ के अन्दर दिया हुआ है। फिर भी मैं इसमें से दो एक बातें सदन के सामने रख देना चाहता हूं। एक तो फारेस्ट की बहुत सी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आयी हैं, उनके लिये ४ लाख रुपया रखा गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा जिले में टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क के लिये ढाई लाख रुपया रखा गया है। बहराइच जिले की बहराइच बहरामघाट सड़क को ११ मील से २७ मील तक को फिर से निर्माण करने के लिये करीब दो लाख रुपया रखा गया है। गढ़वाल में गुलाबकोठी और जोशीमठ के बीच में और हैलंग और सिंहधार के बीच में ब्राइडल रोड को बनाने के लिये डेढ़ लाख रुपया रखा गया है। बलिया जिले में बलिया सिकंदरपुर रोड को बनाने के लिये डेढ़ लाख रुपया रखा गया है। उसके अलावा जालौन और हमीरपुर जिलों में उरई राठ सड़क को पहले फेज में पी० डब्लू डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया था। उसको बनाने के लिये १,१०,००० रूपया रखा गया है।

इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि काफी सड़कें हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनके संबंध में बजट के वाल्यूम ३ के अन्दर इनका खुलासा तौर पर वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि उसको देखने से सब चीजें साफ हो जायंगी। मुझे और कोई विशेष बात नहीं कहनी है। इसके अलावा दूसरी ग्रांट में २,५३,२०० रुपया रखा गया है और १,३०,३०० रूपये के काम चल रहे हैं। इसमें लैप्स हो जाने की संभावना है। इसलिये इस रुपये को रखा गया है। इस

[श्री गिरधारीलाल]

तरह से जितने सब अनुदान हैं उनको मैंने आपके द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत चारों अनुदानों में से प्रत्येक में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्रीमन्, इस बात को देखते हुये कि हमारे प्रांत में प्रत्येक वर्गमील के ऊपर कुल जीरों प्रतिशत ३ मील सड़क है लेकिन यह मालूम होता है कि हमारे माननीय निर्माण मंत्री जी के और उपमंत्री जी के ऊपर कितना अधिक भार है और मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि अपनी सारी मेहनत के बावजूद अपनी सारी प्रशंसनीय और सराहनीय कार्यपटुता के बावजूद हमारे मंत्री जी सरकार से इतना रुपया अपने इस विभाग के लिये नहीं ले पाये हैं जितने रुपये की सड़कों को इस प्रदेश में पूरा करने के लिये आवश्यकता थी ।

श्रीमन्, मेरी तो भारी शिकायत है कि इस कैबिनेट में सबसे पहली कैजुएलटी जो हुई वह इस विभाग की रही है । इस विभाग की योजनाओं के लिये जितने रुपये की आवश्यकता थी उतना रुपया इस विभाग को नहीं दिया जाता रहा है । फ़ेज वन प्रोग्राम इस विभाग ने बनाया जिसके लिये ८ करोड़ रुपये की आवश्यकता थी । लेकिन सरकार की रिपोर्ट इस बात की साक्षी है कि जितना काम तीन साल के अंदर सड़क बनाने के संबंध में होना चाहिये था उतना ५ साल में उसका ६० प्रतिशत भी नहीं हो पाया है । इस विभाग ने मांग की जितनी अधूरी सड़कें छोड़ दी गई हैं उनको पूरा करने के लिये ६ करोड़ रुपये की आवश्यकता है तो बजाय छः करोड़ रुपये केवल सवा दो करोड़ रुपया दिया गया और इस साल भी उतना ही रुपया रखा गया है ।

सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जब हम अपने प्रांत के यातायात के सुधार की ओर अपना ध्यान देते हैं तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि पंचवर्षीय योजना में सड़कों को बनाने के लिये चाहे पहले फेज में या दूसरे में या तीसरे में रखें यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी आवश्यकता है कि हमारी सड़कें पूरी तरह से बन जानी चाहिये और खास तौर से देहाती सड़कें तो बन ही जानी चाहिये ।

इस रिपोर्ट के पहले पेज में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनी हुई सड़कों के बारे में बतलाया गया है कि कितनी सड़कें बन जायंगी । इसमें लिखा गया है कि जिला बोर्ड की पक्की सड़कों के पुनर्निर्माण के लिये तो यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जिला बोर्ड की सड़कें देहातों में ही होती हैं । इसमें लिखा हुआ है कि योजना में निर्धारित ४२८ मील लम्बी सड़क में से २०४ मील लम्बी सड़क का पुनर्निर्माण २२ लाख रुपये की लागत से पूरा हो जायगा । अब साल बीत चुका है और चौथा साल भी पूरा हो गया है तो इन चार सालों में केवल २०४ मील लम्बी सड़क ही बन पायेगी । जहां देहाती सड़कों का सवाल आता है तो आपका प्रोग्राम अधूरा है । लक्ष्य तक पहुंचने वाले नहीं हैं चार साल में भी । अब क्या पहुंच पायेंगे ।

इसके बाद कच्ची सड़कों की ओर जो देहातों में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनायी जाने वाली थीं ध्यान दिलाना चाहता हूं । उनका टार्गेट १९५० मील का था । लेकिन कच्ची सड़कों के बारे में लिखा है कि ये सड़कें बड़े-बड़े गांवों को प्रान्तीय सड़कों से मिलाती हैं । इन में से बहुत सी सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गई हैं ।

कहां तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से सड़कें लेना चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास रुपया नहीं है । अब यह हो रहा है कि जो सरकार के पास कच्ची सड़कें थीं उनको भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे रहे हैं । ग्रांट भी कम कर रहे हैं और काम उनका बढ़ा रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगे चल कर लिखा है "और अब केवल करीब ७४० मील सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है। आशा की जाती है कि इनमें से अधिकतर सड़कों पर इस साल के अन्त तक काम पूरा हो जायगा।" अब जितनी देहाती सड़कें हैं उनमें पंचवर्षीय योजना का काम बिलकुल नदारद है, बिलकुल नहीं के बराबर है और ज्यादा तो उचित यह होगा कि इस योजना को बिलकुल स्क्रैप कर दें कि यह चल नहीं सकती, हमको रुपया नहीं मिलता। एक खामख्वाह की योजना की बात करना रुपया निर्धारित करना, पंचवर्षीय योजना की बात करना और उसको निभाना नहीं, मैं समझता हूं कि एक बड़े शर्म की बात है।

इसके साथ इसमें कुछ ऐसे भी आंकड़े दिये गये हैं कि हमने नयी पक्की सड़कों के मध्य की तह तक का काम टार्गेट से भी अधिक पूरा कर दिया है। इसमें कहा गया है कि ५४१ मील मीलों के मुकाबिले ५७१ मील आधे पक्के कर लिये हैं। हर साल मेरा यह दुर्भाग्य है कि इन आंकड़ों की तरफ ध्यान दिलाता हूं सरकार का कि बिलकुल आकड़े हमारे सामने उपस्थित कर दिये जाते हैं। रिपोर्ट के आखिर में अपेंडिक्स देखें जहां मध्य की तहों तक सड़कों के निर्माण का जिक्र है वहां टोटल मीलों की लम्बाई लगायी जाय तो ८४१ मील निकलती है। अब रिपोर्ट में लिखा है कि ५७१ मील और आखिर में टोटल ८४१ मील। अब कौन सा सही है? इसको माननीय मंत्री जी जानें या उनका डिपार्टमेंट। आंकड़ों के बारे में, डिपार्टमेंट के इन्तजाम के बारे में, रुपये की कमी के बारे में जितना भी कहा जाय थोड़ा है। एस्टेब्लिशमेंट को देखिये कि खर्चे में और वर्क्स के अनुपात में कितना बड़ा अन्तर है। एस्टेब्लिशमेंट में अगर एक साल ४ परसेंट खर्चा है तो दूसरे साल १० परसेंट और तीसरे साल ५ परसेंट। वर्क्स का अनुपात हमेशा गड़बड़ रहता है। ११ परसेंट पिछले साल का था और इस साल का ७ परसेंट। क्या कारण है कि इतना बड़ा अन्तर वर्क्स और एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे में होता है।

इसके पश्चात्, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स की पोस्ट अबालिश करने की मांग रोज, हर साल सुनता चला आया हूं। सब तरफ से मांग होती है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो हैं इनकी पोस्ट बिलकुल बेकार है और वह खत्म कर दी जानी चाहिये। लेकिन इस साल के बजट में जिस साल उनका रिट्रेंचमेंट करना चाहिये था आगरे में एक नया सर्किल खोला जा रहा है। एक और वृद्धि की जा रही है। यह सदन में जो सुझाव दिये जाते हैं उनका हाल है। और जहां तक गरीब मजदूरों की हालत है उनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट में यह हाल है कि यू० पी० में मजदूरों को सब से कम तनख्वाह और मजदूरी दी जाती है। ५.२५ परसेंट मजदूरी दी जाती है सारे बजट की, जबकि मद्रास में ९.७ परसेंट, बंगाल में १८ परसेंट, आसाम में १४ परसेंट, बरार मध्य प्रदेश में १८ परसेंट, बिहार में २८ परसेंट बम्बई में ३२ परसेंट और उड़ीसा में ३६ परसेंट दी जाती है।

एक प्रश्न का हाल ही में जबाब दिया गया कि भत्ता कहीं नहीं बढ़ाया गया। छुट्टी त्योहारों की १० दिन की है। तनख्वाह के बटवारे का यह हाल है कि १५ दिन में मस्टर रोल की जांच करके तनख्वाह दे देते हैं, लेकिन कुमाऊं डिवीजन में जहां जहां काम करते हैं मैंने मिसालें दीं माननीय मंत्री जी को लिखकर और इंजीनियर साहब को बतलाया कि ६ महीने तक जो रोजाना काम करने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट में ६ महीने तक उनकी मजदूरी नहीं बटी। उस विभाग का यह हाल है। इसके साथ ही साथ अब प्रश्न यह आता है कि एक विभाग माननीय मंत्री जी के यहां ट्रांसपोर्ट डिवीजन है। उस ट्रांसपोर्ट डिवीजन में, एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि ५२० गाड़ियां माननीय मन्त्री जी के विभाग में हैं। फिर दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि ३१० गाड़ियां हैं। जब यह मालूम किया गया कि इतना अन्तर कैसे हुआ तब पता चला कि २१० गाड़ियां बेकार हैं। यह क्यों बेकार हैं, कैसे यह काम नहीं कर रही हैं, इसका कोई हवाला नहीं दिया गया। लेकिन एक तीसरी रिपोर्ट जो हमें अब बटी है उस रिपोर्ट में ये गाड़ियां ३१० के बजाय २८३ हो गईं। यानी उस रिपोर्ट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और इस रिपोर्ट के बीच में २७ और बेकार हो गईं और उसमें जो जस्टिफिकेशन दिया गया है, इस रिपोर्ट में वह यह कि ये गाड़ियां रामगढ़-मुक्तेश्वर, गरुड़-बागेश्वर, टनकपुर-पिथौरागढ़ आदि जगहों में चलती हैं जहां कि और गाड़ियां नहीं चल सकतीं। मैं जानता चाहता हूं कि क्या ये २८३ गाड़ियां सब उन्हीं जगहों पर चलीं या और भी कहीं चलीं। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वह सुधार चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट में तो अपने इस ट्रांसपोर्ट डिवीजन को कम करें। केवल जो थोड़ी बहुत गाड़ियों की आवश्यकता इंजीनियर को है इधर-उधर दौरे में जाने के लिये उनको रखें और बाकी काम या तो रोडवेज की ट्रकों से लें या अगर रोडवेज सस्ता नहीं पड़ता तो व्यक्ति-गत ट्रकों को लेकर काम चलायें। साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि जो हमारा कंट्रैक्ट सिस्टम है, जो पेमेंट सिस्टम है, उसमें परिवर्तन किया जाय और जो इस विभाग का बजट है उसको एक तीन साल का बजट बनाया जाय ताकि लैप्स होने का डर न हो। हमारा वित्तीय वर्ष बरसात से पहले शुरू होता है इसका नतीजा यह होता है कि जब काम शुरू करने का वक्त आता है तब बरसात शुरू हो जाती है और काम रोक देना पड़ता है। और साल के अन्त में काम शुरू होने लगता है तो जल्दी-जल्दी में चूंकि लैप्स होने का खतरा पैदा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है। तो जैसा कि पहले माननीय मंत्री जी के विभाग ने स्वयं सुझाव दिया था कि तीन साल का जैसे प्रोग्राम बनता है उसी तरह तीन साल का बजट भी बनाया जाय ताकि लैप्स होने के डर से कोई काम बिगड़ने न पाये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने स्वयं सुझाव दिया और और स्वयं अपने डिपार्टमेंट में उसको लागू नहीं करा पाये। अगर आप नहीं तीन साल का बजट बना पाते हैं तो स्पेशेल डेवलपमेंट फंड से रुपया लीजिये तब आपकी सड़कों का प्रोग्राम एक अच्छे रुप से चल सकता है। इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार की ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से मैं आशा करता था कि आज जब कि वह देखते हैं कि लगातार हर साल इस सदन में पी० डब्ल्यू० डी० में होने वाले भ्रष्टाचार की बार बार और बड़े कड़े शब्दों में शिकायतें होती चली आ रही हैं तो माननीय मंत्री जी को चाहिये था कि उनका यह दायित्व था कि वह इस समय बतलाते के पिछले साल में एन्टी करप्शन कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कितने कर्मचारियों को सजा दी। लेकिन माननीय मंत्री जी खुद चाहते हैं कि उनकी ज्यादा कड़ी आलोचना की जाय। जब परसों हमने प्रश्न पूछा तो उसके उत्तर में उप-मंत्री जी ने हमें बताया कि भ्रष्टाचार की ६० शिकायतें आयीं हैं। लेकिन जो रिपोर्ट पिछले साल की है उसमें छपा हुआ है कि ९९ शिकायतें इसकी आयी हैं। अब पिछले साल ९९ शिकायतें थीं और माननीय मंत्री जी अब कहते हैं कि कुल मिलाकर ६० शिकायतें आयीं तो फिर अब क्या कहा जाय इस भ्रष्टाचार के बारे में। मैं माननीय मंत्री जी को सावधान करना चाहता हूं कि अगर वह अपने विभाग की जो तारीफ है, जो रेपुटेशन है, उसको बनाये रखना चाहते हैं तो उन्हें एक बात अवश्य करनी पड़ेगी कि जो इस डिपार्टमेंट का टेंडर सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, ओवरसियरों के द्वारा बिल बनाये जाने का सिस्टम जो है, उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी। आज यह होता है कि जब कोई ठेकेदार ठेका लेता है तो उसको स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि किस तरह की सड़क बनेगी, या किस प्रकार का काम होगा। नतीजा क्या होता है कि ठेकेदारों को मौका होता है कि वह अपने बिलों को बढ़ा सकें। ओवरसियर और उनके बीच में बात चीत हो जाती है और वह मिल जुल कर ऐसा बिल बनाते हैं कि इंजीनियरों को उसे मंजूर करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने कर्मचारियों के एकाउंट्स भी चेक करने का कोई तरीका निकालें कि आया जिन की जितनी तनख्वाह है उसके हिसाब से उनका बैंक बैलेंस ज्यादा तो नहीं है, उनके रहन सहन का ढंग उनकी आमदनी से ज्यादा ऊंचा तो नहीं है। माननीय मंत्री जी देखेंगे कि अगर इस ओर उन्होंने ध्यान दिया तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार इस विभाग में कम हो जायगा।

इसके अलावा मैं २,४ सुझाव इस अनुदान के अन्य अंशों की ओर भी देना चाहता हूं। जैसा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो पी० डब्लू० डी० से सम्बन्धित नहीं हैं लेकिन उनके सिविल वर्क्स को पी० डब्लू० डी० बनाता है। मेरा सुझाव है कि उनके अनुदान उन संबंधित विभागों के बजट में रखने चाहिये। जैसे मेडिकल और हेल्थ विभाग के अस्पतालों को पी० डब्लू० डी० बनवाता है। उसका अनुदान मेडिकल और हेल्थ विभाग के बजट में होना चाहिए।

संख्या ३०–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३२–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य और ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४५–लेखा शीर्षक ८१–राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा

कुछ अनुदान हमें ऐसे देखने में आये हैं जो आज तक खर्च नहीं हुए । जैसे पिछले साल के बजट में मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए २५ लाख रुपया रखा गया था । लेकिन वह कहां खर्च किया गया ? कहने को २५ लाख की रकम है लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे । कह दिया जाय कि रखा हुआ है लेकिन खर्च न हो । मैं समझता हूं कि दिखाने के लिए बजट में रुपया रखना बेकार है ।

*श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने यह अनुदान इस सदन के सामने उपस्थित किया है ।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले झांसी की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिये कि झांसी से लखनऊ जितनी दूर है यानी १८८ मील, इतना तो हमारा जिला है । अगर हम लोग अपने जिले में भड़ौरा से महरौनी, ललितपुर होते हुए, झांसी फिर मऊ, गुरसराय और गरौठा होते हुए ककरवई पहुचें तो १८८ मिल होता है । आपको आश्चर्य होगा कि मुद्दतों से हमारे जिले की सड़कों का काम उसी तरह से किया गया है जैसे कृषि और दूसरे विभागों में उपेक्षा की गयी है । सरकार ने वहां पर ट्रैक्टर चला कर, बांध बनवा कर, नहरें बनाकर, वहां की कृषि समस्या में लोगों को काफी संतोष दिया है । चार तहसीलों में तो तूफानी कार्य हो रहा है । लेकिन सड़कों की ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए । मैं एक बात और बताना चाहता हूं । इन दिनों हमारे जिले में दो सड़कें बनने वाली हैं । उनमें कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनकी ओर आप को अभी से ध्यान देना चाहिए वरना उनमें गड़बड़ी हो जायगी । एक सड़क गुरसराय से बघेरा होते हुए मौठ को जाती है तो गुरसराय के पड़ोस में एक नाला कसबे के भीतर आ जाता है जो संकट का कारण बन जाता है । तो यह आवश्यकता है कि उस नाले का बहाव मोड़ कर मऊ–गरौठा रोड में मिला दिया जाय । जब आप काफी रुपया खर्च करने वाले हैं तो १०, १५ लाख रुपया खर्च होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि वहां की जनता की मुद्दतों की समस्या हल हो जाय।

दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट की ओर से जो गरौठा से ले कर माकुआं हो कर मऊ तक पक्का रोड बनाने की योजना है । वहां गरौठा से दस मील दूर तक कोई गांव नहीं पड़ता । जब आप ऐसा पक्का रोड बनाना चाहते हैं तो यदि वह सिमर्धा और निम्गाना हो कर बनाया जाय तो इसमें चार बड़े गांव आ जाते हैं । अगर २६ मील के स्थान पर २७ मील हो जाय तो इन चार बड़े गांवों को बहुत बड़ी मदद मिल जायगी । लेकिन अगर आप ऐसी जगह से रास्ता ले जाते हैं जहां दस मील तक कोई गांव न हो तो जब एक बार वह सड़क बन गई तो हमेशा के लिये गांव वालों के लिये वह एक मुसीबत हो जाती है । आप तो समझेंगे कि पक्की सड़क बन गई लेकिन मुसीबत बनी ही रहेगी । इसलिये ये दो बातें नोट कर ली जायं और इस सम्बन्ध में तात्कालिक कार्यवाही करें और अगर जल्दी कार्यवाही न की गई तो गल्ती होने का अन्देशा रहेगा ।

तीसरी बात यह निवेदन करता हूं कि हमारे यहां बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर तक १५० मील की लम्बाई में बहती है । वहां तहसील गरौठा के पास इर्च गांव है । वहां लोगों को अपनी बैलगाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत होती है । पिछले बोर्ड ने टेम्पोरेरी इन्तजाम करवा दिया था लेकिन जब तक मुस्तकिल प्रबन्ध नहीं होता तब तक दिक्कत दूर नहीं हो सकती । लेकिन यह काम आप का है क्योंकि यह सड़क आपकी है । वहां आप एक रिपटा बनवाने का प्रबन्ध करें ताकि वहां तहसील गरौठा के लोगों को नदी पर से बैलगाड़ियां निकालने में कोई दिक्कत न हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम सहाय शर्मा]

इसके अलावा मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मेरा जिला बहुत लम्बा है । जैसा नारायण दत्त जी ने कहा कि देहाती क्षेत्रों में सड़कों की बड़ी दिक्कत है । लखनऊ से झांसी सड़क जाती है वह मेरे जिले में होकर निकलेगी, लेकिन देहाती क्षेत्रों में कई जगह सड़कों का नाम भी नहीं है। जैसे कि उल्दन तहसील मऊ का बड़ा सेंटर है । वहां कोई सड़क नहीं जाती । सकरार या बंगरा से उल्दन तक एक पक्की सड़क बनाने की बहुत जरूरत है । कहा यह जाता है कि हमारे इलाके में सड़कें ज्यादा हैं। पता नहीं, मंत्री महोदय के रेश्यो में कहां से वहां सड़कें ज्यादा हो जाती हैं जब कि वहां लोग सड़कों के लिये तरसते हैं । काली मिट्टी का जो इलाका है वहां तो बरसात में नरक हो जाता है । वहां चलने में बड़ी दिक्कत होती है । निर्माण विभाग को वहां सड़कें बनाने के लिये तात्कालिक कार्यवाही करनी चाहिये । लाल मिट्टी के जो इलाके हैं वहां तो उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी कि काली मिट्टी वाले इलाकों में होती है । इसलिये इन स्थानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये और वहां सबसे पहले सड़कें बनाने के लिये बजट में रुपया रक्खा जाना चाहिये । इसके अलावा दो पक्की सड़कें बनाने के लिये मेरे जिले में प्रबन्ध किया गया है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट में ये सड़कें बनेंगी लेकिन आपके द्वारा बनाई जायंगी, इसलिये यह सुझाव रखता हूं कि तुरन्त ही तात्कालिक कार्यवाही इस दिशा में की जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भवनों, सड़कों के निर्माण तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत में जो कार्य किया है उस पर सदन के बहुत से सदस्यों को संतोष भी हो सकता है किन्तु विभाग में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, एस्टिमेट्स के ऊपर व्यय और काम के सम्बन्ध में देरी, इन सारी बातों को देखते हुए जो कार्य अभी तक हुए हैं उन पर भी पर्दा पड़ जाता है । जितनी नई सड़कों का निर्माण होता है अगर वहां पर जब नये-नये इंजीनियर्स पहुंचते हैं तो वे सभी अपने नये नये सुझाव पेश करते हैं । नई जमीनों का एक्वीजीशन होता है । प्रदेश के और इलाकों के बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं लेकिन अपने जिले मुजफ्फरनगर के बारे में तो मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि बागपत-सहारनपुर रोड के ऊपर श्यामली और कांधली के बीच ५,६ पुल पुराने इंजीनियर महोदय ने बनाये। लेकिन जब नये इंजीनियर महोदय वहां पहुंचते हैं तो ६ के ६ नये पुल पुनः निर्माण किये जाते हैं । दो दफा उन्हीं पुलों पर सरकारी कोष से रुपया व्यय हुआ है । सड़कों पर एक जगह मिट्टी डाल दी जाती है, फिर उस जगह को बदल कर दूसरी जगह मिट्टी डाली जाती है । इसी सड़क पर जलालाबाद एक स्थान है, पुराने इंजीनियर ने इस सड़क के लिये जमीन को एक्वायर कराया । जब नये इंजीनियर महोदय पहुंचे तो जो जमीन एक्वायर हो चुकी थी उसको छोड़ कर दूसरी जगह एक्वायर कराने की रिपोर्ट की । पुलों का जितना भी निर्माण होता है उनका इस्टीमेट और ऊंचाई आवश्यकता से अधिक होती है । जहां तक खर्चे का प्रश्न है जैसा कि मैंने कहा था कि खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। हमारी केन कोआपरेटिव सोसाइटीज जो हमारे शुगर मिल्स एरिया में सड़कें बनाती हैं उनका इस्टीमेट प्रति मील पक्की मैटल्ड रोड बनाने के लिये यानी कोलतार की सड़क बनाने के लिये करीब ३० हजार रुपया प्रति मील आता है। अगर उसी सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाता है तो उसका भी फी मील का तखमीना ४५ हजार रुपया आता है। हो सकता है कि इसके लिये यह कहा जाय कि उसका काम अच्छा होता होगा और ज्यादा तखमीने से ड्योढ़ा काम होता होगा सो यह बात भी नहीं है । उनका काम भी सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है। मैं सौभाग्य से ४ चार साल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुजफ्फरनगर का प्रेसीडेंट रहा हूं । उस जमाने में मुझे एक ५ मील लम्बी सड़क बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वह सड़क चार साल पहले बनी है और आज तक उसकी हालत अच्छी है और किसी मरम्मत की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बनवाने में ३० हजार रुपया प्रति मील खर्च हुआ था। उसके आगे पी०डब्लू०डी० ने २ साल बाद सड़क बनायी है वह अब टूटने भी लगी है और आज भी उस सड़क को देखा जा सकता है। अभी

३–४ महीने हुये मुजफ्फरनगर-बुढ़ाना सड़क ८ मील लम्बी आगे पी० डब्लू० डी० की तरफ से बनायी गयी है। वह आगे बनायी जा रही थी और पीछे से टूटती जा रही थी। अब सवाल यह है कि आपका खर्चा भी अधिक होता है और अधिक खर्चे के साथ कार्य भी सन्तोषजनक नहीं हो पाता है। अधिक पैसा भी खजाने से जाता है और इससे भ्रष्टाचार भी इन्तहा दर्जे का वहां पर दिखायी देता है। इसकी बाबत यह कहा जा सकता है कि यह टेक्नीकल मुहकमा है और टेक्नीकल मुहकमे में दूसरे लोगों को दखल देने की न आवश्यकता और न ही गुंजाइश है मगर मैं तो यह समझता हूं कि उनके लिये तो यही मिसाल है कि– Man may come and man may go but I go on forevertes. कोई भी मिनिस्टर आये कोई भी डिप्टी मिनिस्टर आये, चाहे माननीय हाफिज साहब हों या चौधरी गिरधारीलाल जी और चाहे हमारे डिप्टी मिनिस्टर शर्मा जी हों और इस तरह से पेशतर बहुत से आये और बहुत से गये और आगे भी बहुत से आयेंगे लेकिन इस पी०डब्लू डी० महकमे में जो यह भ्रष्टाचार है वह तो चलता ही रहेगा। महकमा भी यही कहता है कि Man may come and man may go but the corruption in mahakama goes on forever. यह कब तक चलता रहेगा मालूम नहीं। प्रश्न यह है कि प्रत्येक आदमी टेक्नीकल नहीं हो सकता है और हमारे इस सदन के माननीय सदस्य टेक्नीकल आदमी नहीं हैं। लेकिन हमारे इंजीनियर या चीफ इंजीनियर जो यहां बैठे हुये हैं और टेक्नीकल आदमी भी हैं वह तो इस बात को जानते हैं कि उनके विभाग के अन्दर काफी भ्रष्टाचार है। तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर जिनके बारे में यहां पर अनेक बार सुझाव दिया जा चुका है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन उनका घटना। तो कहां उनको बढ़ाया जा रहा है। प्रश्न यह है कि सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर यदि बढ़ भी जावें तो उस भ्रष्टाचार को तो किसी प्रकार से समाप्त किया ही जाना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। आज इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि इस विभाग से यह भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिये। हमारे मद्रास के मुख्य मंत्री ने एक बार कहा था कि मैं पी० डब्लू० डी० को इस देश के समाज का शत्रु नम्बर २ मानता हूं। तो फिर समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से हमारे इंजीनियर महोदय अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। जितना करप्शन आज है अगर उसको समाप्त कर दिया जाय और साथ ही साथ उस इस्टीमेट को कम कर दिया जाय तो मुझे यह उम्मीद है कि काम जल्दी से जल्दी होगा और ज्यादा से ज्यादा होगा और जनता में संतोष भी बढ़ेगा और जनता की सेवा भी ज्यादा होगी।

इसके अतिरिक्त मैं कई दफा माननीय मुख्य मंत्री जी से और चीफ इंजीनियर से भी यह प्रार्थना कर चुका हूं कि तहसील बुढ़ाने का नदी का पुल जो करीब १०,१५,१८ साल से टूटा पड़ा है उसका निर्माण करा दिया जाय और कैराना-बुढ़ाना-खतौली सड़क जो तीन तहसीलों को एक दूसरे से मिलाती है और जो जिले को पूर्व-पश्चिम से कनेक्ट करती है और जिसके न होने से जनता को तहसीलों व थानों पर पहुंचने तथा काश्तकारों को अपने प्रोड्यूस को मारकेट तक ले जाने में बहुत कठिनाई होती है उसके बारे में कई बार प्रार्थना कर चुका हूं कि उनको बनवा दिया जाय परन्तु मुझे खेद है कि यहां पर प्रार्थना किये जाने पर भी उसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती है। फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से और चीफ इंजीनियर साहब से यह जरूर निवेदन करूंगा कि जहां पर आवश्यकता बतलायी जाती हो वहां सब स्थानों

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

पर जिलेवार सहायता अवश्य पहुंचायी जानी चाहिये। केन्द्रीय निधि से जो सड़क बनायी जाती हैं उसमें हमारे जिले को एक पैसा भी नहीं दिया जाता है और हमारे जिले पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता है। आज भी केन सेस का रुपया जो तीन साल का पड़ा हुआ है ८.५ करोड़ के करीब और जो गन्ना उत्पादकों से ३ आने फी मन काटा जाता है उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। उसका अच्छा भाग उनके लिये सड़क बनाने के काम में सर्फ किया जाना चाहिये। ३ करोड़ प्रति वर्ष सेस की आय से केवल ३६ मील प्रतिवर्ष प्रदेश में सी०सी० टैक्स बनाना बहुत ही कम है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन सेस के टैक्स से शुगर मिल एरियाज में और अधिक सड़क बनायी जानी चाहिये।

श्री गुरुप्रसाद पांडेय (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी को इस अनुदान को पेश करने के लिये बधाई देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो जनता के लिये निर्माण कार्य है इससे जनता का हित होना चाहिये। इसके लिये गत वर्ष भी यह कहा था कि ग्रामीण जनता के लिये दो ही काम हैं जिनसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। एक तो अन्न पैदा करने के लिये सिंचाई के उपाय, और दूसरे यह कि अगर गांव-गांव में सड़कों का निर्माण हो जाय तो इससे उनके लिये बहुत बड़ा साधन पैदा हो सकता है और वे बहुत उन्नति कर सकते हैं। कानपुर से एक सड़क रमईपुर, जहानाबाद अमौली होती हुयी बांदा को जाती है, और दूसरी कानपुर, से हमारपुर सुमेरपुर होती हुयी बांदा को जाती है, इसके पूर्व पश्चिम ५० मील तक कोई सड़क नहीं है तीसरे जहानाबाद से बांदा तक लगभग १०० मील कोई सड़क नहीं है। सरकार इनको बनवाने की कार्यवाही करे। इसके अलावा एक सड़क आगरा, इटावा, कानपुर होती हुयी फतहपुर को जाती है। इस पर एक स्थान शिवराजपुरी है। इस स्थान पर हर महीने हजारों आदमी स्नान के लिये आते हैं। कार्तिकी पर तो लाखों आदमी की भीड़ यहां होती है और एक हफ्ते तक लाखों आदमी वहां रहते हैं। यहां की सड़क बहुत खराब है, सरकार बोर्ड की हालत तो जानती ही है इसलिये या तो सरकार को स्वयं उस सड़क को ले लेना चाहिये या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इतना रुपया दे जिससे वह भलीभांति सड़क को बनवा सके।

एक सुझाव यह है। हमारे राज्य में ५० जिले हैं। सरकार को यह तय कर लेना चाहिये कि वह प्रत्येक जिले में १० मील पक्की सड़क हर साल बनायेगी। इस प्रकार से ५०० मील सड़कें हर साल बन जायेंगी। जिसमें मेरा अनुमान है सरकार का ५ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें सरकार को कंकड़ और खंजर का प्रबंध करना होगा बाकी जनता उसको अपने श्रमदान से बना देगी। इसमें सरकार का खर्चा भी कम होगा और जनता को भी संतोष होगा कि उससे जो टैक्स लिया जाता है उसमें सरकार उस पर कुछ खर्चा करती है। पिछले श्रमदान के समय अकेले खजुआ तहसील में २३५ मील सड़क श्रमदान से बनायी है। अतः यदि गवर्नमेंट यह सुझाव मान ले तो अच्छा है।

*__श्री रामकुमार शास्त्री__ (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के पास होने के चन्द महीने पहले मैं जिन भावनाओं को लेकर यहां आने की तैयारी कर रहा था और विचार कर रहा था कि जब बजट पास होने का अवसर आयेगा तो जहां तक निर्माण का सम्बन्ध है, मैं सदन के सामने अमुक-अमुक बातें पेश करूंगा और जिस जगह का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां जो कमियां हैं उनकी पूर्ति के वास्ते मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। लेकिन जो भावना मैंने बनाने की कोशिश की थी उसमें कुछ रुकावट हुयी और वह रुकावट अच्छी ही हुयी और यह कहना अब युक्तिसंगत और मुनासिब नहीं होगा कि इस विभाग ने कुछ काम नहीं किया और अगर मैं ऐसा कहने की धृष्टता करूं तो वह उचित भी न होगा क्योंकि बस्ती जिले में बांसी स्थान पर १५ लाख रुपया खर्च करके पुल बनाने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की योजना इस विभाग ने पास की है। उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों और उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों की ओर जो अब पी० डब्लू०डी० में आ गयी हैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जिस अनुपात में जाना चाहिये था वह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी नहीं आकर्षित हुआ है। एक बात और भी है कि न मालूम किस कारण से माननीय मंत्री जी और माननीय उप मंत्री जी का जितना समय प्रांत के दूसरे हिस्सों में गुजरा है वहां हमारे जिले की तरफ करीब ३ साल का अरसा हुआ कि उन्होंने एक क्षण भी उधर नहीं बिताया है और यकीन है कि अगर वह कुछ समय दिये होते तो जो भावना मैं बना रहा था वह न बनी होती। परन्तु अब वह सुन्दर अवसर आने वाला है कि माननीय मंत्री जी आने वाली ८ तारीख को बांसी जा रहे हैं और वहां पर वह कई सार्वजनिक कार्य करेंगे लेकिन जिस रास्ते से वह गुजरेंगे वहां उन को देख कर आश्चर्य होगा कि उनके विभाग की सड़कों की वहां कितनी पतित अवस्था हो गयी है। बस्ती से बांसी तक जो सड़क है वह पी०डब्लू० डी० विभाग के अन्तर्गत पुख्ता सड़क है और वह आगे बांसी से नौगढ़ तक जाती है और कुशीनगर जो बुद्ध भगवान का जन्मस्थान है वहां तक पहुंचती है। आगे जो सड़क बन रही है और पुल बन रहे हैं उस के और आगे बानगंगा जो है वहां पर भी पुल की बहुत आवश्यकता है। इन पूर्वी जिलों की चीनी मिलों और फैक्टरियों से लाखों रुपया सरकार के पास आता है और लाखों बैलगाड़ी इन फैक्टरियों को गन्ना लेकर इन सड़कों पर आती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो बैलगाड़ियां चलती हैं उन के पहियों में लोहे के फल लगे हुए हैं और उससे जो सड़क की हालत होती है उसका अनुभव शायद उनको न होगा लेकिन साक्षात्कार हो जायगा अगर वह उनकी हालत को देखें। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब वहां जायं तो उन फैक्टरी वालों को आमंत्रित करें जो लाखों रुपया कमाते हैं और दूसरे लोगों को भी बुलाया जाय वहां उस जलसे में तो मैं समझता हूं कि काफी मदद मिल सकती है और आसानी से उस सड़क की हालत को सुधारा जा सकता है और काफी कठिनाई वहां के लोगों की दूर हो सकती है। बस्ती स्टेशन से जो शहर तक सड़क जाती है उसकी हालत भी बहुत खराब है और डुमरियागंज वाली सड़क जहां का प्रतिनिधित्व हमारे मित्र शिवनारायण जी करते हैं बहुत खराब हालत में है। वह तो सारे सूबे की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन वह इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं करते उनको चाहिये कि माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करावें और प्रार्थना करें कि बस्ती के लोगों के कल्याण के लिये वहां की सड़कों की ओर भी कुछ रुपया लगावें।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में जो कुछ काम किया गया है और जो कुछ प्रगति आगे की जा रही है उसकी सूचना हमें इस पुस्तिका से मिलती है। इसके पहले पेज पर जो नकशा दिखलाया गया है, इस नकशे को देखने से यह मालूम होता है कि इस योजना में इस विभाग की जो सड़कें हैं वह ४ भागों में बंटी हैं। एक तो नेशनल हाईवेज हैं, दूसरे प्राविंशियल हाईवेज हैं तीसरे लोकल बाडीज की सड़कें हैं और चौथे ग्रामीण सड़कें हैं। जहां तक इन सड़कों के निर्माण का सम्बन्ध है यह सड़कें अधिकतर उन स्थानों में बनायी गयी हैं जहां रेल जा रही है। नेशनल हाईवेज भी रेल के पेरलल ही जा रहे हैं और इसी तरह से प्राविंशियल हाईवेज भी रेल के ही पेरलल जाते हैं यानी यह सब करीब-करीब पेरलल ही चलते हैं। जहां दूसरे आवागमन के साधन हैं वहां यह सड़कें बढ़ती जाती हैं और एक अनप्लान्ड तरीके पर यह प्लान बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जहां बिलकुल सड़कें नहीं हैं और कोई साधन नहीं हैं उन इलाकों की तरफ सरकार को अब अधिक ध्यान देना चाहिये और ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिये कि जहां कोई

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

भी यातायात का साधन नहीं है वहां भी लोगों का कष्ट दूर हो। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उत्तरी हिस्से को देखिये, न वहां नेशनल हाईवेज है, न रेलवेज हैं, न प्राविंशियल रोड्स हैं, न मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पर्वतीय इलाकों का इन अनुदानों में ज्यादा हक होना चाहिये। अगर पर्वतीय इलाके का सुधार होना है, अगर पर्वतीय इलाके का डेवलपमेंट होना है तो वहां के रास्ते और वहां के यातायात में सुधार किया जाय। दूसरी बात यह है कि इस प्रदेशीय सरकार के अन्य जितने भी बजट हैं, उनमें पर्वतीय इलाके को नेगलेक्ट किया जाता है। जब इर्रीगेशन का बजट आता है तो कह दिया जाता है कि वहां नहरें निकालना अनप्रोडक्टिव है, इस वास्ते इर्रीगेशन के बजट में उसे कोई शेयर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जब पावर का बजट आता है, एलेक्ट्रिसिटी का बजट आता है तब भी पर्वतीय इलाके का कोई खयाल नहीं किया जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए पर्वतीय इलाके में खासतौर से पी०डब्लू०डी० की रोड्स अवश्य होनी चाहिये। क्योंकि सेक्योरिटी प्वाइंट आफ व्यू से, सुरक्षा की दृष्टि से या और भी किसी दृष्टिकोण से देखिये तो पर्वतीय इलाके को मैदानी इलाके की सड़कों से मिलाना बहुत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यहां पर गंगोत्री रोड व यमुनोत्री रोड के सम्बन्ध में कुछ यह कहा है कि पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत आ गयी हैं। इससे माननीय सदस्यों को यह भ्रम हो सकता है कि वहां तक मोटर की सड़क चली गयी है। अध्यक्ष महोदय, आज तक उन सड़कों को नेशनल हाईवेज डिक्लेयर होना चाहिए था और अभी तक नहीं किया गया है सरकार ने पिछले साल से उसे पैदल सड़क बनाया है। गंगोत्री व यमुनोत्री रोड जो पिलग्रीम्स रोड्स हैं और इसके साथ ही साथ जो पिलग्रीम्स यात्री हैं उनकी सुविधा की दृष्टि से देखिये, चाहे टूरिस्ट प्वाइंट आफ व्यू से देखिये, चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के प्वाइंट आफ व्यू से देखिये इन सड़कों को नेशनल हाई-वेज हो जाना चाहिये था लेकिन नेशनल हाई वेज को कौन कहे, अभी तक ये प्राविंशियल रोड्स भी नहीं है। इस साल उनको सिर्फ पैदल रोड के रूप में लिया गया है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं, सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत यहां चरितार्थ होती है। पिछले साल पी०डब्लू० डी० के जितने भी पुल थे वे सब के सब बह गये और उसकी वजह से बहुत सी जानें भी चली गयीं जिनका सरकार को पता भी नहीं है। बहुत सी लाशें बह जाती हैं और कई दिनों के बाद जब बहती हुयी लाशें दिखलायी पड़ती हैं तब मालूम पड़ता है कि कोई आदमी बह कर मर गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि गंगोत्री व जमुनोत्री की सड़कों को पी० डब्लू०डी० को अपने हाथ में लेकर ऐसा प्रबंध करना चाहिये ताकि वे सड़कें ठीक रह सकें। नरेन्द्रगढ़ तक जो सड़क जाती है उसमें कुछ सुधार हो रहा है और धरासू रोड जो जाती है उसको दो महीने से बिलकुल बन्द कर दिया गया। पी०डब्लू० डी० के कर्मचारी साल भर तो बैठे रहते हैं और आखिर में मार्च के महीने में काम शुरू करते हैं और दो महीने के लिये ट्राफिक बिलकुल बन्द कर देते हैं। उसके बाद फिर बरसात आ जाती है जिससे रोड्स बन्द हो जाते हैं। तो इन रोड्स की तरफ सरकार को खासतौर से ध्यान देना चाहिये और धरासू रोड को जल्दी खुलवा देना चाहिये।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फ़र्रुखाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है देखने से यह प्रतीत होता है कि जितना अनुदान इस विभाग के कार्यों के लिये होना चाहिये उतना नहीं है। मैं इस के लिये माननीय मंत्री जी और अपनी सरकार से निवेदन करना उचित समझता हूं कि इस विभाग का अनुदान भविष्य में और बढ़ाया जाय जिससे हमारे प्रदेश में ज्यादा निर्माण कार्य हो सके और जिससे हमारे प्रदेश के जो अधूरे निर्माण-कार्य पड़े

हैं जैसा कि बतलाया गया है वह पूरे किये जा सकें, क्योंकि और सब कामों के साथ-साथ सड़कों का निर्माण होकर यातायात का ठीक प्रबंध होना बहुत आवश्यक है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और प्रदेश के विभिन्न भागों में जो उपज होती है वह ठीक से कस्बों और शहरों के बाजारों में पहुंच जाय इसलिये यातायात की बहुत आवश्यकता है। इसकी सुविधा हो जाने से हमारे प्रदेश के किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं और जिनके ही जरिये से हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी आमदनी होती है परन्तु हम उनको पूरी सुविधायें इस सम्बन्ध में नहीं दे पा रहे हैं। यदि सड़कें ठीक हों तो वह अपना सामान बाजारों तक अच्छी तरह से पहुंचा सके, उनको अच्छी कीमत मिले और उनका उद्धार हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा अपने जिले फर्रुखाबाद के सम्बन्ध में निवेदन कर देना यहां पर जरूरी समझता हूं। जहां तक मेरे जिले की बात है बदकिस्मती से न तो उसका पूर्वी जिलों में शुमार होता है जहां कभी अनावृष्टि और कभी अतिवृष्टि के कारण बहुत से टेस्ट वर्क आदि के काम कराये जाते हैं और पश्चिमी जिलों में भी इसका शुमार नहीं है, न पहाड़ी जिलों में ही यह आता है। यह मध्य में है जिसका न इधर शुमार और न उधर शुमार और इस वजह से बहुत से निर्माण—कार्यों की इसे जिले में उपेक्षा की जाती है। जहां तक पिछले होने वाले निर्माण—कार्यों का सम्बन्ध है रिपोर्ट देखने से ज्ञात होता है कि फर्रुखाबाद में जो काम किये गये वे बिलकुल नगण्य हैं। वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ३४ मील सड़क पुनर्निर्माण के लिये ली गयी। उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आज उस सड़क की हालत जो फर्रुखाबाद से कायमगंज कम्पिल तथा कन्नौज से तिरवा जाती है यह हो रही है कि उनपर यातायात बिलकुल असम्भव हो रहा है और इन पर गाड़ियां चलना तो सम्भव ही नहीं है। सरकारी अधिकारी मोटरों से पहुंचने की हिम्मत नहीं करते और जाते भी हैं तो वह कहते हैं कि इन सड़कों पर सरकारी गाड़ियों में खराबी आ जायगी, इसलिये इन पर चलाना मुनासिब नहीं है। इसके साथ ही जो कच्ची सड़कें हमारे जिला बोर्ड से निर्माण के लिये ली गयीं वह नहीं के बराबर नव—निर्माण की गयी बाकी बची सड़कें सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो हालत है वह इस सदन से और इस सरकार से छिपी नहीं है। उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वह इन सड़कों को ठीक करा सकें। जिला बोर्ड की और सड़कें लेना तो अलग रहा, जो ली भी गयीं उनको भी वापस कर दिया गया है और उन सड़कों पर जो मिट्टी डाली गयी थी वह भी बरसात में नयी मिट्टी की वजह से कट गयी है और उन पर जो गाड़ियां पहले चलती थीं अब उनका भी चलना असम्भव हो गया है। पुलियों के लिये ह्यूम पाइप्स पहुंचाये और पहुंचने के बाद भी वे वहां पड़े रहे और लगाये नहीं गये जिसकी वजह से जहां पर पुलियां बनने को थीं वहां पर अब नाले बन गये हैं और यातायात कतई नहीं हो पा रहा है। तो इसके सम्बन्ध में मैं सरकार से यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि पी०डब्लू०डी० से जो काम कराये जाते हैं उनके लिये करोड़ों रुपये आज इसे दिये जाते हैं। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी रुपया दिया जाय और उससे यह देखा जाय कि कहां तक प्रांत में सड़कों का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एजेंसी से ठीक हो सकता है।

इसके अतिरिक्त जो काम फर्रुखाबाद जिला में बाकी रह गया है और नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य में बहुत कुछ होना है परन्तु नहीं हुआ है, इसे आगामी पंचवर्षीय योजना और चालू वित्तीय वर्ष में हमारे जिले के बहुत से कामों को लेकर माननीय मंत्री जी

[श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी]

ठीक करावें। एक सड़क फर्रुखाबाद से छिबरामऊ तक जाती है। यह १५ मील लम्बी है और यह देखेंगे कि छिबरामऊ क्षेत्र की बहुत सी उपज इस सड़क के न होने के कारण किसान फर्रुखाबाद तक नहीं पहुंचा पाता है। इस सड़क के बन जाने से छिबरामऊ और फतेहगढ़ जो जिले और तहसील के हेडक्वार्टर हैं कुल १५ मील दूरी है उसके लिये आज करीब ३५ और ४० मील आने जाने का रास्ता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे निर्माण मंत्री जी इस चालू वर्ष में इस सड़क को अवश्य लेकर वहां की जनता को जो तकलीफें हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

दूसरी सड़क परवना से बिहार, मकनपुर को जाती है। यह केवल ५ मील की सड़क है। यह एक स्टेशन रोड है और इसके अलावा परवना स्टेशन तक पहुंचने के लिये कोई भी ठीक रास्ता नहीं है। इसलिये इस सड़क के बन जाने से उस क्षेत्र के लोगों को काफी आराम होगा और सहूलियत होगी। मुझे आशा है कि माननीय निर्माण मंत्री जी इस वित्तीय वर्ष की योजना में इन दोनों सड़कों को लेकर आगे पंचवर्षीय योजना में हमारे जिले का कोटा नवनिर्माण का आगे पूरा करने की कृपा करेंगे। देखने से मालूम हुआ है कि बहुत से जिलों में जितना बनने को था उससे अधिक बन कर तैयार हो गया है, लेकिन मेरा जिला फर्रुखाबाद तथा और भी कुछ जिले हैं जहां ध्यान नहीं दिया गया है इसलिये माननीय मंत्री जी हमारे जिले के कोटे को आगामी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने के लिये अवश्य ध्यान रखने की कृपा करें।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के लिये माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। वह केवल इसलिये नहीं कि इस सदन कि ऐसी प्रथा रही है बल्कि इस लिये कि अब से कुछ समय पूर्व मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक पुल की ओर एक प्रश्न के द्वारा दिलाया था जो सन् १९४९ में एक बाढ़ के प्रकोप से टूट गया था। आज लगभग एक वर्ष के अन्दर ही करीब ३ लाख ५८ हजार की लागत का पुल हमारे निर्वाचन क्षेत्र में तैयार होने को है और उसके लिये मैं आशा करता हूं कि जून मास तक वह जो उसका अनुमानित व्यय था उसमें बचत दिखा कर करीब ३ लाख ४० हजार में पूरा हो जायगा। तो जहां तक इतनी तत्परता के साथ एक कार्य को पूरा करने की बात है, मैं माननीय मंत्री महोदय को और आपके द्वारा उनके विभाग को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता।

लेकिन साथ ही मैं कुछ विशेष बातों के लिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं, जिनको मैंने अपने अनुभव से आवश्यक समझा है। उनमें मुख्य बात यह है कि जो मजदूर, जो श्रमिक, इस विभाग में सड़कों पर बेलदारों के रूप में, मेंटों के रूप में या दूसरे तरीके पर काम करते हैं, आज भी उनको उनकी सेवाओं के लिये स्थायी नहीं किया गया और केवल स्थायी नहीं, मुझे तो यह जानकार आश्चर्य हुआ कि इस विभाग के मजदूरों को ३० रुपये और ३५ रुपये मासिक वेतन मिलता है और उस वेतन के साथ साथ जो और सरकारी कर्मचारियों को दूसरी रियायतें दी जाती हैं, उनमें से कोई रियायत उनको नहीं दी जाती है। महंगाई भत्ते का प्रश्न है, उनके प्राविडेंट फंड का प्रश्न है, उनकी पेंशन का प्रश्न है और यही नहीं, बल्कि आवश्यकताओं के समय, शादी विवाह के मौके पर, या बीमारी के समय वे बेचारे छुट्टी पाने के भी अधिकारी नहीं हैं। छुट्टियों के लिये जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके उच्चाधिकारी होते हैं उनकी दया पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। मैं यह आशा करता था कि यह विभाग जैसे ही वर्तमान मंत्री महोदय के हाथ में आया था, उनका ध्यान तुरन्त उन श्रमिकों की ओर जाना चाहिये था, लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अब तक उनकी सेवाओं के लिये कोई नियम या उप-नियम इस विभाग की ओर से नहीं बना। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में अगले वर्ष मुझको यह अवसर मिलेगा कि मैं माननीय मंत्री महोदय को इस कार्य के लिये बधाई दूं।

इसके बाद जहां तक भ्रष्टाचार की बात कही गयी है उससे कोई साहब इन्कार नहीं कर सकते कि आज सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन देखना यह है कि इस भ्रष्टाचार के दूर करने में हमारी सरकार कहां तक सफल हुयी है। मैं याद दिलाऊं माननीय नारायण दत्त जी को कि उन्होंने सुना होगा कि हमारे माल मंत्री महोदय ने जिस समय अपना बजट भाषण किया जब उन्होंने बताया कि हमने भ्रष्टाचार के सिलसिले में कितने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अलग किया है, कितनों को जबर्दस्ती रिटायर किया है, कितनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो रही है। इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी कुछ न कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी होगी, जिन का विवरण माननीय मंत्री महोदय ने अपने व्याख्यान में नहीं दिया और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी यह सरकार और हमारे विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचार दूर करने की पूरी कोशिश में हैं। मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिये इस प्रकार का एक यह कदम इस डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया गया है कि ३५ हजार या इससे ज्यादा लागत के जितने काम होंगे उनकी पैमाइश ओवरसियर नहीं करेंगे बल्कि इंजीनियर या ऊपर के अधिकारी करेंगे। तो मैं यह समझता हूं कि यह कदम एक ठोस कदम है। जो १० प्रतिशत ओवरसियरों द्वारा पब्लिक का पैसा बरबाद होता था वह बचेगा। जहां तक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स की पोस्ट के खत्म करने का प्रश्न है, मैं नहीं समझ पाया कि उस पर क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है, जिस प्रकार कि कमिश्नरों को पद को तोड़ने के लिये महत्व दिया गया था। कमिश्नरों का पद तो अत्यन्त आवश्यक था और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स की पोस्ट्स तो और भी आवश्यक हैं, क्योंकि यदि इनको तोड़ दिया गया तो चीफ इंजीनियर और ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर के बीच में और कोई पद बाकी नहीं रह जायगा। जिस तरह से कमिश्नरों के पदों को अनावश्यक समझ कर तोड़ दिया गया है उसी तरह से इनको भी कहीं अनावश्यक न समझ लिया जाय। जहां कि आप ओवरसियरों से जिम्मेदारी छीन कर ऊंचे अधिकारियों को दे रहे हैं वहां हैं पर इन पदों को तोड़ना कहां तक ठीक होगा ?

मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक सड़क जो चंदौसी और अलीगढ़ को मिलाने वाली है वह पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका उपयोग एक पुल के न होने के कारण नहीं हो पा रहा है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में यह विभाग इस नदी पर पुल बनाकर इस सड़क को उपयोगी बनायेगा। साथ ही एक छोटी सी सड़क जिसके लिये मैंने कई बार माननीय मंत्री जी का ध्यान भी दिलाया है कि यह सड़क चंदौसी और संभल दोनों स्थानों को मिलाती है, मुझे आशा है कि इसकी ओर वह ध्यान रखेंगे। पुनः मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे जिले में एक सड़क गो वह मेरे यहां से ताल्लुक नहीं रखती है फिर भी ठाकुरद्वारे और बिजनौर को मिलाने वाली बनायी जा रही। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मजदूरों के सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान जायगा।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में जो भाषण हुये उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह ऐसा विभाग है जो बहुत दिनों से बदनाम है। मैं समझता हूं कि यह विभाग हमारे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि दुनियां के और देशों में भी इसी तरह से बदनाम है और इसकी ऐसी ही स्थिति है। दुख श्रीमन्, इस बात का है कि मुल्क की आजादी के छः वर्ष के बाद भी जब कि और दूसरे अन्य विभागों ने जनतंत्र प्रणाली में अपने अन्दर काफी सुधार किये हैं लेकिन इस विभाग में कोई विशेष सुधार हुआ दिखायी नहीं देता है। इसके काम का स्टैन्डर्ड आज भी उतने ही नीचे के स्तर का है जो पहले था। जो कंट्रेक्टर्स से कमीशन बंधा हुआ था उसमें कतई कमी नहीं आयी है, अगर बढ़ोत्तरी नहीं हुयी है। भ्रष्टाचार भी वैसा ही बना हुआ है। सड़कें जो बनायी जाती हैं उनका काम पूरा नहीं हो पाता और वह खराब होनी शुरू हो जाती है। काम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। इसका नमूना आपका दारुलशफा मौजूद है। यहां पर चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स तथा पूरा स्टाफ मौजूद था लेकिन इन सबके होते हुये किस तरह से इसका एस्टीमेट बढ़ा और काम भी समय के अन्दर खत्म नहीं किया गया और कितना बढ़िया काम हुआ वह तो हमारे आपके सबके सामने मौजूद ही हैं।

इसके बाद दूसरी बात जो इंजीनियरिंग वगैरह के सम्बन्ध में है, उसके सम्बन्ध में हम देखते हैं कि चाहे सड़क हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो जब इनका एस्टीमेट बनाया जाता है तो यह तो संजीदगी से बनाते नहीं हैं या जितनी अटेंशन देनी चाहिये उतनी अटेंशन लोग देते नहीं हैं। उसका अंजाम यह होता है कि काम नामुकम्मिल होता है और एस्टीमेट ढाई गुना और तीन गुना बढ़ जाता है और समय के अन्दर काम खत्म नहीं होता है। शायद ही कोई ऐसा काम हो जो टाइम के अन्दर खत्म हो जाता हो।

इसके बाद कांट्रैक्ट्स के बारे में कहूंगा कि आज भी स्थिति असंतोषजनक है। हमारे यहां कहने के लिये कंट्रैक्टर्स का क्लासीफिकेशन तो है लेकिन वह कोई साइंटीफिक तरीके से नहीं है और कोई ठीक तरीका टेंडर ऐक्सेप्ट करने का नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नये ठेकेदार ऐसे आते हैं जिनको कोई एक्सपीरिएंस नहीं होता, उनको बड़े बड़े काम दिये जाते हैं। वह काम को अंजाम दे नहीं पाते और गवर्नमेंट को नुक्सान होता है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि वह एक साइंटीफिक बेसिस बनायें कंट्रैक्टर्स का और बड़े बड़े काम उनको दिये जायं, जो उसके लिये टेक्नीकल स्केल रखते हों और जो खुद इंजीनियर्स अपने यहां रखते हों। एक तरीका यह है कि कंट्रैक्टर्स के जितने बिल्स हैं वह हमारे ही विभाग के ओवरसियर्स बनाते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि वह ओवरसियर्स जिनका काम यह है कि वह कंट्रैक्टर के काम को देखें कि कितनी प्रगति हुयी है, उसका काम संतोषजनक है या नहीं, जब वही अफसर ९९ परसेंट केसेज के अन्दर बिल्स बनाकर देते हैं तो उस कंट्रैक्टर की क्या चेकिंग होती होगी। तो यही सब से बड़ी चीज भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली है।

इसके बाद सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स की बात कही गयी। कुछ लोगों का कहना है कि वह बेकार हैं, किसी ने कहा कि बहुत मुनासिब पोस्ट है। श्रीमन, इसी सरकार ने एक इकोनामी कमेटी बनायी थी कुछ साल पहले। उसकी सिफारिश थी कि यह पोस्ट बिलकुल सुपरफ्लुअस है और इसको खत्म कर देना चाहिये। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ कमेटी बैठायीं। उनकी भी रिपोर्ट यही थी कि खत्म कर दी जाय। मैं भी आज पूरे एम्फेसेस के साथ कहना चाहता हूं कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स की पोस्ट बेकार है और वह खत्म कर दी जाय और उस कमी को पूरा करने का जैसा कि महीलाल जी ने कहा, यह तरीका हो सकता है कि जो फाइल सैंक्शन की अथारिटी है उसको दूना ढाई गुना बढ़ा दें, तो काम का बटवारा हो सकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५३ ३०—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य-अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा, तथा अनुदान संख्या ४५ लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा

ट्रांसपोर्ट डिवीजन की बात कही गयी और वह बहुत ठीक है। ट्रांसपोर्ट डिवीजन पर १८-१९ लाख रुपया खर्च होता है। जबकि हमारे देश के अन्दर इतने प्राइवेट कैरियर्स मौजूद हैं। वार टाइम में भले ही जरूरत रही हो, लेकिन आजकल तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट को अपने ट्रक्स रोक देने चाहिये। जबकि हमको यह भी मालूम है कि गवर्नमेंट के जो चार्जेज हैं वह प्राइवेट ट्रक्स से ड्योढ़े और दूने हो जाते हैं, तो इन हालात में मेरा कतई यह सुझाव है कि जितनी भी गाड़ियां इन विभागों में हैं उनको बिदड्रा कर लें। अगर इंजीनियर साहब को देना है तो उनको गवर्नमेंट लोन एडवान्स कर दे ताकि वह उन गाड़ियों को खरीदें

इसके बाद मुझे यह कहना है कि यह जो परचेज सिस्टम है यह बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है। तो मैं यह सुझाव रखूंगा कि परचेज बोर्ड कायम किया जाय उसके लिए और उसके थ्रू परचेज की जायं।

अन्त में मुझे यह बात कहनी है कि जब मैंने बजट को देखा तो जहां और बहुत से कामों के वायदे किये गये हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बरेली भी है जिसका नाम छ-सात डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, लेकिन उस जिले में श्रीमन्, एक काम भी नहीं किया गया है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनकी निगाह अगर हम लोगों की तरफ भी हो जाया करे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारे यहां सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहां यदि मंत्री जी की कृपा हो जाय तो वह डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा आगे को बढ़ सके। इतना ही कहना है और मैं उनको बधाई देता हूं। जो कुछ किया, ठीक किया।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुल्क का विकास ज्यादातर मुनहसिर होता है पी०डब्लू०डी० विभाग पर और विभाग की सफलता मुनहसिर है उसके कर्मचारियों की ईमानदारी, योग्यता और तुन्देही पर। श्रीमन्, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह विभाग भ्रष्टाचार के लिए सब से बदनाम है और जब भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो इस बात की आशंका होती है कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह विभाग बना है वह लक्ष्य प्राप्त भी हो सकेगा या नहीं। ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। क्योंकि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर भी बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन इस विभाग का एक रवैया बन गया है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि ऐसे नाकाबिल ठेकेदारों को ठेके दिये जाते हैं जो नये होते हैं, तथा जिन्हें टेक्निकल जानकारी नहीं होती। और जिन लोगों की क्वालिफिकेशन केवल इतनी ही है कि सब से लोएस्ट टेंडर देते हैं १० परसेंट का सवाल तो एक अनधिकृत कानून सा बन गया है। वह तो बहरहाल उस धनराशि में से जायगा ही जो उस काम के लिए मुकर्रर है। लेकिन श्रीमन् वह जो काम करते हैं उसके ऊपर इस तरह की वह सीमेंट की टीप लगा देते हैं कि उसके सम्बन्ध में कुछ मालूम नहीं हो सकता। ओवरसियर्स तो जानते ही हैं। इंजीनियर साहब को भी मौका नहीं मिलता देखने का। नतीजा यह होता है कि जब वह काम या सड़क बनती है तो उसके बनने के साथ ही उसके उजड़ने का भी अंदेशा हो जाता है और इस प्रकार विभाग के लिए तथा विभागीय कर्मचारियों के लिए एक परपेचुअल सोर्स आफ इनकम बन जाती है और जनता के लिए एक परपेचुअल सोर्स आफ ट्रबुल हो जाता है। इसके साथी ही साथ जो वहां उसके कुली होते हैं उनकी मजदूरी नहीं दी जाती। यह एक बड़ा जुर्म है जिसकी मुजरिम सरकार भी है और ठेकेदार भी हैं। इसके साथही साथ मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि आखिर सरकार की कौन सी नीति है सड़कों के छांटने में। मैं तो समझता हूं कि सारी नीति पक्षपातपूर्ण है। मैं यह नहीं समझ पाया कि सरकार किस आधार पर किन सड़कों को

[श्री सत्यसिंह राणा]

प्राथमिकता देनी है, किनको नेशनल हाईवेज में, किनको प्राविंशियल और किनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों में रखना चाहती है। श्रीमन्, जब मैं इस सरकार के बजट को देखता हूं और अपने जिले टिहरी गढ़वाल की तरफ ध्यान देता हूं तो मैं क्या बताऊं कुछ समझ में नहीं आता। हमारे यहां इस सरकार को आये हुए चार पांच साल हो गये लेकिन अब तक एक भी नयी सड़क का निर्माण नहीं हुआ और इसका उदाहरण मैं एक पुस्तिका है इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की उसमें से देना चाहता हूं। जब कि अल्मोड़ा में ९९ मील, नैनीताल में ५२ मील, और गढ़वाल में १० मील लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है, टेहरी गढ़वाल में १ मील भी सड़क नहीं बनी है। मेरा मतलब यह नहीं है कि अल्मोड़े में न बनाइए या नैनीताल में न बनाइए, वहां भी बनाना आवश्यक है लेकिन मेरा मतलब यह है कि टेहरी गढ़वाल की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। टेहरी गढ़वाल किसी भी दृष्टिकोण से विकसित जिला नहीं कहा जा सकता। वहां इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सकता है, बिजली का विकास हो सकता है, किसी भी चीज की वहां कमी नहीं है, केवल जनता वहां पर पिछड़ी हुयी है। इन सब दृष्टिकोणों से मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर सबसे पहले विकास की और सड़क निर्माण की आवश्यकता है ताकि हम तरक्की कर सकें। इसके पश्चात श्रीमन्, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजना में वह सड़कें भी ली हैं जो कि रियासत के जमाने में बनी हुयी थी, लेकिन उनका भी रख-रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। टेहरी गढ़वाल का टेहरी खास शहर है। लेकिन वहां पर भी अब तक पुल नहीं बना। उसके आगे एक सड़क घोटी तक जाती है। अभी तक इस बात का कुछ आभास तक नहीं मिला कि उस सड़क की नहर क्या होने वाला है। वह सड़क आगे जाकर केदारनाथ सड़क में मिलती है। उस सड़क की इतनी महत्ता है कि उसके दोनों तरफ टेहरी जिले का आधा पड़ता है। लेकिन माननीय मंत्री या किसी भी सरकारी अहलकार को जाने की ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि वहां आनेजाने की सुविधा नहीं है और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इसलिए वह सड़क वैसी की वैसी पड़ी हुयी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरह से उसका रखरखाव ठीक तरह होगा। श्रीमन्, जो बजट में रहता भी है वह किस प्रकार खर्च होता है उसके आंकड़े भी मैं रख देना चाहता हूं। धरासू सड़क के लिए १९५१-५२ में २ लाख रुपये रखे गये खर्च हुये सिर्फ ३९ हजार रुपये। १९५२-५३ में २ लाख २५ हजार रुपये रखे गये जिसमें से खर्च हुए १ लाख ५० हजार रुपये। इस साल भी २ लाख ४५ हजार रुपया रखा हुआ है। तो श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार यह भी पूरा इस्तेमाल होगा या नहीं। एक बात और आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि टेहरी जिले का विकास करना ही है और वहां पर मोटर की सड़कों का बनाना अनिवार्य है। पहले तो जो अप्रूवल बहुत देर में मिलती है गवर्नमेंट से, वह अप्रूवल जल्दी दे दिया करें। जब कभी डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से पूछते हैं तो वह कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट से अभी अप्रूवल नहीं आया है। पता नहीं, चीफ इंजीनियर के यहां और और जगहों पर क्या होता रहता है कि इतनी देर में आर्डर जाता है? दूसरी बात यह है कि पौड़ी में जो इसका डिवीजन है वह काफी दूर हमारे यहां से पड़ता है। मेरा सुझाव यह है कि टेहरी की उन्नति के दृष्टिकोण से वहां पर एक अलग डिवीजन बनाया जाय एक अलग इग्जिक्यूटिव इंजीनियर हो और अगर यह न सम्भव हो सके तो देहरादून डिवीजन के साथ हमारा जिला मिला दिया जाय जिससे हमको सुविधा मिल सके।

चन्द दिन पहले मैं माननीय मंत्री जी से मिला था और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था। मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी फिर ध्यान देंगे और हमारे पिछड़े इलाके को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जरूर करेंगे।

१९५४–५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५५ ३०–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य-अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३२–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य और ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४५ लेखा शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी–लेखा

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं उन्हें बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस प्रदेश के उस जिले के रहने वाले हैं जहां दरिद्रनारायण का एक मात्र स्थान है। इस जिले पर प्रकृति अपना विकराल कोप तो रखती ही है साथ ही साथ हमारे मंत्री जी की महान् कृपा होते हुए भी जो कुछ भी पैसा अनुदान के रूप में वहां सार्वजनिक निर्माण के लिए रखा जाता है उसकी तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो हमें अंधकार मालूम होता है और हमें उस महान् विद्वान् की कहावत याद आ जाती है कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग अब शत्रु नम्बर दो से एक बन गया है।

हमारे जिले में खास तरीके से दो पक्की सड़कें हैं जिनकी हालत यह है कि उनके लिए जो कुछ भी ऐनुअल रिपेअर में रखा जाता है उससे एक तरफ उसका ऐनुअल रिपेअर होता है और दूसरी तरफ चार ही दिन के बाद पैच रिपेअर का काम आरम्भ हो जाता है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कोई युक्ति ऐसी निकालें कि इस प्रकार सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं उसकी रोकथाम हो सके, ताकि यह राज्य का पैसा जो बहुत मेहनत से इकट्ठा किया जाता है, उसका इस प्रकार दुरुपयोग न हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले की कुछ चन्द सार्वजनिक निर्माण विभाग की बातों की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो अत्यन्त आवश्यक हैं। हमारे जिले में बांस गांव एक ऐसी तहसील है है जिसमें रेलवे लाइन एक इंच भी नहीं गयी है। उसमें एक कच्ची सड़क गोरखपुर से बड़हलगंज वाया शिकरीगंज जाती है, जिसकी लम्बाई लगभग ४८ मील है। यह सड़क बस्ती और गोरखपुर की सरहद से जाती है। इस सड़क की उपयोगिता उस तहसील के रहने वाले उसी तरह से मानते हैं जिस तरीके से पूर्वी जिले वाले या इस प्रदेश के बहुत से लोग रिहन्द डैम की उपयोगिता समझ रहे हैं। इस तरफ माननीय मंत्री महोदय का काफी ध्यान पहले भी दिलाया जा चुका है और मैं फिर उनका ध्यान खासतौर से इधर दिलाना चाहता हूं। उस सड़क के बन जाने से उस तहसील का पूरा कल्याण हो जायेगा। हम विकास का और कोई कार्य वहां नहीं चाहते। जितना रुपया भी मिल सके वह इस सड़क के बनवाने पर लगा दिया जाये। जब माननीय उपमंत्री जी हमारे यहां गये थे तो हम लोगों ने उनसे वहां जाने के लिए निवेदन किया था लेकिन उनकी भी हिम्मत इस सड़क पर चलने की नहीं पड़ी। यह कह देना अतिशयोक्ति न होगी कि बहुत सी हामला औरतों के हमल इस सड़क पर चलते-चलते गिर चुके हैं। इस विधान सभा के आठ सदस्यों का घर इस सड़क पर पड़ता है। जब कभी वह घर जाते हैं तो उन्हें वहां के रहने वाले फटकार देते हैं और सदस्य लोग शर्मिन्दा हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जिले में नैपाल की तराई नौतनवा की तरफ एक सड़क जाती है, जो कि नैपाल से सम्बन्ध रखती है उस तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका पक्का होना निहायत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यदि हमारे जिले में पुलों का निर्माण दोहरीघाट पर कर दिया जाय तो उससे बनारस, इलाहाबाद, आजमगढ़ और गोरखपुर का सम्बन्ध स्थापित हो जायगा और यातायात तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिये इनका निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर सरकार इधर ध्यान दे तो हमारे जिले का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले को और कोई नयी योजनायें न देकर यदि यातायाये की सहूलियत दे दी जाय तो हम अपनी गरीबी की बहुत सी समस्यायें हल कर सकेंगे। इसलिए

[श्री रामअवधसिंह]

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह खासतौर से इस पिछड़े हुए जिले की ओर, जिस पर प्रकृति के अनेकों कोप रहते हैं, अगर कोई खास तवज्जह न देंगे तो उसका कल्याण नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करता हूं और सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले हुए हुए भ्रष्टाचार को दूर करने और जो कुछ रुपया मिलता है उसके सदुपयोग के लिये निवेदन करता हूं।

श्री राम भजन (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, यों तो यह अनुदान बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है और इस अनुदान पर हमारे प्रदेश की उन्नति और प्रगति का बिलकुल दारोमदार है लेकिन मैं बहुत ही सफाई के साथ कहूंगा कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है और जितनी अनियमितता है उतनी शायद ही और किसी विभाग में देखने में आयी हो। इसी विभाग के साथ हमारी पंचवर्षीय योजना लगी हुयी है। अगर हम पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें इस विभाग को ठीक करना होगा और उसे ठीक रास्ते पर लाना होगा लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी स्थिति है कि यह विभाग दिनों दिन बिगड़ता ही जा रहा है । आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिये और उसकी समृद्धि के लिये सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। लेकिन हमारे प्रदेश की सड़कें जितनी जर्जर अवस्था में हैं उतनी और कहीं की न होंगी । मैं खासतौर से अपने जिले की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह जिला न पूर्व में गिना जाता है, न पश्चिम में गिना जाता है और न पहाड़ी एरिया में गिना जाता है, मुझे पता नहीं, इसके लिये क्या संज्ञा दूं और कैसा चित्र रखूं लेकिन यह बतलाना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में जंगल, जूट और उसके रकबे के लिहाज से इस बात की बहुत आवश्यकता है है कि वहां सड़कों को दुरुस्त किया जाय। मैं आपका ध्यान इस ओर विशेषतौर से दिलाना चाहता हूं कि अभी थोड़े ही दिनों का अर्सा हुआ कि लखीमपुर से निघासन रोड तैयार हुयी और उसके बाद चरण सिंह साहब को निघासन जाना पड़ा। मेरे साथ में हमारे जिले के एम०एल० ए० श्री करम सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने जब यह बतलाया कि यह डामर सड़क अभी तैयार हुयी थी लेकिन यह खत्म हो गयी और अब वहां पता ही नहीं चलता कि वह सड़क बनी थी या नहीं बनी थी तो उनकी बात सुन कर हैरत हुयी। इसकी शिकायत की गयी लेकिन पता नहीं चला कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और इसके अलावा तारकोल का गबन हुआ, उस पर इन्क्वायरी कमेटी बैठी लेकिन उसका भी पता नहीं चला कि उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस विभाग में इसी तरह की धांधली रही तो पता नहीं कि इस विभाग का उद्धार कैसे होगा । देश के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि हम किफायत से काम करें लेकिन यह विभाग इन सब चीजों से परे गलत तरीके पर चल रहा है। इस विभाग को दुरुस्त करने की काफी आवश्यकता है। जब तक सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जाता, जब तक निर्माण कार्य में सफलता नहीं मिलती तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता । यह बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ करोड़ों रुपया इस विभाग के लिये रख दिया जाय और दूसरी तरफ जो सड़क बने वह साल भर में खराब हो जाय। अगर इस तरह से काम बनता रहा कि साल दो साल में ही सड़क खराब होती रहीं तो फिर पैसा कहां से आयेगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री सफाई, मुस्तैदी तथा चुस्ती के साथ इस विभाग का सुधार करें।

इसके बाद मैं आप का ध्यान अपने जिले की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां पर एक सड़क शाहजहांपुर में पुवायां से मुहम्मदी बखर होते हुए मैगलगंज तक जाती है। अगर हमारे इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता यानी इस सड़क निर्माण की पूर्ति हो जाय तो यह क्षेत्र शुगर के लिहाज से और गल्ले के लिहाज से और तमाम चीजें के लिहाज से बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो

सकता है लेकिन यातायात की कठिनाई की वजह से यह क्षेत्र प्रगति नहीं कर सकता। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि दूसरे जिलों में जिस तरह से जोर दिया जाता है वहां पर सड़कें बनायी जायं और काफी जोर दिया जाता है लेकिन मेरे जिले में सड़कों के ऊपर क़तई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट जिस वक्त अपनी कोई पालिसी सड़कों के बारे में मुरत्तब करे तो सब जिलों पर एक अनुपात से स्कीम बनाये और फिर उसीके मुताबिक काम करे। यह नहीं कि किसी शख्स ने ज्यादा असर डाल कर अपने जिले की तरफ ज्यादा ध्यान दिला लिया। मैं यह चाहता हूं कि सारे प्रदेश में सड़कों के लिये और इमारतों के लिये इस तरह से काम किया जाय जिसमें कि हर जिले का अनुपात ठीक ठीक हो और ठीक तरीक़े से काम किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस विभाग को सम्भालने में कामयाब हो गये तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर हम यह कह सकते हैं कि वाक़ई हमको स्वराज्य का सुख प्राप्त हुआ और उस स्वराज्य के सुख के साथ हम जनता को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि सिंचाई के बाद दूसरे नम्बर पर अगर कोई चीज आती है तो वह सड़कों की दुरुस्ती है। सड़कों की दुरुस्ती जब तक नहीं होगी और जब तक पूरे तरीक़े से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक हमारा देश न तो शिक्षा के लिहाज से, न व्यापार के लिहाज से और न स्वास्थ्य के लिहाज से आगे बढ़ सकता है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आपके द्वारा जो बहस आज इस समय इस अनुदान के ऊपर हो रही है वह विभाग एक चुस्त विभाग हो और उस विभाग का सुधार किया जाय। मैं यह चाहता हूं कि मैं ही नहीं, बल्कि जितने भी हमारे साथी और जितने भी माननीय सदस्य यहां हैं वह सामूहिक रूप से मन्त्री महोदय को धन्यवाद और बधाई दें। बधाई के मौक़े पर रस्मी बधाई की जरूरत नहीं क्योंकि रस्मी बधाई से काम नहीं चलेगा। आज देश में काम की जरूरत है, आज देश में निर्माण की जरूरत है, आज देश में सच्चाई और कर्तव्य पालन की जरूरत है। लेकिन अगर किसी विभाग में घूसखोरी और भ्रष्टाचार होगा तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ सकेगा? अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इन चीज़ों की सफ़ाई करनी होगी। विभाग में जो कूड़ा–करकट है उसको अलहदा कर के फेंक देना होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रख कर इस विभाग की तरक्की करेंगे तभी हम समझेंगे कि हमारे देश में वाकई तरक्क़ी हो रही है और काम ठीक होने लगा है।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके साथ ही साथ माननीय निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक हम निर्लोभ और निर्भय हो कर काम नहीं करते हैं तब तक हमारा काम ठीक नहीं हो सकता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है:––

"लोभी यश चह मान गुमानी, नभ दुह दूध चहत ये प्राणी।"

चाहे कोई सरकार हो या कोई व्यक्ति हो जब तक वह निर्लोभ और निर्भय नहीं होगा तक वह सही मानों में तरक्क़ी नहीं कर सकता। इसके साथ–साथ सही साधन की भी आवश्यकता है। निर्लोभ और निर्भय होने के साथ ही साथ हमें शुद्ध साधन भी चाहिये, तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है:––

"तरु कोटर मंह वसि विहंग तरू काटे मरै न जैसे।
साधन करिय विचारहीन मन शुद्ध होत नहिं तैसे॥"

[श्री उमाशंकर मिश्र]

कोई पक्षी यदि किसी पेड़ के खोंसले में बैठा हो और अगर कोई उसको पकड़ना चाहे और पेड़ काटने लगे तो इससे तो वह दरख्त भी नष्ट हो जायगा और पक्षी भी उड़ जायगा। इसलिये हमें साधन के शुद्ध होने की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

अब मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में १ लाख १३ हजार वर्गमील का क्षेत्रफल है लेकिन हमारे देश से १० हजार मील पक्की सड़कें तथा पच्चीस हजार मील कच्ची सड़कें हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। शायद ही २-४ मील ऐसे हों जिनका पुनः निर्माण न होना हो मैं लखनऊ के निकट का ही निवासी हूं मैं बाराबंकी जिला बोर्ड की सड़कों का कुछ दिग्दर्शन करा देना चाहता हूं। बाराबंकी से हैदरगढ़ को जो सड़क जाती है बरसात में उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वर्ष में ८ महीने उस सड़क पर चलना असम्भव सा रहता है। और यही अब सानेश्वर घाट होते हुए हैदरगढ़ को जाती है। इसमें गोमती दरिया बीच में पड़ता है, लेकिन उस पर से जाने के लिये कोई उचित साधन नहीं है। माननीय माल मंत्री जी गत वर्ष में उधर गये थे और नतीजा यह हुआ कि उनको घंटों उस पार करने में लग गये। २६ मील के सफर को ५२ मील तय करके जाना होता है और तहसील हैदरगढ़ का हिस्सा भारत-लंका की भांति हो जाता है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाय और अवसानेश्वर घाट या नैपुरा घाट पर एक पक्का पुल बनाया जाय।

दूसरी सड़क बदोसरांय रामनगर होते हुये बाराबंकी को जाती है। इस पर भी सड़क खराबी से यातायात का ठीक साधन नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इसकी ओर और दिलाना चाहता हूं। इसके बाद मैं सरकार का ध्यान अयोध्या जी की ओर दिलाना चाहता हूं जहां श्री गांधी घाट है, सर्वोदय का वहां हर साल मेला लगता है। घाट की दशा शोचनीय है, सरकार उसे नये घाट तक श्री गांधी घाट बनवाये। सरजू नदी पार करके लाखों की तादाद में लोग स्नान करने के लिये अयोध्या जी आते हैं। सरजू नदी पर भी एक पुल की अत्यन्त आवश्यकता है। वहां पर बड़ी दुखमय घटनाएं हुआ करती हैं। मैं पुनः जोर देता हूं कि वहां पक्के पुल की बड़ी आवश्यकता है जिससे यातायात के साधन सुन्दर हो जायं।

इसके अलावा मैं चित्रकूट परिक्रमा मार्ग का दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। परिक्रमा मार्ग बड़ी ही जीर्ण अवस्था में है, जिसको पक्का बनाना बहुत आवश्यक है। लाखों यात्री हर साल प्रत्येक माह में अमावस को वहां परिक्रमा के लिये जाते हैं, इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन मार्ग का पुनर्निमाण कराया जाय और परिक्रमा के किनारे सायादार वृक्ष लगाये जायं।

इसके अलावा हमारे बाराबंकी जिले में सरकार ने एक बहुत बड़ा औषधालय बनाने का आयोजन किया है और वह गत वर्ष से बन भी रहा है। इसके लिये मैं सरकार को कोटिशः धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस अस्पताल की देख रेख का प्रबन्ध अच्छा होना चाहिये। इसके अलावा रामसनेही घाट में एक पटेल उच्चस्तर माध्यमिक पंचायती विद्यालय खुला है, लेकिन वहां भवन का कोई प्रबंध नहीं है। इसलिये वहां भवन होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा अंसदरा शेखपुर में भी औषधालय और स्कूल के भवन का कोई प्रबन्ध नहीं है जिसकी बहुत आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि "आमदनी कलील, अयाल कसीर"। सरकार की अमदनी कम है और बालबच्चे अधिक हैं जिनका पालन पोषण भी करना है। पैसा कम होने से घबड़ाना नहीं चाहिये। मैं स्वयं नहीं घबड़ाता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा समस्त सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास है कि--

"धीरे धीरे चलरे मना, धीरे सब कुछ होय।
माली सींचे केवड़ा, ऋतु आये फल होय॥"

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दैवी और मानवीय विपत्तियों पर क़ब्ज़ा करने एवं कच्चे और पक्के माल का यातायात करके प्रदेश को धन्यधान्य पूर्ण करने का एक ही साधन है आज के युग में और इस प्रकार का साधन जिससे देश को बनाया जा सकता है वह अनुदान माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस प्रकार से इस अनुदान से हमारे प्रदेश का निर्माण होना चाहिये और जितनी प्रदेश की आवश्यकता है उसके अनुसार इस विभाग ने नहीं के बराबर काम किया है। मुझे सारे प्रदेश को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन आज़मगढ़ को जब मैं देखता हूं तो जब से सन् ४६ से यह सरकार आयी है तब से शायद ही १० मील सड़क भी जिले में बन पायी हो। उपाध्यक्ष महोदय, स्थाली पत्युक न्याय के अनुसार थाली में एक चावल को ही देख कर समझ लिया जाता है कि सारा चावल पका है या नहीं। यदि एक भी चावल पका है तो स्थाली का पूरा चावल पका है यदि एक भी कच्चा है तो सारा चावल कच्चा है। इसी तरह से मैं आज़मगढ़ जिले को ही लेता हूं और मेरा यह ख्याल है कि आज़मगढ़ के अतिरिक्त बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया, जहां प्रति वर्ष बाढ़ के कारण यातायात के साधन छिन्नभिन्न हो जाया करते हैं, दशा बिलकुल खराब है। आज़मगढ़ जिले में जहां २३ नदियां हैं वे जिले के समस्त क्षेत्र को हर साल छिन्न भिन्न करती हैं लेकिन जब मैं सरकारी दृष्टिकोण को देखता हूं कि जहां दैवी और मानवीय विपत्तियां हैं वहां उन दैवी और मानवीय विपत्तियों को रोकथाम करने की उतनी उपयोगिता जितनी की आवश्यक है सरकार की नज़रों में नहीं है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जितने पूर्वी जिले हैं, और पहाड़ी जिले हैं या मध्य के जिले हैं जो हर प्रकार से साधन हीन हैं उनकी तरफ सरकार का बिलकुल ध्यान नहीं है। मैं आप की आज्ञा से आज़मगढ़ जिले की कुछ सड़कों का नाम बतलाना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि सरकार बोर्ड की सड़कों को उनकी आर्थिक दशा हीन समझ कर ले तो लेती है लेकिन बाद में फिर उसे चन्द सालों के बाद वापिस कर देती है। समझ में नहीं आता है कि सरकार क्यों इन सड़कों को लेती है और फिर क्यों वापिस कर देती है। अगर सरकार को मालूम हो जाय कि अब बोर्ड की आर्थिक दशा ठीक हो गई है तब तो वापिस करना ठीक है, लेकिन उनकी दशा खराब रहने पर भी वापिस करने के माने तो यह हैं कि सरकार के काम बिना सोचे समझे चलते हैं। जो सड़क मधुवन से दुबारी परसिया होती हुई बलिया को जाती है उसकी दशा बहुत ही खराब है और वहां के लोग हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहते हैं उस ओर सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिये। दूसरी सड़क अम्बारी से दीदारगंज होते हुये बरदा जाती है उसकी दशा भी बहुत दयनीय है। घोसी से मोहम्मदाबाद तक की सड़क बहुत खराब दशा में है। मेहनगर से तरवा जाने वाली सड़क की हालत भी बहुत खराब है और हर साल बाढ़ में कट जाती है। एक और सड़क है जो दोहरी घाट से मधुबन जाती है यह सब सड़कें आज़मगढ़ जिले की ऐसी हैं कि बाढ़ के कारण बरसात में खराब हो जाती हैं और उन पर आना जाना बन्द सा हो जाता है और न जाने कितने पशु और आदमी प्रति वर्ष डूब जाते हैं। आज़मगढ़ की दीवानी और कलेक्टरी कहचरियों में कहीं पर लोगों के बैठने का स्थान नहीं है। वहां के अस्पतालों की दशा बहुत ही दयनीय है। परशुरामपुर का अस्पताल जो सरकार द्वारा संचालित होता है भवन के अभाव में उजड़ा हुआ पड़ा है। उसके लिये भी बजट में कोई प्रबन्ध नहीं है। स्कूलों के लिये भी कोई अनुदान नहीं रखा गया है जब कि बाढ़ के कारण तमाम स्कूल गिर चुके हैं। डाकबंगलों की हालत भी इस जिले में बहुत खराब है। जिले में ६ तहसीलें हैं लेकिन सरकारी डाक बंगले केवल पांच ही तहसीलों में हैं। घोसी बहुत बड़ी तहसील है और वहां की आबादी भी अधिक है लेकिन कोई भी डाकबंगला नहीं बनाया गया है। केवल तहसील के खज़ाने के ऊपर एक छोटा सा कमरा है जिसमें केवल जिले के सरकारी अधिकारी ही

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

रहते हैं। बाहर के यात्रियों को स्थान नहीं मिलता है। इधर भी सरकार का ध्यान विशेष जाना चाहिये। हमारे साथी राम अवध सिंह ने दोहरीघाट के पुल का जिक्र किया है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। मेरा ख्याल है कि बस्ती, गोरखपुर और देवरिया आदि जितने जिले हैं पुल न होने के कारण साधनहीन होकर पड़े हुए हैं और प्रत्येक का हर जिले से सम्बन्ध विच्छेद है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों पर जल्द से जल्द पुल बनाया जाय।

इसके अतिरिक्त दोहरीघाट के पश्चिम राजा दिवारा और कुंवरपुरवा आदि गांवों के पास जोरों से घाघरा नदी का कटाव है। पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क और बड़े बड़े कस्बे एवं गांव खतरे में दिखाई देते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कटाव को रोकने के लिये जल्द से जल्द कदम उठावे।

पुनरपि आजमगढ़ और मऊ शहर में बालिकाओं के स्कूलों की जो इमारतें हैं उनकी अवस्था बड़ी दयनीय है। आज कितने ही पुलिस स्टेशनों की इमारतें हैं जिनकी बड़ी ही दयनीय दशा है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये और उपेक्षित जिला आजमगढ़ की ओर शीघ्र ध्यान जाना चाहिये।

*श्री राम स्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग हमारा दुश्मन नम्बर १ अथवा दुश्मन नम्बर २ है। यह मद्रास की कहावत को उत्तर प्रदेश पर लगाना मैं उचित नहीं समझता। मुझे नहीं मालूम कि मद्रास प्रान्त में क्या स्थिति थी और इस कारण चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को पी० डब्ल्यू० डी० को दुश्मन नम्बर १ कहना पड़ा। लेकिन हर एक प्रान्त की स्थिति अलग अलग होती है। हमारे यहां बहुत जमाने तक तो पी० डब्ल्यू० डी० की साख मानी जाती थी। यह माना जाता था कि जो इमारत या सड़क पी० डब्ल्यू० डी० की होगी तो वह अच्छी मानी जाती थी। दूसरी बात हमारी परिस्थितियों में भी भेद है। मद्रास की चट्टानी भूमि है। हमारे यहां गंगा और यमुना का इतना बड़ा ऐलूवियल प्लेन जो संसार के सब से बड़े मैदानों में है उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। इसकी प्राकृतिक रचना भिन्न है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग की शैली सारे देश में निराली शैली होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस विभाग का और सरकार का ध्यान मौलिक सुधारों की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे प्रान्त में पिछली असेम्बली के दिनों में कुछ नमूने दिखलाये गये थे कि मिट्टी के इमारतों और मिट्टी की दीवालों में किस तरह से सीमेंट की कोटिंग करके पक्का बनाया जा सकता है, रेनप्रूफ किया जा सकता है। यह चीजें ऐसी है जिसको हमारे प्रदेश की भूमि और जलवायु के अनुसार आवश्यकता थी। मुझे नहीं मालूम कि जिस चीज का इतना प्रदर्शन किया गया था, इतना विज्ञापन किया गया था, उसका क्या हुआ, उससे कोई इमारत बनी या नहीं। अगर जनता ने इस प्रकार की इमारतें नहीं बनायी तो सरकारी इमारतों में इसका प्रयोग किया गया या नहीं। मैं अब भी चाहता हूं कि नमूने के तौर पर उसका कुछ प्रयोग सरकारी इमारतों पर किया जाय ताकि जनता उसको ग्रहण कर सके। हमारे प्रदेश में इस समय आठ या नौ भवन पालियामेंट्री सेक्रेट्री महोदयों या उपमंत्रियों के लिये निर्मित किये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे कुछ इनसे नयी शैली पर हों। देहली के प्रदर्शन में सस्ते भवन निर्माण के जो दमूने दिखलाये गये हैं मैं चाहता हूं कि यहां पी० डब्ल्यू० डी० उनका कुछ उपयोग और प्रदर्शन कर सके ताकि वे जनता में फैल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि मेरे क्षेत्र से और कानपुर के जिले से संबंध रखती है। कानपुर जिला आप जानते हैं कि वह इस प्रदेश का औद्योगिक और व्यवसायिक राजधानी माना जाता है। अतएव उसके लिये यातायात के मार्गों की जितनी आवश्यकता है उसका महत्व आप समझ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकते हैं ? लेकिन आप सारे जिले में, एक भी उसके बीच में ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे हमारा जिला खुल जाता। हमारे जिले में कई तहसीलें ऐसी हैं जहां से कानपुर आने का सीधा रास्ता नहीं है। तो मैं आप के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग का ध्यान वहां की उस सड़क की आवश्यकता की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड और मुग़ल रोड को हमारे जिले में मिला देगी और सारे जिले को खोल देगी। उसी सिलसिले में मैं डेरापुर के पुल की तरफ भी इस विभाग का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस पुल की बड़ी आवश्यकता है और उसकी ओर हमारे प्रधान मंत्री जी का भी ध्यान दिलाया गया है। उसके बन जाने से सारे कानपुर जिले के अन्दरूनी हिस्सों के व्यापार की उन्नति हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट है वह शायद इतना बड़ा ही बजट है ९ करोड़ का और कुछ लाख का कि जितना कि विद्युत निर्माण विभाग का है। इस बजट का उपयोग हम देहातों की ओर करें, देहातों के स्कूलों, इमारतों, सड़कों और पुलियों में करें और शहरों में जो अधिक व्यय हो रहा है वह न करें। समय नहीं है वरना मैं कुछ कारण भी बतलाता, लेकिन एक बात मैं सुझाव के तौर पर अवश्य कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी० डब्ल्यू० डी०) और प्लानिंग विभाग में कोआर्डिनेशन होना चाहिये। आज प्लानिंग विभाग के द्वारा सारे प्रदेश में देहातों की कच्ची सड़कों का निर्माण हो रहा है लेकिन उन सड़कों में एक भी पक्की नहीं की जा रही है। इसलिये जो मिट्टी का काम श्रमदान से होता है वह स्थायी नहीं होता। एक बार हम बता देते हैं कि श्रमदान में कई करोड़ रुपयों का काम हो गया लेकिन बाद में वह सड़कें टूट जाती हैं। अतएव पी० डब्ल्यू० डी० का कर्त्तव्य है कि जिन सड़कों का निर्माण प्लानिंग विभाग द्वारा किया जाय उनको पक्की कराने की ओर सब से पहले उनका ध्यान जाय। उन सड़कों को प्रिफरेंस और प्रायर्टी देना चाहिये।

इसी प्रकार से आज हमने देहातों में स्कूलों की संख्या तो बहुत बढ़ादी लेकिन वहां पर उनके लिये इमारतें नहीं हैं। इसलिये मैं उन इमारतों के निर्माण के लिये पुनः ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब कोई इस प्रकार की सस्ती इमारतों के नमूने देहात वालों के सामने रक्खे जायंगे तब हमारे स्कूलों की इमारतें बन सकेंगी। अब वह ज़माना गया जब कि हम पक्की इमारतें पी० डब्ल्यू० डी० से अपने देहातों के लिये तैयार करवा लेते थे।

इसके अतिरिक्त सड़कों पर पुलियों की बड़ी आवश्यकता है। मैं पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग का ध्यान सड़कों पर पुलियों के निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मेरे रचनात्मक सुझाव हैं जिनको मैं पेश कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदानों के लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विभाग के कार्यों का सम्बन्ध है उसमें उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है। हर वर्ष नयी सड़कें बन रही हैं, नये भवनों का निर्माण हो रहा है और पुरानी सड़कों की मरम्मत हो रही है लेकिन दुःख इस बात का है कि इन तमाम नये निर्माण कार्यों के बावजूद बहुत से ऐसे छोटे कार्य आवश्यक हैं जिन पर सरकार का आजतक ध्यान नहीं गया है और उन कार्यों के न पूरा होने के कारण जनता हर वर्ष हमेशा से तकलीफ उठाती चली आ रही है। इस विषय में मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान मध्यवर्ती जिलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और खास-तौर से हमारा जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ जिले में लालगंज से कालाकांकर तक एक सड़क बन गयी है, वह सार्व-

[श्री रामस्वरूप भारतीय]

जनिक निर्माण विभाग की है और पक्की है। उस पर रेवली नामक एक स्थान है। चाहे बाढ़ आवे, चाहे न आवे लेकिन वह ऐसे स्थान पर बसा हुआ है कि वहां पर सात आठ वर्ष गांव में हर वर्ष बारिश के दिनों में पानी आ कर के इकट्ठा हो जाता है और वहां सात आठ गांव डूब जाया करते हैं और उन लोगों के मकानात हर वर्ष गिर जाया करते हैं। जब वहां पर बाढ़ आती है, पानी इकट्ठा हो जाया करता है तो मजबूरन वह लोग अपने घरों की, अपनी फसलों की और दूसरी चीजों की रक्षा के लिये हर साल उस सड़क को काट दिया करते हैं और सरकार का कई हजार रुपया उस सड़क की मरम्मत में खर्च हुआ करता है। लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के बावजूद भी सरकार ने उस ओर अभी कोई ध्यान नहीं दिया है और वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। पहले तो इस सिलसिले में यह होता था कि जब वहां के लोग उस सड़क को काटते थे तो अधिकारी लोग वहां के आदमियों को गिरफ्तार कर के जेलों में बन्द कर दिया करते थे। लेकिन इस वर्ष ऐसा हुआ कि सरकार के अधिकारी उस स्थान पर खुद गये और यह महसूस किया कि दरअसल में वहां के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है और अपने सामने खड़े हो कर के उन्होंने उस सड़क को कटवाया और सरकार के पास लिख करके भेजा भी कि इस पुल का बनना बहुत आवश्यक है। लेकिन दुख उस समय हुआ जब हम इस वर्ष के बजट में भी उसके लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया।

इसी प्रकार दूसरी चीज है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विषय में। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आर्थिक परिस्थिति ऐसी बिगड़ गयी है कि वे न तो अपने सड़कों की मरम्मत करवा पा रहे हैं और न उन्हें पक्की ही करवा पा रहे हैं। ऐसी दशा में सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की कच्ची सड़कों को ले कर के उनकी मरम्मत करवाये या उन्हें पक्की करवाये। लेकिन सरकार की खुद जो कच्ची सड़कें हैं उन्हें वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को वापस कर देती है। हमारे जिले में एक सड़क जेठवारा से लालगोपाल गंज को गयी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही उपजाऊ है। लेकिन उपजाऊ होने के साथ साथ इस क्षेत्र से कई नदियां हो करके जाती हैं। हर साल यहां पर बहुत बाढ़ आ जाया करती है। इस साल जब बाढ़ के प्रकोप से पूरा जिला आतंकित था, उस समय यह क्षेत्र भी डूबा हुआ था। बावजूद इसके कि सरकार की ओर से तमाम सहायतायें मिलीं, रुपया मिला, गल्ला मिला, मिट्टी का तेल मिला, लेकिन यातायात के साधन उचित न होने के कारण सरकारी अधिकारी दो हफ्ते के बाद जब वहां पहुंचे तो खाली हाथ पहुंचे और वहां पर कोई उचित मदद न कर सके। तो इस विषय में सरकार से आप के द्वारा यह निवेदन है कि अगर इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत कर के पक्की करा दिया जाय तो इस क्षेत्र के रहने वालों को राहत मिल जायगी और उनको जो हर साल बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है वह भी दूर हो जायंगी।

इसी प्रकार एक और सड़क है जो प्रतापगढ़ से कुंडा जाती है। यह पक्की सड़क है। इस पर सरकारी बसें भी चलने लगी हैं। लेकिन इस साल बाढ़ में इसकी दशा बहुत खराब हो गयी है। वहां के बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर के अपनी यह मजबूरी जाहिर की है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस सड़क की मरम्मत करवा सकें और सरकार के पास वह प्रस्ताव भेजा गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि यदि वे सड़क को इस वक्त ले कर के इसकी मरम्मत करवा दें तो बहुत थोड़े खर्चे में इसका काम ठीक हो जायगा, वरना अगर इसमें तसाहुली की गई या कुछ दिनों के बाद इस ओर ध्यान गया तो शायद इसकी दशा और भी खराब हो जायगी और यह जल्दी नहीं बन पावेगी।

इसी प्रकार प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील म घोइसरनाथ नामक एक स्थान है जो बरसात के मौसम में जिले से बिलकुल कट जाया करता है। वहां जिले से कोई संबंध नहीं रहता है। एक सई नदी है उस पर पुल नहीं है, उसके कारण यातायात का कोई साधन नहीं रहता है, नाव भी वहां नहीं चलती है, जिसकी वजह से वहां के क्षेत्र की जनता को विशेष तकलीफों का सामना करना

पड़ता है। इसके सम्बन्ध में कई मर्तबा वहां की जनता ने सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजे और अधिकारियों की ओर से भी मूव है लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं उनका समर्थन करता हूं और आशा है कि जो सुझाव मैंने पेश किये हैं उनको माननीय मंत्री जी पूरा करने की कृपा करेंगे।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ने अपनी अध्यक्षता में सर्व प्रथम हमें मौका दिया।

महोदय, मैं सबसे पहले निर्माण मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे आवश्यक अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। साथ ही इसके कुछ सुझाव रूप में मुझे निवेदन भी करना है। आज कल जैसा कि ऐनमी नंबर वन और ऐनमी नंबर टू का प्रश्न चल रहा है। उसको देखते हुये यह कहना पड़ता है कि यदि वाकई निर्माण विभाग ने अच्छा कार्य किया होता तो फिर किसी को यह कहने का अवसर नहीं मिलता कि यह ऐनमी नंबर वन है या ऐनमी नंबर टू है। आज बहुत सी आवाजें उठायी गई हैं। इसका मलतब यह है कि इस विभाग में कुछ न कुछ बुराइयां अवश्य हैं और उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे देखने का मौक़ा मिला है। मैंने उसके अन्दर जो देखा है तो मुझे बुराइयां ही अधिक देखने को मिली हैं।

अब मैं टेंडर्स के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सड़कों के जो टेंडर्स पहले दिये जा रहे हैं, वह आज दिन व दिन गिरते चले जा रहे हैं। उसका कारण केवल एक ही है कि सड़क भली बने चाहे बुरी, लेकिन अगर इंजीनियर या ओवरसियर का हिस्सा तय हो गया तो समझ लीजिये कि सड़क पास है वरना सड़क कितनी भी अच्छी से अच्छी बने लेकिन वह फेल है। इसलिये मैं यह कहता हूं कि सब से पहले इस विभाग के अधिकारियों के अन्दर ईमानदारी आनी चाहिये और उन्हें समझना चाहिये कि यह राष्ट्र की संपत्ति है और इसको अच्छी तरह से खर्च करना चाहिये।

दूसरी चीज हमें यह कहनी है कि अक्सर हमारे जिले में सब सड़कें बुरी हालत में पहुंच गयी हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस दे दिया गया है। यह बात बड़ी ख़राब है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चाहिये यह था कि अगर सड़कों की हालत ख़राब हो गयी है तो उनको अपने ही अंदर रखें और ठीक तरह से उनकी मरम्मत करायें। लेकिन हमने गोरखपुर में देखा है कि कितनी सड़कें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापिस कर दी हैं, इसलिये कि वह ख़राब हो गयी थीं।

तीसरी बात जो हमें कहनी है जिले की सड़कों के बारे में कहनी है। पहली सड़क है जो फरेंदा से शिकारपुर, परतावल होती हुई तमकुही को चली गयी है। यह दो जिलों को कनेक्ट करती है और यह सड़क लगभग ८४ मील लम्बी है। उसके रख रखाव के लिये केवल ६० हजार रुपया रखा गया है। मैं नहीं समझता इससे क्या मरम्मत और क्या सड़क का रख-रखाव हो सकता है। दूसरी सड़क महाराजगंज से ले कर ठूंठीभारी जाती है जो नैपाल से कनेक्ट करती है। लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब है कि छः महीने तक कोई आवागमन का साधन नहीं रहता है और न कोई व्यक्ति आ सकता है और न जा सकता है। पैदल चलने में दुश्वारी होती है गाड़ी की बात तो दूसरी है। यह सड़क पी०डब्ल्यू० डी० के अन्दर है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस महराजगंज और ठूंठीमारी वाली सड़क को पक्की करें नहीं तो कई लाख जनता जो इस एरिया में रहती है वह शहर और

[श्री शुकदेव प्रसाद]

अच्छे अच्छे क़स्बों से महरूम रह जाती है और उसके काम और मुकदमें भी खराब हो जाते हैं और वहां का रोजगार जो गिरने जा रहा है,वह अलग है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि इसी क्षेत्र से दो चीनी की मिलें हैं जहां से ७–८ लाख रुपया प्रति फैक्टरी पार साल मिला था और हर-साल १४ लाख रुपया देती है। जो १४ लाख रुपया प्रति वर्ष सेस में देती है उन मिलों के आस पास की सड़कों की दशा देखी जाय तो ६-६ फिट के गड्ढे मौजूद हैं। बैलों की टांग टूटती है, बैलगाड़ियां टूटती हैं, काश्तकार परेशान होते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि मिलों के आस पास की सड़कों को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराया जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि निचलौल बाजार से नौतनवां का १५ मील का फासला है। वहां से गोरखपुर हो कर नौतनवां जाने के लिये सैकड़ों मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द उस एरिया में भी सड़क खोलने का आयोजन किया जाय तो देहात जो बिलकुल महरूम है उस यातायात के साधनों से उसकी वह दिक्क़त दूर हो सकेगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के काम का क्या नमूना है, यदि उसको देखना है तो गढ़वाल में आ कर देखें। इसलिए नहीं कि मैं विरोधी पक्ष की तरफ से या कटौती प्रस्ताव के समर्थन में कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि अभी यात्रा मार्ग खुलेगा और इस सदन के माननीय सदस्य आयें बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा में, तो मैं उनका स्वागत करूंगा और वह आ करके देखें पी० डब्ल्यू० डी० के कार्य का नमूना गढ़वाल में। ऐसा नमूना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमें दुःख होता है, हमें परवाह नहीं है कि हमें सड़कें दीजिये। हमें जरूरत नहीं है। हम उसी लाइफ को अच्छा समझेंगे जैसी कि तिब्बत की है। लेकिन जिस प्रकार से रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है वह नहीं होना चाहिये और जिस अधिकारी द्वारा, मिनिस्टर द्वारा ओवरसियर द्वारा या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा जो रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है वह नकिया जाय और जो किया जाता है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा जानना चाहता हूं। समय बहुत कम है, मैं उदाहरण अधिक नहीं रखूंगा। मैं दो चार बातें आप के सामने रखता हूं और मैं चाहता हूं कि उन पर माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें। एक समय था जब कि कैनाल विभाग, पावर विभाग और पी० डब्ल्यू० डी० एक ही मंत्री महोदय के अधिकार में थे, लेकिन हम यह देखते हैं कि फाइव ईयर प्लान के अन्दर बहुत सी सड़कें बनाना बड़ा काम हो गया है और उसके लिये अलग विभाग बनाया गया। एक मिनिस्टर रखा गया और उसके अलावा एक डिप्टी मिनिस्टर भी पूरे रोड और भवन को देखने के लिए रखा गया और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, लेकिन जो तरीका और व्यवहार सड़कों के साथ हो रहा है, पब्लिक एक्सचेकर के साथ हो रहा है, मैं समझता हूं कि वह बहुत ज्यादा देश के लिये और राष्ट्र के लिये खतरनाक है।

सब से पहले मैं पुलों के सम्बन्ध में आऊंगा। सबसे पहले गढ़वाल में पुल सतपुली में बना, लेकिन उसमें लाखों का नुक्सान हुआ, कितनी ही जानें गयी तब बना। उसके बाद कर्ण प्रयाग में ५ वर्ष तक पुल का मैटीरियल पड़ा रहा और वह पुल नहीं बन पाया। गुडतीर के अन्दर क्या हालत है? प्रत्येक वर्ष टेम्पोरेरी ब्रिज बन जाता है। हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं, लेकिन पुल नहीं बनाया जाता है। एक और बात मैंने देखी। डेढ़ लाख रुपया हेंलाग और सींगधार के बीच के ब्रिडिल पाथ के लिये दिया गया है। मैंने सुना है, केंद्रीय सरकार ने भी कुछ ग्रांट दी है जिसके द्वारा जोशी मठ तक सड़क बनेगी। लेकिन हम देखते हैं कि पिपली कोटी से गुलाब कोटी तक तीन चौथाई सड़क बनी हुई है और पिछले पांच वर्ष से बिलकुल काम नहीं किया गया, जब कि बजट में वहां रुपया रखा था और हर साल नये अलाइनमेंट दे दिये जाते हैं। अभी नया अलाइनमेंट २२ लाख का दिया जाता है, यह दिखलाने के लिये कि इसमें कितना रुपया ज्यादा

खर्च होगा। माननीय मंत्री जी एक दफा दौरे में मिले थे। मैंने उनसे कहा कि जिला गढ़वाल की कीर्तिनगर पुल की सबसे बड़ी मांग है। जहां जहां प्रदर्शनी होती है वहां उत्तर प्रदेश का कीर्तिनगर का पुल दिखलाया जाता है। बरसों हो गये, लेकिन पता नहीं वह पुल बनेगा या नहीं। मुझे दुःख होता है कि फाईव ईयर प्लान में सड़कों की एक बड़ी भारी योजना प्रस्तुत की गयी है। लेकिन कौन सड़क कहां ले जानी चाहिये, यह नहीं है। जितने महत्व का बद्री नाथ है उतने ही महत्व का केदारनाथ भी है और उतने ही यात्री प्रतिवर्ष वहां भी जाते हैं लेकिन केदारनाथ की सड़क महज इसलिए छोड़ दी जाती है कि उस इलाके से कांग्रेस का विरोधी सदस्य आया है। मैंने चीफ इन्जीनयर साहब से भी कहा था, उप मन्त्री जी से भी कहा था। उसमें ८ लाख रुपया खर्च किया है और उसे ओ० डी० आर० में रखा है। जब मैंने ओ० डी० आर० का डिफिनीशन देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि जहां कम ट्रैफिक हो वहां कम चौडी सड़क हो। लेकिन २६ फुट चौड़ी सड़क वह बनी है। अगर १४ फुट चौड़ी बनती तो वह सड़क गुप्तकाशी तक पहुंच जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इसका जस्टीफिकेशन क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा कि रुद्रप्रयाग से जहां से वह सड़क शुरू होती है, वहां से वह काम शुरू नहीं किया गया। सिर्फ डेढ़ मील का टुकड़ा पड़ा है। वह अगर दे दिया गया होता तो गुप्त काशी तक ट्रैफिक रेगुलर हो जाती। गढ़वाल के अन्दर सड़क बनाने की नीति के बारे में हम देखते हैं कि पुल बनाने से पहले सड़क बनाते हैं। मैंने पूछा तो कहते हैं कि जब पुल बन जायगा तो सड़क बनेगी। इसके अलावा एक इंजीनियर साहब वहां गये हुए थे। उन्होंने बताया था कि गुप्त काशी और केदारनाथ तक एक ऐसी एलाइनमेंट के साथ साथ सड़क होनी चाहिए कि जिसके द्वारा प्रत्येक विश्व का यात्री वहां आ करके देखे और हम तो देवताओं को मानते नहीं। हम तो बद्रीनाथ को चाहते हैं कि वह मूर्ति भी आप चाहें तो यहीं ले आयें क्योंकि बोलंदा बद्रीनाथ तो यहां है ही। लेकिन वहां की जनता के लिए मैं चाहता हूं कि जो लोग वहां रहते हैं उनकी सुविधा के लिए इन सड़कों को बनवाइए। इसके साथ ही साथ जो अधूरे काम हैं उनको पूरा कीजिए और रुपयों को बरबाद न कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अनेकों दिन की अनेकों बार की उठा बैठकी करने के बाद आपने जो आज मुझे समय प्रदान किया, उसके लिए आपको सहस्रों बार धन्यवाद देता हूं। तत्पश्चात् आपके द्वारा अपने सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को इस अनुदान के लिए जिसको उन्होंने उपस्थित किया है, मैं बधाई देता हूं। आज सार्वजनिक निर्माण कार्य हमारे इस प्रदेश में उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है और आशा है कि आगे और ज्यादा उन्नति करेगा। परन्तु मैं अपने सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के पास उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा एक प्रार्थना पहुंचाना चाहता हूं कि समता के दृष्टिकोण से, विषमता को हटाने के लिए अर्थात् विषमता को दूर करने के लिए अभी कदम कम उठाया गया है। सड़कें, डैम, बांध, हास्पिटल और अनेकों इमारतें बनायी जा रही हैं लेकिन वह अधिकतर वहां ही बन रही हैं जहां के आदमियों को उतनी आवश्यकता उनकी नहीं है जितनी कि उन आदमियों की आवश्यकता है जिनकी ओर कि हमारे मन्त्री जी की अभी दृष्टि गई ही नहीं। मैं आपका ध्यान देहाती क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां की जनता ने आपको इतने उच्च पद पर इतनी बड़ी मेजारिटी में और ओवरहेलिंग मेजारिटी में बैठाया है। देहात वह है जिस देहात में कि अभी पक्की सड़क नहीं बल्कि कच्ची सड़कों का भी उचित निर्माण नहीं हुआ है। मैं यह जानता हूं कि आप उचित काम करते हैं परन्तु जिस तरह से पिछड़ी हुई जातियों को तरक्की दे कर वजीफा देकर फीस माफ करके समुन्नत जातियों के बराबर लाने की कोशिश आपने की है उसी तरह से पिछड़े हुए क्षेत्रों

[श्री गुप्तार सिंह]

को प्रोत्साहन दे कर, धन दे कर, और शक्ति दे कर उन्हें आगे बढ़ाने में आपने कोताही तो नहीं की है लेकिन अब भी वह काम पूर्ण नहीं है जो होना चाहिए । इसके बाद मैं आपका ध्यान अपने जिले रायबरेली के उस क्षेत्र की ओर और रायबरेली ही नहीं अन्य जिलों के उन क्षेत्रों की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर आपको काम करना चाहिए और तबतक कंक्रीट, प्लास्टर और सीमेंट की सड़कें रोक देनी चाहिए जब तक पिछड़े हुए क्षेत्र बराबर की दौड़ में नहीं आ जाते । मैं ही नहीं कहता बल्कि जो मुझे यह आज एक पत्रिका मिली है इसको मैंने देखा उसमें पं० जवाहर लाल के कथन का एक कोटेशन लिखा है जिसको पढ़ रहा हूं । दुर्भाग्यवश पं० जवाहरलाल का वह कोटेशन अंग्रेजी में है । उन्होंने कहा है :

"I have come to the conclusion that one thing to which we must give top-most priority is roads-roads of all kinds not only very up-to-date bitumenized or cement roads but roads of any kind, to open out vast areas of this country which are closed up today and which you cannot reach unless you walk or ride ..... I give roads first priority".

तो जब कि इतने बड़े महान् पुरुष ने यह बताया है कि जो कि हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन्हें हमें प्रारम्भ में महत्ता देनी चाहिए तो मैं आज आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूं कि १२ लाख के करीब आबादी रायबरेली की है । उस बारह लाख की आबादी के अन्दर केवल ६२ मील सरकारी सड़कें है और उस ६२ मील में भी लखनऊ से इलाहाबाद, लखनऊ से सुल्तानपुर, लखनऊ से प्रतापगढ़ की भी सड़कें शामिल हैं । सम्भव है कि अगर लखनऊ से इलाहाबाद इत्यादि तक यातायात की आवश्यकता न होती तो शायद यह सड़क रायबरेली में बनती या न बनती इसमें भी मुझे शक है । हमारे यहां लालगंज एक क्षेत्र है, लालगंज से फतेहपुर एक सड़क गयी है और एक बेहटा से सरैनी गयी है । और एक सेमरी से खीरी गई है । यह सड़कें बनना परम आवश्यक है आगे कहते हुए दुख होता है कि इस के पहले हमारी सरकार ने लाखों रुपये की मिट्टी जिन सड़कों में डलवाई थी उनमें एक सड़क रायबरेली से सरैनी गई है। इस सड़क पर सरैनी तक बहुत सी मिट्टी पड़ी और लाखों रुपया खर्चा हुआ । लेकिन आज वह मिट्टी बह रही है । उस पर कंकड़ तक का प्रबन्ध नहीं हो रहा है ।

हमारी सरकार ने कुछ सड़कें जिला बोर्ड को वापस की है । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री से करबद्ध विनय करता हूं कि जिस बोर्ड ने अध्यापकों की तनख्वाह देने के लिए आप से ऋण लिया वह सड़कें निर्माण करने से असमर्थ है । बोर्ड से सड़कें ले लेनी चाहिए और उन्हें प्रान्तीयकरण करके बनवाना चाहिए । दूसरी बात यह है कि इस विभाग के इंजीनियर हमारे जिले में तनख्वाह तो बराबर पाते हैं । लेकिन पंचवर्षीय योजना क्या १५ वर्षीय योजना में भी उस जिले का नाम नहीं आयेगा । जब पंचवर्षीय योजना में हमारे जिले में कोई काम ही नहीं है क्योंकि वहां पर कोई पुल या सड़कें नहीं बननी हैं तो मैं नहीं समझता कि इतनी नौकरी दे कर सरकार धन का अपव्यय क्यों कर रही है । मेरे ख्याल से यह जो इकट्ठा काम किया जा रहा है इससे अच्छा यह होगा कि जहां जरूरत हो काम वहां हो जिन छोटे छोटे टुकड़ों का आवागमन अवरुद्ध है वहां पर सड़कें बनानी चाहिए और वहां पर पुल बनाने चाहिए । जहां पर कि गरीब जनता, किसान और मजदूर बसते हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए और वहां की सड़कों की हालत दुरुस्त करनी चाहिए । इसके बाद फिर मैं आपको बधाई देता हूं । क्योंकि लाल बत्ती दिखाई पड़ रही है, बधाई देने के बाद यह आशा करता हूं कि मेरे जिले में सड़कें, पुल, ट्यूबवेल अवश्य बनायें जायं ।

*श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की कि बजट के खात्मे पर इतने दिनों की कोशिशों के बाद आज आपने मुझे भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मौका दिया। इन अनुदानों पर बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की जरूरत को माननीय मंत्री के सामने रक्खा है और इस विभाग में जो नाजायज तौर पर रुपया खर्च हो रहा है उसकी भी कुछ आलोचना की है। लेकिन जैसा कई सदस्यों ने कहा कि यह हमारे देश में कुछ बीमारी हो रही है और यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। हो सकता है कि इसमें अन्य विभागों के मुकाबले में ज्यादा भ्रष्टाचार हो लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इस भ्रष्टाचार को अपने समाज से हम किस तरह से निकाल सकते हैं। इसलिये मैं इस पर ज्यादा समय खर्च नहीं करूंगा। सिर्फ एक दो उदाहरण फिजूल खर्ची के दूंगा। हमारे जो कर्मचारी हैं वह, सूबे की माली हालत को सामने नहीं रखते जिस वक्त कि एस्टिमेट्स बनाते हैं और जरूरत से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया जाता है। गाजीपुर में पी० डब्ल्यू० डी० ने वाटर वर्क्स तैयार किया। वहां की म्युनिसिपैलिटी ने यह रुपया गवर्नमेंट से कर्ज लिया। वाटर वर्क्स के इर्द गिर्द जो परदा बनाया गया है उसका खर्चा बतलाया जाता है कि एक रुपया फी इंच पड़ा, फी गज या फी फुट नहीं। यह बतलाया जाता है कि ६०, ७० हजार रुपया उस चहारदिवारी पर खर्च किया गया। हो सकता है कि ये आंकड़े गलत हों लेकिन यह आम शोहरत है कि उस पर बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया गया जब कि हमारे देश में डेवलपमेंट्स के कामों के लिये रुपये की सख्त जरूरत है। जैसा कि और सदस्यों ने अपने अपने इलाकों की जरूरतों को माननीय मंत्री जी के सामने रक्खा, मैं भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी जो दिल्ली से बिल्कुल मिला हुआ है कोई पक्की सड़क नहीं है सिवा जी० टी० रोड के, वहां की सड़कों को पक्का किया जाय। यह सौभाग्य की बात है कि उस इलाके को एम० ई० एस० ब्लाक में ले लिया गया है और इससे वहां रुपया भी ज्यादा खर्च किया जायगा लेकिन इस बीच में वहां सड़क को पक्का करने के लिये कोई प्राविजन नहीं रक्खा गया है। अगर सड़क बन नहीं जाती तो मैं समझता हूं कि जो डेवलपमेंट के कामों पर रुपया खर्च होगा वह ज्यादा कारामद नहीं होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि उस क्षेत्र की जो एक ही सड़क है उसके लिये कुछ रुपया निकालकर जरूर पक्का कर दिया जाय। सड़कों के बनाने में सब आदमी यही कहते हैं कि एक मील सड़क पर ३० हजार रुपया खर्च हो जाते हैं लेकिन हमारे पास रुपया नहीं है। इसके लिये मैं सुझाव देता हूं गो कि उसका इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है लेकिन चूंकि ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी केबिननेट की है, तो यह कह कर इसलिये इस पर ध्यान न देना कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती है मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा। जब कि हमारे पास न रुपया है और न अच्छे रास्ते हैं और उन रास्तों के बनाने पर ज्यादा खर्च आयेगा। तो कुछ ऐसी समझ नहीं आती कि जो नहरों के किनारे पर सर्विस रोड है या टयूबवेल्स की जो सर्विस रोड है उनको क्यों न आम आदमी के इस्तेमाल के लिये खोल दिया जाय। यह मैं इस ख्याल से नहीं कह रहा हूं कि मुझे कुछ रंज है। हमको या हमारे आफिसरों को या माननीय सदस्यों को तो परमिट मिला हुआ है कि वह नहरों के किनारे पर अपनी मोटर ले जा सकते हैं और सर्विस रोड पर भी जा सकते हैं लेकिन हम देहातियों को यह समझा नहीं सकते कि यह जो ऐसी सड़कें हैं उनके ऊपर किसानों की बैलगाड़ी क्यों नहीं चल सकती। हो सकता है कि यह कहा जाय कि बैलगाड़ी के चलने से सड़क का नुकसान होगा लेकिन फिर भी मैं आपके द्वारा अपनी सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पं० जवाहरलाल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी गवर्नमेंट का हेड

[श्री तेजासिंह]

हमारे राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं हैं बल्कि हमारे वे वोटर हैं जिन्होंने यह गवर्नमेंट बनायी है। यह एक अजीब बात है कि जो हेड आफ दि गवर्नमेंट हो और जिसने हमको यहाँ पर भेजा हो उसकी बैलगाड़ी उस सड़क पर न चलने पाये। कुछ रुपया लेकर मोटर के लिये इजाजत तो दे दी जाती है लेकिन बैलगाड़ी ले जाने के लिये उस वोटर को इजाजत नहीं दी जाती है। हमको अपने वोटर का सम्मान करना चाहिये। अगर हमेशा उसको इजाजत न दी जाय तो कम से कम जब तक कि ये सड़कें न बनें तब तक तो आम जनता के लिये इनको खोल देना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वह इन सड़कों की तरफ जरूर ख्याल करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)— उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग बजट के इन अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे पूर्ण सन्तोष है कि इस विभाग ने बहुत उन्नति की है और खास कर पहाड़ी इलाकों में कई जगह सड़कों का निर्माण कराया है लेकिन फिर भी मैं इस अवसर का फायदा उठा कर कुछ त्रुटियां खास कर पर्वतीय इलाके की जो दृष्टिगोचर हुईं उनकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझता हूं। और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उस पर ध्यान देंगे और जो भी त्रुटि ठीक समझेंगे उनको हटाने का प्रयत्न करेंगे।

मुझे आज इस सदन में यह तीसरा अवसर है कि मैं इस विभाग के बजट को पेश करने पर बहस करने का अवसर पा रहा हूं। पहला बजट १९५२–५३ में था, दूसरा १९५३–५४ में और तीसरा १९५४–५५ में है। इन सब बजटों में मैं यह देखता गया कि घाटा पलथी पुलों पर हमेशा बजट में अनुदान रखा गया लेकिन हमेशा वह लैप्स होता गया। यह तीसरा अवसर है जब कि सदन में घाटा पलथी पुल के लिये फिर से यह अनुदान सामने आया है। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में मुझे माननीय मंत्री महोदय ऐसा मौका फिर नहीं देंगे कि मैं फिर भी इस बात को कहता रहूं। इस सरकार की तो नीति इस प्रकार की है कि "live horse till you get grass" यह उचित नहीं है। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ६,७ साल हुये यह पुल कच्चे बनाये गये थे। तब से यह पुल हर साल कच्चे बनाये जाते हैं लेकिन वह बरसात में बह जाता है। हर साल पुलों पर कच्चा पुल बनाने में १० हजार रुपया फी पुल खर्च होता है। इस प्रकार से डेढ़ लाख रुपया इस कच्चे पुल को बनाने के लिये खर्च किया जा चुका है। अगर इस पुल को पक्का बना लिया जाता तो यह रुपया बच सकता था। अब आइन्दा भी अगर इस साल इन पुलों को पक्का न बनाया गया तो जनता को काफी तकलीफ होगी। इससे वहां की जनता में काफी असन्तोष फैला हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे। पर्वतीय प्रदेश के इलाके के लिये लोगों की यह भावना है कि वहां पर मोटर मार्ग बनाने की जरूरत नहीं है। मगर मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मोटर मार्ग बनाना पहाड़ी प्रदेश के लिये नितान्त आवश्यकीय है। वहां के उत्थान के लिये वहां की विकास उन्नति के लिये सबसे ज्यादा जरूरत है कि वहां मोटर सड़कें सब जगह को मिलाने के लिये बनायी जायं...

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जब तक उस क्षेत्र में मोटर ट्रान्सपोर्ट के साधन नहीं हो जाते तब तक वहां का उत्थान नहीं हो सकता। पहाड़ों में अनेक प्रकार के साधन हैं जिनके लिये ट्रान्सपोर्ट की

अत्यन्त आवश्यकता है जैसे खनिज पदार्थ जहां खानों का काम होता है। वहां पर जंगलों के साधन हैं, उसके बारे में अनेक योजनायें बनायी जा सकती हैं, बिजली कई स्थानों में पैदा हो सकती है टूअरिस्ट ट्रेड, फ्रूट ओर्चयार्ड्स, अनेक प्रकार की काटेज इंडस्ट्रीज वहां कायम हो सकती हैं, स्केअरसिटी ऐरियाज में सरकार को हर वर्ष सैकड़ों रुपया गल्ले के किराये में खर्च करना पड़ता है, इन सब बातों के लिये मोटर ट्रान्सपोर्ट की आवश्यकता है अभी आदमी की पीठ पर आठ रुपया मन तक सरकार को भाड़ा देना पड़ता है जहां मोटर में एक रुपया भाड़ा होता और यदि मोटर सड़क हो जाती है तो सरकार का बहुत सा रुपया बच सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी रीजन्स जैसे तिब्बत और नैपाल के इलाकों के लिये भी कोई यातायात के साधन नहीं हैं। उसके लिये नये और अच्छे यातायात के साधनों की आवश्यकता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी पर्वतीय प्रदेशों में मोटर मार्ग बनाने के महत्व पर ध्यान देंगे और जितनी ज्यादा से ज्यादा सड़कें बन सकें उतनी यथा-संभव बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस सिलसिले में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की १–२ सड़कों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज कल हमारे यहां के चार जिले नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी और अल्मोड़ा अलग अलग (Water tight compartments) से हैं मिलने का कोई साधन नहीं है। इनमें कोई भी यातायात का सम्बन्ध नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन जिलों को एक सिरे में झूलाघाट से टेहरी तक Trans himaliyan motor road से जोड़ कर यातायात के साधनों द्वारा मिलाने का प्रयत्न करेगी और ऐसी योजना कार्यान्वित करेगी जिससे इस पिछड़े हुए इलाके के लोगों को नवीन सभ्यता का आभास मिल सके। आजकल हमारे इलाके में श्रमदान से सड़कें बनाने के बारे में काफी उत्साह है। इस बारे में पी० डब्ल्यू० डी० विभाग हमें अपना कोआपरेशन दे तथा टेक्नीकल हेल्प दे तो बहुत सी सड़कें वहां श्रमदान के द्वारा बन सकती हैं। नागेश्वर बेरीनाग रोड जो थल अस्कोट तक होगी और बेरीनाग गंगोलीहाट रोड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिसके लिये सरकार से अलाइनमेंट और टेक्नीकल ऐड की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार एक सड़क अल्मोड़ा से रामेश्वर तक बनाने वाली है। उसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि सरकार उस सड़क को रामेश्वर से शुरू करे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि गंगोली इलाके में बड़ा भारी अकाल पड़ा हुआ है। इसलिये अगर रामेश्वर की तरफ से सड़क शुरू की जाय तो अधिक अच्छा होगा और वहां के निवासियों को अधिक सहायता भी मिल जायगी। श्रमदान के सम्बन्ध में मैं बहुत सी और बातें भी कहना चाहता था लेकिन अवसर नहीं है। अन्त में मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि टनकपुर-थौरागढ़ रोड जिसके लिये ढाई लाख रुपया मंजूर किया गया है मैं आशा करता हूं कि वह पूरा पूरा काम में ले आया जायगा। पिछली बार की तरह ऐसा न हो कि इस समय मंजूर हो जाय और काम न होने के कारण वह लैप्स हो जाय।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो स्वीकृति के लिये सदन के सम्मुख रक्खा गया है वह ४,२२,५०,७०० रुपये का है और इस धन के लिये सदन की स्वीकृति मांगी गयी है। यह बड़ी मुश्किल बात है कि इतने बड़े और जरूरी अनुदान पर सूक्ष्म में ही विवेचना की जा सके फिर इस समय में जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

भी सुझाव आपके द्वारा मैं दे सकता हूं वह दे देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो १,९८,५०० रुपये की मांग बड़े लोगों के बिजली, पानी और बाग बगीचों के लिये रक्खी जाती है और दूसरी ओर लोग भूखों मरते हैं और अपनी जीविका के लिये दाने दाने को तरसते हैं तथा गोबर के अनाज से अपनी जिन्दगी चलाते हैं। जहां पर भीख मांगने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती हो, ऐसे देश में वहां के सर्वोच्च अधिकारी राज्यपाल के बाग बगीचे पर दो लाख रुपया खर्च किया जाय यह उचित नहीं मालूम होता। इसके साथ ही साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रियों के आवास गृहों के लिये कई लाख रुपये की मांग इस अनुदान द्वारा की गयी है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान और इस सदन का ध्यान उन मंत्रियों के आवास-गृहों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिन आवास-गृहों में यदि हमारी सरकार चाहे तो एक नहीं, दो-दो, तीन-तीन मंत्री आज भी रह सकते हैं। दुनिया के बहुत से देश जहां स्वतंत्रता प्राप्त हुई और आर्थिक अड़चनें आयीं, वहां के नायकों ने, वहां के नेताओं ने समय समय पर अपने त्याग और बलिदान से अपने को दीक्षित कर दूसरों को प्रेरणा दी। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चहता हूं कि इस अनुदान द्वारा जो इन रुपयों की मांग की गयी है वह अनुचित है और नाजायज है।

जहां तक जिले में निर्माण का सवाल है, इसके लिये मैं माननीय मंत्री को अवश्य धन्यवाद दूंगा कि हमारे जिले के लिये १६ लाख रुपये की व्यवस्था उन्होंने की है जिससे निर्माण कार्य होगा। उसमें कुछ सड़कें बनेंगी और कुछ और काम होगा। ५० लाख रुपये की लागत से देवरिया में एक नये नगर का निर्माण हुआ है, जहां पर पी० डब्ल्यू० डी० का बंगला भी है और १६ लाख रुपये के इस अनुदान में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और सेशन कोर्ट के जजेज, इन तमाम के आवास-गृह के लिये रुपया रखा गया है। इसके अलावा कुछ सड़कें भी बनेंगी जिन पर यह रुपया व्यय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों का निर्माण किसी देश के लिये, किसी राज्य के लिये या किसी जिले के लिये बहुत ही आवश्यक है। किन्तु वे सड़कें इसलिये बनें कि उन क्षेत्रों को जहां कि लोग शहरों में दूर पड़ते हों उनको वह संयुक्त करे, उनको सुविधा दे तब तो ठीक है। किसी भी देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन हम वहां की सड़कों को देख कर ही अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं देवरिया की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारी जो पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें सड़कों की जो प्लानिंग है उसके देखने से मालूम हुआ कि पूर्वी जिलों में बलिया वगैरह सबसे कम, यानी १०५ मील ही, सड़क बनने की बात है। एक को छोड़ कर जितने भी पहाड़ी जिले हैं वहां देवरिया से पक्की सड़कें ज्यादा हैं। एक नेशनल हाईवेज सड़क जरूर है लेकिन अगर बड़ी गंडक नहीं काटती, और क्रास करने में कठिनाई नहीं होती तो हमारे जिले में वह भी नहीं पहुंचती। लेकिन बात यह है कि बिहार जाने के लिये वही एक सड़क है जो नेशनल हाईवेज है। हमारे यहां प्राविंशियल हाईवेज सड़कें बहुत ही कम हैं। डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड और प्राविंशियल हाईवेज की सड़कें बराबर हैं, वही क्वालिफिकेशंस हैं। फिर एक सड़क देवरिया से बन रही है जो केवल बिहार से रिश्तेदारी करने के लिये है। उस सड़क के लिये यह कहा जाता है कि वह डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है और बिहार के कंटेक्ट करने के लिए उसकी बड़ी उपयोगिता है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह सड़क सिर्फ डाक्टर सैयद महमूद के फार्म भिखमपुर तक रिश्तेदारी करने के लिये जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह सड़क जो भिखमपुर को जाती है वह गंडकी नदी पार करके फिर कटैया बाजार को चली जाती है। अगर वह सड़क इधर ही मुड़ जाती तो इससे देवरिया जिले का बहुत ही लाभ हो जाता।

१९५४–५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २७१ ३०–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३२–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य और ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४५–लेखा शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

माननीय अध्यक्ष महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर करप्शन की शिकायतें बहुत से माननीय सदस्यों ने की हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सिर्फ एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर यह करप्शन क्यों है। मेरी समझ से उसका कारण यह है कि आज १२ और १५ वर्ष से जो काम करने वाले क्लर्क और बाबू हैं वे कंफर्म नहीं हैं। जब वे कंफर्म नहीं हैं तो समझते हैं कि आज नहीं तो कल निकाले जा सकते हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि वे शीघ्र से शीघ्र कंफर्म किये जायं। अगर वे कंफर्म हो गये तो ठेकेदारों के जरिये जो उन्होंने घूसखोरी का बाजार गर्म कर रखा है वह बहुत आसानी से हल हो सकता है। आज जो सड़कें बनती हैं उन सड़कों पर काम बहुत कम होता है। बालू, मिट्टी और कंकड़ का जो रेशियो होता है उसे ठेकेदार इस प्रकार का बनाते हैं कि सड़कें तुरन्त खराब हो जाती हैं। हमारे गोरखपुर के एक माननीय सदस्य ने कहा और मैं भी कहता हूं कि आप पी० डब्ल्यू० डी० के इन इंजीनियरों और ओवरसियरों की जिन्दगी और रहन-सहन को देखें तो मालूम होगा कि चार-पांच वर्ष की सर्विस में उन्होंने लाखों की सम्पत्ति कमा ली है। अगर इनक्वायरी कमेटी बैठायी जाय तो पता लगेगा कि लाखों की सम्पत्ति, रेडियो सेट, मोटर साइकिल आदि उनके पास हैं जब कि उनकी मामूली तनख्वाह है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी स्पीच समाप्त करता हूं।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान माननीय मन्त्री जी ने पेश किये हैं वह अनुदान सड़कों के निर्माण या मकानों के निर्माण के विषय में है। हमारे देश की उन्नति के लिए और खास करके कृषि के लिए वह बहुत आवश्यक हैं। इन चारों अनुदानों में सवा ९ करोड़ की मांगें हैं। उनमें से ५ करोड़ सड़कों पर व्यय होगा, ढाई करोड़ की नयी सड़कें हैं और ढाई करोड़ में पुरानी सड़कों की मरम्मत है। साढ़े तीन करोड़ मकानों के बनाने के लिए हैं और दो करोड़ मजदूरों के मकानों के लिए हैं जो कानपुर आगरा और फिरोजाबाद में खर्च किया जायगा। मैं इन अनुदानों के लिए और ऐसे तरक्की के कामों के लिए माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं। हाउस में विरोधी दल की तरफ से और इस तरफ से भी भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि हमारे देश की नैतिक अवस्था क्या है। हमने देखा कि अभी पहले जब कन्ट्रोल का जमाना था, और जब भी जनता के हाथ में कोई काम दिया जाता था, तो कोई ब्लैक मार्केट से नहीं चूकता था। तो जब हमारी जनता का इतना नैतिक स्तर गिरा हुआ है, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि यह सरकारी मुलाजिम जो जनता ही से आते हैं, वह एक दम ठीक हो जायेंगे? हमें देखना यह है कि जब से कांग्रेस सरकार आयी है, तब से इस विभाग में उन्नति हुई है या अवनति। अगर हम इस नजर से देखेंगे, तो ठीक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। जब हमारे देश में चारों तरफ आग लगी हो, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारा घर सुरक्षित रह सकेगा? जब नैतिक अवस्था इतनी गिरी हुई है तो हम कैसे एक दम से आकाश पर पहुंच सकते हैं? और भ्रष्टाचार एक दम चला जायगा यह तो अभी स्वप्न की बात है। मैं मानता हूं कि इस विभाग में काफी भ्रष्टाचार है पर हमें देखना यह है कि कितनी उन्नति हुई है।

माननीय सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक रेट्स कमेटी बैठी थी। उसका मैं भी सदस्य था और सदन के और माननीय सदस्य भी उसमें थे। वहां पर रेट्स पर काफी विचार हुआ। मेरा और दूसरे सभी सदस्य जो उसमें थे, उनका तजुर्बा यह बतलाता है कि इन्जी-

[श्री रतनलाल जैन]

नियर्स में इस सम्बन्ध में काफी तरक्की हुई है। इन्जीनियर वर्ग जो आम तौर से भ्रष्टाचार के लिए मशहूर था, परन्तु अब उनमें काफी सुधार हुआ है। हमारे नवयुवक जो अब इन्जीनियरिंग में आ रहे हैं, उनमें काफी संख्या ईमानदारों की है, और उनमें से कुछ को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यह उन्नति भी इसी ४–५ वर्ष में हुई है लेकिन हमारा जो नीचे का ओवर-सियर वर्ग है, उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन इन्जीनियर वर्ग में उन्नति हुई है। उसी कमेटी ने सिफारिश की थी कि आगे खास तौर से निरीक्षण गजेटेड इन्जीनियर्स द्वारा ही कराया जाय, और उस सिफारिश का यह प्रभाव हुआ कि आगे निरीक्षण यह इन्जीनियर ही किया करेंगे। यह मैंने एक बात रखी।

दूसरी बात की याद भी मैं यहां दिलाना चाहता हूं, वह है दरों के बारे में। जो शरह मजदूरी को पी० डब्ल्यू० डी० दे रही है उसका मुकाबला और विभागों से गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने किया जो पी० डब्ल्यू० डी०, इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों, म्युनिसिपलिटियों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के तमाम अधिकारी बुलाये गये और सबकी लिस्ट मांगी गयी थी, उनमें यह पाया गया कि पी० डब्ल्यू० डी० के रेट सबसे मुनासिब हैं, चुनांचे जो मौजूदा रेट्स थे, उन्हीं की सिफारिश की गयी। मैं सदन से यह कह देना चाहता हूं कि वह इस बात को देखें कि इन चार पांच वर्षों में काफी उन्नति हमने की है और विशेषतः इस भ्रष्टाचार के मामले में। मैं आशा करता हूं कि यदि हमारे मंत्रिगण और हमारे अधिकारिवर्ग के लोग इसी तरह से काफी परिश्रम करते गये और करते रहेंगे, तो इसमें और भी अधिक उन्नति हो जायगी।

अब मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं, वह बिजनौर जिले के अन्तर्गत नजीबाबाद तहसील है, और इस तहसील का रकबा गढ़वाल जिले से मिला हुआ है। इस तहसील में न कोई आबपाशी का साधन है और न कोई सड़क है, सिर्फ एक सड़क है जो कि टेहरी मुरादाबाद से गयी है, कोटद्वारा, पौड़ी चमौली होते हुए इसके अतिरिक्त इसमें कोई सड़क नहीं है। आबपाशी के भी कोई साधन नहीं हैं, यद्यपि गंगा नदी हमारे जिले के एक ओर नहीं तीन ओर बहती है, पश्चिम में है, कुछ उत्तर में भी है, और दक्षिण में भी है, लेकिन उसका लाभ पहुंचता है मेरठ कमिश्नरी को और इस तरह से रामगंगा है, उससे एक नहर निकली है, जिससे मुरादाबाद को लाभ पहुंचता है। मेरी तहसील में तो खास तौर पर कोई भी ट्यूबवेल तक नहीं है, सड़कों का जिक्र मैं कर ही चुका हूं। पहाड़ों से कई नदियां वहां आती हैं और उनकी वजह से चलना भी मुश्किल है, इस लिए मैं अर्ज करूंगा कि जो दो सड़के हैं, जिनको पी० डब्ल्यू० डी० ने लिया था, मगर किसी वजह से छोड़ दिया, उन सड़कों को भी नहीं बनवाया गया। एक सड़क नजीबाबाद से कनखल तक निकल सकती है, जिसका एक्सटेंशन फिर हरिद्वार तक हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—आज आखिरी दिन है, और साढ़े चार बजे विवाद समाप्त होगा, इसलिए माननीय मन्त्री जी को अब केवल दस मिनट में ही आज खत्म कर देना है, अधिक से अधिक वह १२ मिनट ले सकेंगे।

***निर्माण उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)**—लेकिन इतने में जवाब भी देना है।

श्री अध्यक्ष—जो कुछ भी हो। मैंने पहिले पूंछ लिया था और आपके यहां से जवाब आया था कि थोड़ा सा ही समय लिया जायगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है धन्यवाद देना चाहता हूं। एक प्रश्न पर जितने भी सदस्य हैं, सब चाहते हैं कि सार्वजनिक विभाग का काम तेजी से आगे बढ़े और जो इसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुराइयां हैं, वह दूर हों। यह एक बेदारी जाहिर करती है, हमारा प्रदेश आज जागृत है और उसी जागृति को हमारे माननीय सदस्य यहां पर जाहिर कर रहे हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विभाग के अधिकारी और मंत्रिगण और सरकार भी उनकी इस बेदारी में शामिल है। हम भी चाहते हैं कि जो बुराइयां हैं, वह दूर हों, जो कमियां हैं, वह जल्द से जल्द निकल जायं। हम एक मिनट के लिए जो बुराइयां हैं और सही गलतियां हैं, उनको नहीं बरदाश्त करना चाहते हैं, लेकिन जो मजबूरियां हैं उनके ऊपर भी हमें दृष्टिपात करना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा माननीय सदस्यों से मैं शायद हर प्वाइन्ट का जवाब न दे सकूं, लेकिन मैं कुछ क्लासिफाई कर दूंगा उन बातों को जो विवाद के सिलसिले में कही गयी हैं। मैं उन प्वाइन्ट्स पर वाकयात की बिना पर यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि यह जो पी० डब्ल्यू० डी० का पिक्चर है, वह शायद कुछ दूसरा ही रंग रखता है, और वह यह मानेंगे कि इसमें जहां कुछ बुराइयां नजर आयें, तो भलाई की इसमें चीज होगी। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे पी० डब्ल्यू० डी० का, सारे और प्रदेशों के मुकाबिले में जितना काम हुआ है, वह सब से कम खर्चे में हुआ है। चार पांच मोटी मोटी बातों का जिक्र आया कि किफायतशारी की जाती है, फिजूल-खर्ची की जाती है, और दूसरे यह कि करप्शन ज्यादा है और तीसरे यह कि जो काम हुआ उसमें प्रोग्रेस बहुत कम हुई। इसी तरह की और भी बातें हैं जिन पर मैं ब्योरेवार आपसे बात करूंगा। सब से पहले मैं खर्चे की बात लेता हूं कि आया किफायतशारी की जाती है या नहीं की जाती है। इसपर मैं आप से अर्ज करूं कि इस प्रदेश में जो खर्चा आज मौजूदा है, इस विभाग पर वह ४.७ पड़ता है। यों मैं एक बात साफ कर दूं कि यह जो फीगर्स कहीं दूसरी जगह से आ जाती हैं जिन से थोड़ा सा वैरिएशन मालूम होता है, और माननीय सदस्यों को भ्रम हो जाता है उसका कारण यह होता है कि बजट में जो पहले साल के लिए प्रोवाइड होता है, वह फीगर्स माननीय सदस्य ले लेते हैं और एक्चुअल एक्सपेन्डीचर जो होता है, उसे नहीं लेते। इसलिए माननीय सदस्य एक्चुअल फीगर्स को लेकर हिसाब लगाया करें। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन इतना बतलाऊंगा कि १९५०–५१ से आज तक हमारा खर्चा निरन्तर घटता जा रहा है। अगर कोई वैरिएशन हुआ होगा, तो वह पहले हुआ होगा लेकिन इधर ५०–५१ से बराबर हमारे इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा घटता जा रहा है। १९५०–५१ में ८.५ खर्चा था, ५१–५२ में ६.७ रहा, ५२–५३ में ६.४ हुआ ५३–५४ में ५.७ हुआ और ५४–५५ के बजट में ४.७ हो गया है। जो ऐक्चुअल खर्चा किया गया है उसी के हिसाब से यह खर्चा हुआ है, और उनकी परसेन्टेज निकाल कर मैंने बतलाया है।

अब मैं आपको दूसरे स्टेट्स का भी खर्चा बतलाऊंगा। मद्रास का खर्चा १५ परसेंट है, इस्टैब्लिशमेंट पर, बम्बई का खर्चा २१ परसेन्ट और मध्य प्रदेश का खर्चा २० परसेन्ट है। तो अब आप दूसरी स्टेट्स जोकि हमारी स्टेट से बहुत छोटी हैं उनके खर्चे को ध्यान में रखते हुए देखें कि हमारे प्रान्त का जो ४.७ खर्चा है, वह कितना है। जो फीगर्स आप दे रहे थे, वह उस समय की दे रहे थे जब कि हमें एकाएक सब काम कम कर देना पड़ा था। लेकिन एक दम से सारा इस्टैब्लिशमेंट खत्म भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम काम को आगे बढ़ाना चाहते थे।

अब मैं आप से अर्ज करूं कि नेशनल प्लानिंग कमेटी ने हमारे प्रदेश के लिए जो फीगर्स रखे हैं, उनको आप देखें। उन्होंने जो टार्जेट रखा है, वह उत्तर प्रदेश के लिए ५२२ करोड़ है। उसी के मुकाबले में बम्बई में जहां की परसेन्टेज मैंने २१ बतलायी, वहां ११६३ करोड़ है, और मदरास के लिए ५०० करोड़ और बिहार के लिए ८०० करोड़ रक्खा है। बहरहाल इसी तरह से आप देखें कि बम्बई और मदरास जैसी स्टेट, जोकि हमारी स्टेट से छोटी हैं, वहां ज्यादा है। हमारे यहां ऐग्रीकलचर और इरिगेशन को प्रायर्टी दी गयी है। हमें सेन्टर को

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

बात माननी पड़ती है क्योंकि वहां से हमको ग्रान्ट मिलती है। तो आप दूसरी स्टेट्स के खर्चे को मद्देनजर रखते हुए गौर करें और देखें कि हमारे यहां जो खर्चा हो रहा है, और उसी के लिहाज से इस विभाग के द्वारा जो काम हो रहा है, उसके लिए इस विभाग के कर्मचारी थोड़ी सी तारीफ के हकदार हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स काम करते हैं, हो सकता है कि उनमें कुछ खराबी हो, उनमें से कुछ थोड़े आदमी खराब हों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने तजुर्बे से कह सकता हूं, आप भी मेरे लिये मानेंगे कि मैं भी थोड़ा बहुत करप्शन के खिलाफ हूं, भ्रष्टाचार से मैं बेचैन हो जाता हूं लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि जब हमने इतना खर्चा कम किया और उस से इतना ज्यादा काम हुआ तो, हमें तारीफ करनी चाहिए उन लोगों की जोकि इस तारीफ के हकदार हैं। तो जहां तक किफायतशारी की बात थी, वह मैंने अर्ज कर दी। यहां पर यह कहा गया कि एक एस० ई० की जगह बढ़ायी जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में यह अर्ज कर दूं कि दो करोड़ रुपये के करीब हमको हाउसिंग की स्कीम के लिए मिल रहा है। उसके लिए एक ऐसी तजवीज थी कि एक एस० ई० बढ़ाया जाय और तीन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर बढ़ाये जायं। लेकिन अभी गवर्नमेंट का यह विचार है कि एस० ई० न बढ़ाया जाय, और तीन के बजाय केवल दो नये एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर बढ़ाये जायं। यह सारा काम जो इस वक्त बढ़ा हुआ है, पारसाल ८ करोड़ का बजट था, अब दस करोड़ का बजट है, इसको इसी मौजूदा स्टाफ से कराना है। तो फिर आप देखें कि किफायतशारी जहां तक हो सकती है, वह की जा रही है।

दूसरी बात जहां तक यह कही गयी है कि प्रोग्रेस नहीं हुई है, हमारे यहां काम कम हुआ है, आंकड़े कुछ गलत बतलाये गये हैं, इस सम्बन्ध में मैं यह बतलाऊं कि आंकड़े तो देने ही पड़ते हैं, आंकड़ों के ऊपर ही हम और आप चल सकते हैं, और वह गलत नहीं होते, कभी कभी किसी तरह से उनके लिखने में, उनके समझने में, किस बात के वह आंकड़े हैं, किस रेफ्रेंस में दिये गये हैं, इसमें फर्क पड़ जाता है। तो जहां तक प्रोग्रेस की बात है, मैं आपसे अर्ज करूं कि अपने उत्तर प्रदेश में सन् १९४५ से १९५४ तक ३८२७ मील पक्की मेटल्ड रोड्स नयी बनी हैं। इन फीगर्स में यों फर्क पड़ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें जब हम ले लेते हैं, तो उनकी सड़कें कम होती जा रही हैं। अगर आप यह कहें कि सन् १९४५ में हमने ९ हजार ४ सौ मील दिखलाया था, और अब हमने कुल टोटल १० हजार ४ सौ मील दिखलाया है, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पास पहले जहां ४ हजार १७१मील सड़कें थीं वहां अब उनके पास १७ सौ मील हो रह गयी हैं। तो इतनी रोड्स हमने बनायीं, और कुछ नयी बनायीं, इस तरह से हमारा इजाफा हुआ। आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज मशीन का युग है, ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है, और पक्की सड़क के माने माडरेनाइज्ड सड़क के होते हैं। आज इन चार पांच सालों के अन्दर ऐसी पक्की सड़कें १८५० मील से बढ़ करके ३५ सौ मील हो गयी हैं। मैं और बातें नहीं कहूंगा कि कच्ची सड़कें कितनी हमने बना करके डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दे दी हैं। लेकिन यह बड़ी-बड़ी बातें आप सड़कों के ऊपर देख सकते हैं। इतनी बात मैं और कहूंगा कि जहां इतनी तादाद बढ़ी है वहां नौ पुल हमने रखे थे और उनमें से छः हम बना रहे हैं और सातवां हमें उम्मीद है कि इस साल के अन्दर बन जायगा। इससे आप देखें कि हमारा टार्जेट कितनी जल्दी पूरा हो रहा है और हमने तरक्की की है।

कुछ बातें यहां ट्रांस्पोर्ट डिवीजन के बारे में कही गयीं। ट्रांसपोर्ट डिवीजन में जितने वेहिकिल्स थे वह वार के जमाने में खरीदे गये थे। अब उनमें से खराब होते जा रहे हैं और उन खराब होने वालों को हम निकालते जायंगे। हमें इस डिवीजन को बढ़ाना नहीं है, लेकिन जैसा यहां सुझाव दिया गया कि इसको खत्म किया जाय, यह धीरे धीरे खत्म किया जायगा। इसलिये अगर उनकी तादाद कम हो रही है तो वह इस बात को जाहिर करती है। आज उनका कुछ अनइकोनामिक इस्तेमाल हो गया है, लेकिन जब सामान नहीं मिलता था, जाने आने की सुविधा नहीं थी, तब हमारी

इन वैहिकिल्स की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, हम इतना ज्यादा काम कर सके हैं तो वह भी एक जरूरी चीज है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि मेरे कटौती के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया क्योंकि अगर वह विरोध करना चाहते तो स्पष्टतः कहते कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसलिये मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और यह माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के लिये मार्ग–दर्शक और मार्ग–सूचक बात हुई होगी और सदन के माननीय सदस्यों ने एक मत से उनके विभाग की प्रशंसा और आलोचना की तो उससे उन्होंने सबक ग्रहण किया ही होगा। मुझे आशा है कि फर्स्ट फेज प्रोग्राम तो खत्म हो रहा है इसलिये दूसरे प्रोग्राम में माननीय मंत्री जी इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे जो कि माननीय सदन के सदस्यों ने कही है। कंठ से सभी ने यह कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जो सड़कें वापस कर दी गई हैं उनको दुबारा वह अपने हाथ में लें और उनको ठीक करने की चेष्टा करें।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंटिन्जेन्सी के ऐक्सपेंडीचर में ५ प्रतिशत से ३ प्रतिशत कमी कर दी है, उसी प्रकार हमारे यहाँ मंत्री महोदय चाहे डिपार्टमेंटल वर्क्स हों या या और कोई वर्क्स हों सभी में ३ प्रतिशत, २ प्रतिशत या १ प्रतिशत की कमी करदें तो उचित होगा और इस विभाग में बहुत ज्यादा बचत भी होगी।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं क्या बतलाऊं, मेरे दुर्भाग्य से मंत्री जी को समय नहीं मिला कि वह उत्तर देते। हम चाहते हैं कि अगले साल के लिये मंत्री जी को एक भीषण प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि वह अधिक से अधिक ध्यान इस सम्बन्ध में देंगे ताकि अगले साल इस विभाग से भ्रष्टाचार आमूल नष्ट हो जाय। मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि वह अक्सर माननीय सदन के सदस्यों को बुलाकर राय लेते हैं कि भ्रष्टाचार को किस तरह से दूर किया जाय। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो उनको राय मिली है अगर उनका वह उपयोग करें और इसके सम्बन्ध में छानबीन करें तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार में बहुत काफी कमी हो जायगी।

इसके साथ ही साथ पी० डब्ल्यू० डी० के रेट्स के बारे में एक कमेटी बनी थी मुझे पता नहीं कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी। बहरहाल, वह रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश नहीं हुई और न हम लोगों को कोई कापी वगैरा ही मिली। लेकिन मैं समझता हूं कि रेट्स में परिवर्तन हुआ होगा। अगर न हुआ हो तो होना चाहिये और इसकी रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये ताकि हम सब लोगों को मालूम हो सके कि आखिर इसके सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाने वाला है और वह कैसा होना चाहिये। इसके साथ ही साथ वह इस डिपार्टमेंट के ऐक्सपेंडीचर के कंट्रोल में अपना हाथ रखें। अगर वह इस विभाग के खर्चे पर कंट्रोल रखेंगे तो रुपये का सदुपयोग हो सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंटल रायवैलरी भी होती है। बहुत से भाई समझते हैं कि अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट को ज्यादा रुपया मिल गया और उसने कोई सड़क बना ली या कोई काम कर लिया या पी० आर० डी० ने कर लिया या श्रमदान से हो गया तो वह यह समझते हैं कि यह आक्षेप की बात है और अगर हम बनाते तो अच्छा होता। इसलिये वह कहते हैं कि यह जो सड़क प्लानिंग विभाग द्वारा बनाई गई है, पी० आर० डी० ने बनाई है या श्रमदान द्वारा बनाई है, वह काम कुछ नहीं हुआ। यह भावना विकास के कार्यों के लिये अनुपयुक्त सी है।

यह बात सही है मंत्री जी की कि इस विभाग में सभी बेईमान नहीं हैं, बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं जो ईमानदार हैं और उन पर सबका विश्वास हो सकता है लेकिन अधिकतर जो पुराना स्टाफ काम कर रहा है या नीचे के स्तर में खास कर ओवरसियरों के लिये मैं समझता हूं कि उनके लिये ध्यान देने की खास आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से कहूंगा कि एक रुपये के कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हर साल लाखों रुपया वैसे ही लैप्स हो जाते हैं तो एक रुपये की यदि कमी हो जायगी तो कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री गिरधारी लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी एक दो बातें यहां पर उठाई गई हैं मैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। एक बात यह कही गई है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को सड़कें जो वापस कर दी गई हैं अगर उनको पी० डब्ल्यू० डी० अपने दूसरे फेंज में ले ले तो अच्छा होगा। मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि हमारा जो अगला प्रोग्राम बनेगा उसमें हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सी सड़कें ले सकते हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लें।

कंटिजेंसी की बात रह गई। मैं समझता हूं कि आपको प्रसन्नता होगी कि हमारे यहां कंटिजेंसी में ५ परसेंट से ३ परसेंट इस वक्त कर दिया गया है।

तीसरी बात आपने अभी रेट्स कमेटी के सिलसिले में कही। वास्तव में गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनायी गयी थी। उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है। अगर जरूरत होगी तो दिखायी जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यह अनुदान स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३० के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ४,३४,३८,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ३१ के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

३०–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३२–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य और ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा, तथा अनुदान संख्या ४५–लेखा शीर्षक ८१–राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माणकार्यों का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१––यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) (लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत १२,०१,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ३२ के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२––सार्वजनिक निर्माण कार्य, स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण कार्य और ८१––राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत ५०,९२,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३–सार्वजनिक निर्माण कार्य, स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण कार्य और ८१––राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत ४,२२,५०,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक

***वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**––जनाब स्पीकर साहब, मैं सन् १९५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक उपस्थित करने की अनुमति मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि क्या सदन को अनुमति है कि १९५४ ई० का विनियोग विधेयक उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक उपस्थित करता हूं।

जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पर विचार किया जाय।

इस विधेयक की बाबत मुझको कुछ अर्ज करने की जरूरत मालूम नहीं होती है। जितने अनुदानों का रुपया कि इस ऐवान ने मंजूर किया है वह सब रुपया एक जगह इकट्ठा होकर इस विधेयक में लिखा हुआ है और इसको पेश करने से यह इजाजत मांगी जाती है कि इस रुपये को कंसालिडेटेड फंड से लेकर खर्च करने की इजाजत दी जाय और इससे ज्यादा तो मैं कुछ अर्ज करना जरूरी नहीं समझता। लेकिन मैं इस ऐवान के तमाम मेम्बरान का, जिन्होंने बड़ी मेहनत और तवज्जह के साथ इस बजट पर गौर करके उसकी मुख्तलिफ चीजों के ऊपर समर्थन किया या उसकी आलोचना की इसलिये कि गवर्नमेंट उससे फायदा उठाये, शुक्रिया अदा करता हूं और मैं जनाबवाला का और जनाबवाला के सेक्रेटरी साहब असेम्बली और उनके पूरे स्टाफ का, उनके चपरासियों का और जो सेक्रेटरियेट स्टाफ है मय फाइनेंस के जिसने इस बजट के सिलसिले में तकलीफ उठाई है और अपना वक्त लगाकर मेहनत के साथ इसे तैयार करके इस मौके पर हमको पहुंचाया है कि हम इस बिल को पेश करें, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा यह हाउस इसी इज्जत और शान के साथ अपने फरायज को आपकी हिदायत के मातहत अंजाम देता रहेगा और हम अपने देश का सुधार करने में कामयाब होंगे।

*__श्री मदनमोहन उपाध्याय__ (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं और मैं सुझाव देने के लिए विरोध कर रहा हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज हम से रुपया खर्च करने का अधिकार मांगा जा रहा है और सालों में हमने इसी प्रकार सरकार को रुपया खर्च करने का अधिकार दिया और हमने यह देखा कि साल के आखिर में जितना रुपया इस सदन से पास हुआ उसका बहुत ज्यादा हिस्सा बिना खर्च हुए रह गया। सरकारी अफसरों की तनख्वाहें बराबर मिलती रहीं। वह तो पहली तारीख को लोगों को मिल जाया करती हैं। लेकिन जहां पर हमारे ऐसे ऐसे विकास कार्य हैं, वहां हम देखते हैं कि साल के आखिर में बहुत ज्यादा रुपया बच जाता है। माननीय मंत्री जी अगर बता दें कि जब २५ मार्च को हम रुपया खर्च करने का अधिकार दे देते हैं तो क्या कारण है कि हमारे विभागों को जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन मिलता है वह मार्च के महीने में मिलता है। और वह रुपया खर्च नहीं होता है लेप्स हो जाता है और जो डेफिसिट बजट होता है वह साल के आखिर में सरप्लस बजट में बदल जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा चाहता है और उसे बड़ी खुशी होती है जब कि विभाग अपना रुपया नहीं खर्च कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था निकाली जाय, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी कुछ दिक्कतों को देखते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि क्या वजह है कि चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हो, ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन उस वक्त मिल जानी चाहिये ताकि बरसात खत्म होने के बाद ही जितने भी कार्य होते हैं निर्माण के उनके लिए रुपया हमारे विभागों को मिल जाना चाहिए। हमारे पी० डब्ल्यू० डी० में ही फरवरी के महीने में टेंडर मांगे जाते हैं। वह टेंडर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असिस्टेंट इंजीनियर के यहां से इग्जिक्यूटिव इंजीनियर के यहां जाता है वहां पन्द्रह दिन लगते हैं। एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के यहां से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के यहां जाता है। फिर बांड भरा जाता है। बांड भरते भरते ३१ मार्च आ जाती है और रुपया लैप्स हो जाता है। लाखों रुपया मदों में दिखाया जाता है, अल्मोड़े को ही ले लीजिये। कहा जाता था कि अल्मोड़े के लिए बहुत सा रुपया रखा गया है लेकिन हमें यह भी देखना होता है कि साल के आखिर में कितना रुपया खर्च हुआ। तो मैं यही माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट या ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को हिदायतें दें कि अगर कोई भी विभाग अपना ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन सितम्बर तक नहीं मंगा लेता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। अगर ऐसा कोई सर्कुलर निकाल देंगे तो मुझे पूरी आशा है कि जो रुपया हमारे विकास कार्य के लिए रखा जाता है उसे वह खर्च कर पायेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। इस प्रकार का बजट अंग्रेजों के समय से हम देखते चले आये हैं। अब हमारा नया विधान आया है इसलिये नई प्रथायें लायी जायं। मैं माननीय मंत्री जी को एक राय देना चाहता हूं। जिस तरह से और मुल्कों में परफामैन्स बजट बनता है इसी तरह से परफामैन्स बजट की प्रथा यहां शुरू की जाय। इससे मेरा मतलब यह है कि अलग अलग मदों पर कितना रुपया व्यय होता है वह मालूम हो सके। जैसे पानी का प्रश्न है। हम देखना चाहें कि हमारे प्रान्त में पानी के लिये कितना रुपया खर्च किया जा रहा है तो इर्रीगेशन में पानी के लिये ग्रान्ट है, पब्लिक हेल्थ में पानी के लिये ग्रान्ट है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ग्रान्ट में भी पानी के लिये प्राविजन है, इसलिये अलग अलग मदों में पानी के लिये रुपया रखा गया है जिससे पता नहीं चल पाता कि पानी के लिये कुल कितना रुपया रक्खा गया है। पी० डब्ल्यू० डी० है, जितनी सड़कों का काम है, बिल्डिंग्स का काम है यह सब पी० डब्ल्यू० डी० बजट के अन्दर आ जाता है और हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० के काम के लिये कितना रुपया रक्खा गया है। इसी तरह से जो दूसरी मदें हों उनके लिये एक जगह रकमें हों ताकि अन्दाजा लग सके कि फलां मद में इतना रुपया रक्खा गया है और इतना खर्च हो रहा है।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। इसमें न्यू रोड्स के लिये ५६ लाख रुपया मांगा गया है लेकिन यह पता नहीं चलता कि वे न्यू रोड्स कहां बनेंगी। अगर न्यू रोड्स के डिटेल्स बजट में दे दिये जायं तो माननीय सदस्यों को मालूम हो सकेगा कि उनके जिले के अन्दर कितनी सड़कें बन रही हैं और कहां कहां नहीं बन रही हैं ताकि लोग उस पर विचार कर सकें।

एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि, अध्यक्ष महोदय, अब हम ४३१ मेम्बर हो गये हैं। पहले जब कौंसिल थी तो ६० मेम्बर थे। उस वक्त २० रोज बजट पर बहस करने को मिलते थे। आज हम ४३१ हैं लेकिन वही २० रोज डिसकशन के लिये मिलते हैं। हमारे सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, अपने जिले की तकलीफों को रखना चाहते हैं और अपनी अपनी मांगें पेश करना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस मसले पर भी वह गौर करें।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो सदन को ही पूरा अधिकार है कि वह अपने नियमों को बदल ले।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—सदन को पूरा अधिकार है लेकिन माननीय मंत्री जी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा बहुमत है नहीं, अगर बहुमत होता तो प्रस्ताव ला कर करवा देते लेकिन अगर माननीय मंत्री की सहायता हो तो हम ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं, यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि इस सदन के जितने मेम्बरान

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

हैं उन्हें मौका मिले कि वे अपने इलाके के लोगों की तकलीफों को जाहिर कर सकें। सात मिनट में यह उम्मीद करना कि ९२ करोड़ के बजट पर डिस्कशन कर लें और सारे प्रान्त की तकलीफों और आवश्यकताओं को बता दें यह नामुमकिन बात है। संविधान के अनुसार भी २० दिन के अन्दर वोट आन एकाउन्ट्स हो जाय जिसमें सरकारी अफसरों को खर्चा देने की बात है और बाकी डिमांड्स पर १० मई तक बहस हो, बजट पर हम वाद-विवाद करें ताकि हर एक को मौका मिल सके और हर सदस्य अपने यहां की ग्रिवेन्सेज रख सकें और जिनको बोलने का मौका नहीं मिल पाता है उनको भी मौका मिल सके। आशा है जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति न होनी चाहिये, इसमें सरकार का ही फायदा है। उनको सबकी सलाह मिल सकेगी और जो त्रुटियां हैं वे सब मालूम हो सकेंगी। अधिवेशन होगा तो खर्चा बढ़ेगा उसका ज्यादा खयाल न करना चाहिये क्योंकि यहां पूरी तरह से डिस्कशन हो सके यह ज्यादा जरूरी है। जो मेम्बर्स नहीं बोल पाते हैं उनके इलाके के लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं बोले। अगर वे बोल लें तो भी लोगों को तसल्ली हो जायगी, इसलिए माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बात पर जरूर विचार करें।

एक चीज और है, जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिलती है तो आखिरी महीने में सबसे ज्यादा रुपया खर्च करने की कोशिश की जाती है। इसलिये कोशिश की जाती है कि अगर फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने पी०डब्लू०डी० को ९ करोड़ रुपया सैंक्शन किया और उन्होंने ४ करोड़ रुपया ही इस साल खर्च किया और अगले साल वह फिर ९ करोड़ मांगते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले उनसे पूछते हैं कि मांगा तो तुमने ९ करोड़ है, लेकिन खर्च तो ४ करोड़ ही किया था। इसलिये नये बजट में ४ करोड़ रुपया लिया है। वह इस गर्ज से कि कहीं अगले साल वह रुपया नहीं मिलेगा और वह रुपया खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी में पेमेंट भी गलत कर देते हैं। कहीं फर्नीचर खरीद लेते हैं। आज ही फर्नीचर के लिए हुकुम जाता है। सारे डिपार्टमेंट इसी महीने में फर्नीचर खरीदते हैं और चारों तरफ से फर्नीचर की मांग बोबिन कम्पनी बरेली के पास जाती है। उनके पास भी इतना फर्नीचर तो होता नहीं कि वह अपने पास से सप्लाई कर दें तो वह बाजार से टूटा फूटा खरीद कर भेज देती है। इसलिए सरकार का रुपया व्यर्थ में खर्च होता है। इसका प्रबंध होना चाहिये ताकि सरकार का रुपया इस तरह से बर्बाद न हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और आगे के लिये इन बातों पर ध्यान रखने की कृपा करें। पहले तो यह होता था कि ३१ मार्च तक उनको पेमेन्ट करने के लिए कहा जाता था, लेकिन इस साल तो २५ तारीख तक ही गया है, कि उससे आगे पेमेन्ट नहीं होगा। तो उनके ५ दिन और कम हो गये। इस प्रकार से कम समय मिलने से यह जनता का रुपया व्यर्थ में बर्बाद होता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें और यदि हमारी बातें ठीक हों तो उनको कार्य-रूप में परिणत करने का प्रयत्न करें।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ५ बजे के बाद आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आज पांच बजे के बाद आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)**---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत सुझावों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम इस बिल का सिद्धांततः विरोध करने के लिये इसलिये विवश हुये हैं कि एकाउन्ट्स में हम यह देखते हैं कि सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को जो रुपया पारसाल खर्च करने के लिये दिया उसके सम्बन्ध में मितव्ययिता या खर्च करने के ऊपर कंट्रोल करने की प्रवृत्ति सरकार की बिलकुल गलत रही है। प्रतिवर्ष पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट निकलती है और लगातार यह कहा जाता है कि सेविंग ज्यादा हुयी है और कहीं पर एक्सेस एक्सपेंडीचर नहीं हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई सुधार नहीं है और प्रतिवर्ष सरकार का वही रवैया रहता है। आप सप्लीमेंटरी बजट के जरिये से मांगते चले जाते हैं चाहे विभाग को आवश्यकता हो या न हो और चाहे योजना कार्यान्वित हो या न हो। इस प्रकार से सरकार की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। मिसाल के लिये अप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स जो पिछले साल का हुआ उसमें गैरजरूरत के लिये अप्रोप्रियेशन इस साल ज्यादा है और पिछले सालों की निस्बत। ४६–४७ में ५ फीसदी है, ४७–४८ में ५ फीसदी है, ४८–४९ में भी ५ है, ४९–५० में ५ है लेकिन ५०–५१ में १ हो गया है। इसी प्रकार से सन् ५०–५१ में बहुत से अनुदान ऐसे मिले जो ४ करोड़ ५० लाख के हैं जिनमें अनकवर्ड एक्सपेंडीचर को कवर नहीं किया गया है। और बहुत से अनुदानों में यह देखा गया कि जितनी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मांगी गयी उससे ज्यादा कहीं बचत हुयी है। जैसे मिसाल के लिये रूरल अपलिफ्ट के लिये सप्लीमेंटरी ग्रांट ३ लाख ७८ हजार की मांगी गयी लेकिन उसमें साढ़े नौ लाख की बचत हुयी। इसी प्रकार लेजिस्लेचर के इलेक्शन्स के बारे में ११ लाख की ज्यादा बचत हुयी है। मैंने तो सिर्फ एक दो ही मिसाल दी लेकिन बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। इससे एक ही अर्थ निकलता है कि सरकारी विभाग बिना योजनाओं के चलते हैं और खर्चे का अन्दाजा लगाते हैं और उसकी वजह से सारे बजट की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है।

तीसरी बात जो इस सम्बन्ध में मुझे कहनी है वह कंटिन्जेंसी फंड अकाउन्ट के बारे में है। यह बात सही है कि कंटिन्जेंसी फंड कांस्टीट्यूशन के अनुसार बना है और उसके सम्बन्ध में एक विधेयक भी इस सदन ने पास किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि सदन को यह स्पष्ट मालूम हो जाना चाहिये और हमारे बजट में इसके लिये अलग पृष्ठ होना चाहिये जिससे हमें यह स्पष्ट मालूम हो जाय कि इस फंड में से कितना रुपया ड्रा किया गया और कितना रुपया रिकूप हुआ। आज दो, तीन साल हो गये इस फंड को कायम हुए लेकिन हमें अभी तक यह नहीं मालूम हो पाया कि कितना रुपया ड्रा हुआ और कितना रिकूप हुआ। इसी प्रकार से स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स आदि का भी अकाउन्ट्स होना चाहिये। यह बात सही है कि सरकार को लम्बी प्रणाली से चलना होता है उसको आडिट रिपोर्ट का इंतजाम करना होता है लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है इनका भी अलग पृष्ठ होना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि हमें आर्थिक दृष्टिकोण से भी आसानी होगी।

इसके अलावा एक बात और कह देना चाहता हूं वह यह कि यह सब गड़बड़ी जो होती है उसका मूल कारण हमारा वित्तीय वर्ष का अप्रैल के महीने से शुरू होने का है। क्योंकि इन आखिरी दिनों में जोर ज्यादा रहता है और बरसात के दिनों में हम काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि सितम्बर के महीने में बजट अधिवेशन होना चाहिये या जैसे ही बरसात खत्म होती है वैसे ही नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा न होने से सरकार फ्लड वगैरह अनफोरसीन बातों को नहीं देख पाती इसलिए अगर आप सितम्बर या अक्तूबर में उसको करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा दूसरी बात यह भी होगी कि हमको अनाज की स्थिति, सड़कों की स्थिति आदि सब बातें भी मालूम हो जायेंगी। इससे हम अपने प्रदेश की स्थिति का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकेंगे। पिछले वर्ष माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिलाया था और कहा था कि यह सुझाव अच्छा है, इस पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन, श्रीमन्, मालूम नहीं यह विचार कब तक होता रहेगा। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष जो एप्रोप्रियेशन बिल आये वह मार्च के अंतिम सप्ताह में न आकर दीवाली या हिन्दोस्तान की स्थिति को देखते हुए सितम्बर या अक्टूबर में आना चाहिये। क्योंकि और समय नहीं है इसलिए मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

*श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में आज सदन में दो लाइन अंग्रेजी की पढ़ देना चाहता हूं—

"रिंग आउट दी ओल्ड, रिंग इन दी न्यू"

पुरानी बातों को भूल जाइये और नयी बातों पर विचार कीजिये। सदन के माननीय सदस्यों ने अभी इस बजट पर जिस मुस्तैदी के साथ, नेकनीयती के साथ अपना क्रिटिसिज्म किया है और राय दी है और इतने बड़े बजट के सम्बन्ध में इस सदन में अपनी राय व्यक्त की है, उसमें अपने कर्तव्य का ही पालन किया है और जो जिम्मेदारी माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में दिखाई है, उसके लिए मैं सब सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार ने जो सुन्दर से सुन्दर डाइनेमिक प्लान का आयोजन पंचवर्षीय योजना में कर रखा है और जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम हमारे प्रान्त में हो रहा है उसे जिसे देखना हो वह प्रांत के गोशे गोशे में घूम कर देख सकता है। आज हमारा प्लानिंग विभाग उसके लिये गौरव का पात्र है। मैं आपके द्वारा पुनः आज सरकार से कहना चाहता हूं कि जितना रुपया खर्च किया जाय, अगर आज हम आप और आपके अफसरान ईमानदारी के साथ डट जायं तो हमारे विरोधी दल के लोगों को जो बजट में रुपया बचने की रोज नुक्ताचीनी करते हैं, शिकायत करते हैं, वह मौका न रहे।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे सदन के सभी सदस्यों को यही मान कर चलें कि वे ईमानदार हैं।

श्री शिव नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके लिये कुछ नहीं कहता। मैं आपकी इजाजत से सदन का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसके लिये लोगों ने करप्शन की शिकायत की कि डिपार्टमेंट में बहुत ान है, पी० डब्ल्यू० डी० में करप्शन है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें बातों को अच्छी तरह से सोच समझ कर ही कुछ करना चाहिये। हमारी जो पंचवर्षीय ा बनी है वह बहुत ही सुन्दर है। इससे हमारा प्रांत बहुत आगे बढ़ेगा। मैंने पी० डबल्यू० डी० के लिये एक बहुत सुन्दर बात सोच रखी थी लेकिन अवसर नहीं मिला था। लेकिन मैं इस जगह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस चीज को अपने हाथ में न रख कर तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी न देकर ग्राम पंचायतों के हाथ में दे देना चाहिये। मैं समझता हूं कि गांव में जो रहने वाले हमारे किसान हैं वे बड़ी ईमानदारी के साथ इस काम को करेंगे। हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री साहब जो सामने बैठे हुये हैं वह जब हमारे क्षेत्र में गये थे तो उन्होंने देखा कि हमारे यहां के किसान जड़हनी के बीज तक श्रमदान के सिलसिले में दे दिये थे। वहां की जनता किसी से पीछे नहीं है।

एक बात कह कर मैं खतम कर दूंगा। ७० लाख रुपया बैकवर्ड क्लास और हरिजनों के लिये रखा गया है। इस प्रान्त में करीब ४ करोड़ की आबादी पिछड़े हुये और हरिजनों की है। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और उसका एहसानमन्द हूं कि वह हरिजनों की तरक्की के लिये बहुत कुछ कार्य कर रही है। अगर हम पिछले इतिहास के पन्ने को उलटते हैं तो मालूम होता है कि १२०० वर्ष तक इस मुल्क में मुसलमानों ने राज्य किया और दो सौ वर्ष तक अंग्रेजों ने राज्य किया लेकिन इन १४०० वर्ष में किसी को भी हरिजनों का कुछ खयाल नहीं किया। यह तो गांधी जी और कांग्रेस ही थी जिसने हरिजनों को उठा कर यहां तक पहुंचा दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नेकनियती के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग देश के साथ हैं, देश के नाम पर हमेशा मर मिटने को तैयार हैं। आज हमारे देश की सीमा पर जो गड़बड़ी हो रही है और पाक-अमेरिकन संधि हो रही है उस मौके पर देश के हर नौजवान को, हर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट व हर हिन्दू मुसलमान को एक भाई की तरह समझकर देश की रक्षा के लिये अपनी बन्दूकों को अपने कंधे पर रख कर तत्पर रहना चाहिये। लेकिन फिर भी मैं सरकार से कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि जो रुपया हरिजनों के लिये रखा गया है वह बहुत कम है और सप्लीमेंटरी के मौके पर कुछ रुपया और भी इस काम के लिये देने का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये। मैं अन्त में पुनः, अध्यक्ष महोदय, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप भी वहीं से आते हैं जहां की रानी लक्ष्मीबाई थी। जिस वक्त झांसी के माननीय सदस्य बोल रहेथे उस समय मैं भी बोलना चाहता था लेकिन मैं नहीं बोल सका। तो वही पुरानी झांसी है जहां . . . .

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य विधेयक पर बोलें।

श्री शिव नारायण--जितना रुपया हमने सरकार को खर्च करने के लिये दिया है ऐक्चुअली उतना रुपया खर्च किया जाय ताकि अगले बजट में माननीय त्रिपाठी जी को शिकायत करने का मौका न रहे कि रुपया बच जाता है। एक माननीय सदस्य ने मेरे लिये कहा कि मैंने बिजली देखी नहीं है लेकिन जब मैं उनके घर में गया तो वहां बिजली गायब। तो अन्त में यही कहना चाहता हूं कि चाहे मैदानी इलाका हो चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो इन सब झगड़ों को छोड़कर हमें इस तरह से काम करना चाहिये जैसे "रिंग आउट दि ओल्ड ऐंड रिंग इन दि न्यू"।

श्री परिपूर्णा नन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उन बातों का जवाब देना चाहता हूं जो अभी बजट के विषय में माननीय उपाध्यक्ष जी और माननीय तिवारी जी की ओर से कही गई। मुझे ऐसा लगता है कि बजट के संबंध में २-३ गलतफहमियां दो तीन साल बजट पर बहस हो जाने के बाद भी उनके मन में रह गई हैं। हमें पहले यह जान लेना चाहिये कि बजट आय व्यय का तखमीना होता है, ब्यौरा नहीं होता और चूंकि वह एस्टीमेट है इसलिये हमें एक अन्दाजे की तरफ ही देखना होगा क्योंकि वास्तव में बजट एक तरह का अन्दाजा ही होता है। उपाध्याय जी को परफारमेंस बजट के बारे में भ्रम है। परफारमेंस क्या होता है? एक्सपेंडिचर का ब्यौरा कैसे मालूम हो सकता है, समय समय पर सदन में जो पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं उन में हर विभाग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, उसको यानी इन रिपोर्टों को क्या कहते हैं और क्या पारिभाषिक शब्द उसके लिये हिन्दी में है जिससे मालूम हो सके कि परफारमेंस क्या है यह मैं कैसे समझाऊं। उनमें ही बजट का ब्योरा होता है। उनमें जो आंकड़े रखे जाते हैं वे ही संक्षेप में बजट के रूप में रखे जाते हैं।

मैं यह भी नहीं जानता हूं कि तिवारी जी ने कैसे कह दिया कि कनटिनजैंसी का कहीं हिसाब मिलता। उसको माननीय वित्त मंत्री जब कैसे समझायेंगे जो कि तिवारी जी यह नहीं समझते हैं कि कनटिनजैन्सी की वही रकम है जिसका जिक्र आगे ब्यौरे के साथ सप्लीमेंट्री बजट में दिया जाता है। अगर सप्लीमेंट्री बजट को ध्यान से देखा जाय तो कनटिनजैंसी से पेशगी एक एक पैसे का हिसाब उसमें रहता है। अगर सप्लीमेंट्री बजट पेश न किया जाता तो दूसरी शिकायत हो सकती थी लेकिन जब सप्लीमेंटरी बजट आता है तो उसको समझने में कोई दिक्कत न होनी चाहिये।

शिकायत यह हो सकती है कि साल के आखिर में बजट की बचत की रकमों को फजूल विभाग अकसर खर्च करते हैं। माननीय उपाध्याय जी ने २५ मार्च तक सब पेमेंट का जिक्र किया पर वह आदेश को अधूरा कह गये हैं। सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि माननीय मुख्य मंत्री जी का यह सरकुलर है, शायद उनको जानकारी होगी कि २५ मार्च के बाद कोई बिल पास न होना चाहिये। उनका आदेश है कि साल के अन्त में बहुत से मुहकमें अपने खर्च को पूरा करने के लिये बहुत सी चीजें जल्दी में खरीद लेते हैं जिनको वह रोक सकते थे, ऐसे खर्च के लिये आदेश है कि रुपया लैप्स होने दिया जाय पर खर्च न किया जाय और २५ मार्च के बाद कोई बिल आनर न किया जाय और कोई खर्च जल्दबाजी में न हो। अगर उपाध्याय जी पूरी बात कहते तो कुछ हमारी समझ में आ सकता था। फर्निचर के बारे में बदकिस्मती से साल के आरम्भ में

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

मालूम ही नहीं हो पाता है और न कुर्सी मेज ऐलान करते हैं कि हम कब टूट जायेंगे साल के अन्त में जरूरत का कम से कम अन्दाज लगाकर कुछ न कुछ खरीद लिया जाता है, तो अतः मैं फिर कह देना चाहता हूं कि बजट एक अन्दाजा होता है।

एक बात उपाध्याय जी ने कही और जो हर साल कही जाती है कि इतने सदस्यों को बजट पर बोलने का बहुत कम समय मिलता है। यह तो सदन के अधिकार की बात है। इस विषय में बहुत सी परम्परायें हैं। बजट की चीजें ३१ मार्च तक मंजूर होने के बाद ही खर्च हो सकती हैं पर ३१ तारीख के बाद में भी विचार किया जा सकता है और इस का भी नियम हो सकता है और दूसरे देशों में ऐसी परम्परायें भी हैं। कहीं पर साल बजट के आइटम्स पर बहस होती रहती है। लेकिन हमारे यहां ऐसी ही परिपाटी है कि ३१ मार्च से पहले ही बजट पास हो जाना चाहिये हम भी अगर इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुये कोई नियम बना सकें तो बना सकते हैं। अन्त में मैं, श्रीमन्, एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे मित्रों ने बजट के आंकड़ों के विषय में शंका की है। उन शंकाओं को दूर करने के लिये कृपा करके वे उन पुस्तिकाओं को जो यहां बांटी जाती हैं उनको फेंक न दें उनको फिर पढ़ने की चेष्टा करें और तब उनकी वह सारी शंकायें निराधार साबित होंगी।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब स्पीकर साहब, इस आखिरी वक्त में मैं कोई बात इख्तिलाफ की कहना नहीं चाहता। जो सुझाव दिये गये उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दो बातें ऐसी हैं जिनको किसी इख्तिलाफ के लिहाज से नहीं और वह इख्तिलाफ की बात नहीं है जो मैं अर्ज करता हूं उनकी बाबत थोड़ा सा कहना चाहता हूं।

एक तो यह कि मेरे दोस्त ने यह फरमाया कि वित्तीय वर्ष जो है उसमें तब्दीली हो और किसी वक्त सरकार की तरफ से उसकी बाबत कुछ विश्वास दिलाया गया था। मैं यह नहीं कह सकता कि था या नहीं था। मैं इससे इनकार भी नहीं करता कि ऐसा हो, न उसके खिलाफ या उसकी मुआफिकत में कुछ कहता हूं सिर्फ एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष का मामला ऐसा है जो तय करना एक राज्य के फैसले पर खास तौर पर नहीं हो सकता। केन्द्रीय सरकार भी है जिससे बहुत गहरा हमारा संबंध है और इस किस्म के मामलात जब तक कि और जगहों पर तबदीली न हो किसी एक अकेले स्टेट में करना कहां तक संभव होगा, यह सोचने की बात है।

दूसरी बात समय ज्यादा बजट पर बहस करने के लिये हो, इसकी मांग थी। उसकी निस्बत मुझे यह अर्ज करना है कि चेयर ने इरशाद कुछ फरमाया था वह तो बहुत अपनी जगह ठीक है लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेम्बरान हमारी जनता के नुमाइन्दे हैं। उनकी जान और उनकी तन्दुरुस्ती बहुत कीमती है। ज्यादा वक्त तक बहस हो तो वह ज्यादा तकलीफ की बायस होगी इसलिये जहां उस बात पर गौर करें वहां इस बात पर भी गौर करना होगा कि सरकार के हाथों से कोई बात ऐसी न हो जाय जिससे उनकी तन्दुरुस्ती में कोई फर्क पैदा हो और ज्यादा मेहनत करके आपकी तन्दुरुस्तियां खराब हों।

मैंने पहले भी अर्ज कर दिया था कि जो कुछ बातें कही गईं उसमें किसी से भी इख्तिलाफ हो या इत्तिफाक हो मैं इस आखिरी वक्त में कोई इख्तिलाफ नहीं किया चाहता हूं और इसलिये मैं कोई जवाब देने की तरफ तवज्जह नहीं करता। सिर्फ दोबारा इतना अर्ज करता हूं कि इख्तिलाफ तो दुनिया में होते हैं। इख्तिलाफ को कोई बुरा कहते हैं कि बहुत बुरी चीज है। वह टोपी सुर्ख है और वह टोपी सफेद है और बाहर किसी किस्म की टोपी और है जिनका मुख्तलिफ रंग है। उससे लोग मुख्तलिफ असर लेते हैं लेकिन मैं तो इन सब रंगों में सिर्फ एक रंग देखता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सब रंग जो है वह हिन्दुस्तान की सेवा के हैं। जौक साहब एक दिल्ली के शायर हैं उन्होंने इख्तिलाफ की बाबत जो दुनिया में है एक बहुत ही अच्छा खयाल एक शेर में जाहिर किया है। मैं उस शेर को आपकी इजाजत से यहां पढ़ देना चाहता हूं

गुलहाय रंग रंग से है जीनते चमन,

फूल मुख्तलिफ रंग के होते हैं, चमन उस जगह का नाम है जहां फूल लगे हुये होते हैं सब्जा होता है, बाग होता है और वह चीज बहुत रंग की नजर आती है, बहुत खूबसूरत मालूम होती है। इस खयाल को इसमें जाहिर किया गया है। दूसरा मिसरा यह है

है जौक इस जहां का जेब इख्तिलाफ से।

वह इस जहां के रंगों का बायस है। तो मैं भी इस डाइवर्सिटी को किसी और रंग में नहीं देखता हूं कि यह खुदा की दी हुई एक खूबी है और हमको उससे फायदा उठाना चाहिये और सबको इत्तफाक के साथ मिलकर अपनी देश की सेवा करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ और ३

२---ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५५ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग २,१९,२९,२१,५०० रु० (दो अरब, उन्नीस करोड़, उन्तीस लाख, इक्कीस हजार, पांच सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५४-५५ के लिये २,१९,२९,२१,५०० रु० का दिया जाना।

३---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५५ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

विनियोग

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट्स)				
१	कृषि आयकर (एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय	३,२२,५००	..	३,२२,५००
२	मालगुजारी ..	४,२२,४८,०००	..	४,२२,४८,०००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	१,१८,०५,८००	..	१,१८,०५,८००
४	स्टाम्प ..	६,४०,७००	..	६,४०,७००
५	बन (फारेस्ट) ..	१,५३,३१,७००	..	१,५३,३१,७००
६	रजिस्ट्री ..	१४,१४,४००	..	१४,१४,४००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	९५,०४,०००	..	९५,०४,०००
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय ..	२७,७३,२००	..	२७,७३,२००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	२,४४,७८,४००	..	२,४४,७८,४००
१०	सिंचाई (इरिगेशन) स्थापना पर व्यय ..	२,६४,००,०००	..	२,६४,००,०००
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	१४,००,३००	..	१४,००,३००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	२,२८,२७,७००	९,९४,४००	२,३८,२२,१००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन व्यय	२,७३,९१,०००	..	२,७३,९१,०००
१४	गांव सभायें और पंचायतें	९७,३१,२००	..	९७,३१,२००
१५	न्याय प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस)	१,२२,४३,७००	२४,९२,८००	१,४७,३६, ५००
१६	जेल	१,३१,२९,४००	..	१,३१,२९,४००
१७	पुलिस ..	७,२१,८५,९००	..	७,२१,८५,९००
१८	शिक्षा ..	९,४७,५१,०००	..	९,४७,५१,०००
१९	चिकिसा (मेडिकल)	२,६५,२३,१००	..	२,६५,२३,१००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	१,३०,२०,२००	..	१,३०,२०,२००
२१	कृषि संबंधी विकास और खोज (एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऐन्ड रिसर्च)	१,५९,४८,०००	..	१,५९,४८,०००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐण्ड कालोनाइजेशन)	१,६१,७५,१००	..	१,६१,७५,१००
२३	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी)	१,२८,७२,९००	..	१,२८,७२,९००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२४	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	२,०१,१३,५००	—	२,०१,१३,५००
२५	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	८६,६०,१००	—	८६,६०,१००
२६	सहकारिता के आधार पर ऋण	६२,२०,५००	—	६२,२०,५००
२७	उद्योग ..	२,७३,०६,०००	—	२,७३,०६,०००
२८	श्रम (लेबर) और संख्या	२७,९६,०००	—	२७,९६,०००
२९	वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	४,७१,८४,०००	—	४,७१,८४,०००
३०	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	४,३४,३८,८००	२,८३,३००	४,३७,२२,१००
३१	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित) ..	१२,०१,५००	—	१२,०१,५००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय ..	५०,९२,१००	—	५०,९२,१००
३३	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रांट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स) ..	८५,५५,८००	—	८५,५५,८००
३४	दुर्भिक्ष सहायता (फेमीन रिलीफ)	१४,७४,९००	१६,००,०००	३०,७४,९००
३५	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें और भारतीय शासकों को निजी खर्चे ..	७,६०,५००	—	७,६०,५००
३६	बुढौती (सुपरएनुएशन) भत्ते और पेंशनें ..	२,०१,६०,१००	१,४४,०००	२,०३,०४,१००
३७	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई ..	८८,२२,२००	—	८८,२२,२००
३८	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज) ..	७,९४,३४,२००	१००	७,९४,३४,३००
३९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	७०,००,०००	—	७०,००,०००
४०	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा आर्डिनरी चार्जेज)	२,२४,८८,०००	—	२,२४,८८,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४१	योजना और एकीकरण	२,४४,९३,९००	..	२,४४,९३,९००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशन्स) पर ब्याज	..	५,४०,१३,४००	५,४०,१३,४००
	ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)	..	२१,७८,७४,१००	२१,७८,७४,१००
	प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान बन्ध	..	७५,२५,००,०००	७५,२५,००,०००
	योग 'क' ..	८०,८३,२०,३००	१,०२,९९,०२,१००	१,८३,८२,२२,४००
	ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय			
४२	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन ..	९,६४,१५,६००	—	९,६४,१५,६००
४३	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	३,३२,३२,०००	—	३,३२,३२,०००
४४	औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट) ..	१,१६,१०,०००	—	१,१६,१०,०००
४५	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स पर लागत (आउटले)	४,२२,५०,७००	—	४,२२,५०,७००
४६	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	९,८१,३२,७००	—	९,८१,३२,७००
४७	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	१,४४,०३,०००	—	१,४४,०३,०००
४८	पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ पेंशन्स	२२,७५,०००	२५,०००	२३,००,०००
४९	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं ..	४३,१४,७००	—	४३,१४,७००
	योग 'ख'	३०,२६,३३,७००	२५,०००	३०,२६,५८,७००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	ग—ऋणों और अग्र ऋणों (लोन्स ऐन्ड ऐडवांसेज) का भुगतावा (डिसवर्समेंट)			
५०	व्याज वाले ऋण और अग्र ऋण (एडवांसेज)	५,२०,४०,४००	—	५,२०,४०,४००
	योग 'ग'	५,२०,४०,४००	—	५,२०,४०,४००
	कुल योग	१,१६,२९,९४,४००	१,०२,९९,२७,१००	२,१९,२९,२१,५००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

१९५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रियेशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव निम्नलिखित विधेयक बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पारित किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष—वह आ चुकी है।

प्रश्न यह है कि सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

लैंड ऐक्वीजिशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं लैंड ऐक्वीजिशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९२–२९५ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी, (संशोधन) विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९६–३०२ पर)

कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं कुमायूं भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०३–३०६पर)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १८ मिनट पर २९ मार्च, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२५ मार्च, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२८ पर।)

बस्ती जिले में कोआपरेटिव सोसाइटीज की सूची:—

१—इंडस्ट्रियल सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, मगहर
२—महुली करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
३—अली नगर करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
४—खलीलाबाद ईस्ट करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
५—खलीलाबाद वेस्ट करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
६—धौरहरा करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
७—काजीपुर करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
८—तकिया बाजार करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
९—शेर पुर करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
१०—ओजा गंज करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
११—छितही करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
१२—वीरपुर कोहल करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
१३—गनियावन करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
१४—ककरा पोखर करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
१५—सोहरतगंज करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
१६—मल्टिपिल करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (शोहरतगढ़)
१७—निवारी करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
१८—हरदी करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
१९—गोहाट करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
२०—कादिरा बाद करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
२१—मुहदावल ईस्ट करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
२२—जगन्नाथपुर करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
२३—महू घाट करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
२४—महदावल वेस्ट करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
२५—बस्ती करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
२६—धरम सिंहवा करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
२७—हंसार बाजार करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
२८—गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड गुलरीहा डा० महदावल
२९—गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड करौं, डाक हरदरपुर
३०—गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड सिम्बर्ज, डाक बसीह
३१—गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड सिकन्दरपुर

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २९० पर)

लैन्ड एक्वीजिशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

ऐक्ट १, १८९४।

कुछ प्रयोजनों के लिए लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित करने का

विधेयक

ऐक्ट १, १८९४।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यह आवश्यक है कि लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित किया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारंभ।

१—(१) यह अधिनियम लैन्ड एक्वीजिशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

ऐक्ट १, १८९४ का, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन।

२—लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ (जिसको यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा जायगा), जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का एवं संघ (union) के प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन (acquisition) से उसका सम्बन्ध है, अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन, प्रभावशील होगा।

अपवाद।

३—धारा २ में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा २३, भूमि के किसी अर्जन के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले उक्त अधिनियम की धारा ४ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति के अनुसार किया गया हो, इस प्रकार सप्रभाव होगी, मानों उसकी उपधारा (२) निकाल दी गयी थी।

अनुसूची

(धारा २)

लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ का संशोधन

ऐक्ट १, १८९४ की धारा ३ का संशोधन।

१—लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है की धारा ३ में

(१) खंड (f) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*f*) the expression 'public purpose' includes provision for or in connexion with—

(*i*) sanitary improvements of any kind, including reclamation;

(*ii*) the laying out of village sites, townships or the extension, planned development or improvement of existing village sites or townships;

(*iii*) the settlement of land for agriculture with the weaker section of the people; and;" और

(२) खंड (g) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (h) के रूप में जोड़ दिया जाय :--

"(*h*) 'Land Reforms Commissioner' means the Land Reforms Commissioner appointed by the State Government."

२--मूल अधिनियम की धारा ४ में :

ऐक्ट १,१८९४ की धारा ४ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) में शब्द "such Government" के पश्चात् शब्द "or Collector, जोड़ दिये जायं ; और

(२) उपधारा (२) में शब्द "such Government" के पश्चात् शब्द "or Collector" जोड़ दिये जायं ;

३--मूल अधिनियम की धारा ५ ए की उपधारा (१) में शब्द "thirty days" के स्थान पर शब्द "twenty-one days" रख दिये जायं।

ऐक्ट १,१८९४ की धारा ५ ए की उपधारा (१) का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) में शब्द "more" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :--

ऐक्ट १,१८९४ की धारा १२ का संशोधन।

"and also send a copy of the award to the Land Reforms Commissioner."

५--मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १२ ए के रूप में जोड़ दी जाय :

ऐक्ट १,१८९४ में एक नयी धारा १२ ए का रखा जाना।

"12-A. (1) The Collector may at any time but not later than six months from the date of the award, or where a reference has been made under section 18 before the making of such reference, correct any clerical or an arithmetical mistakes in the award either of his own motion or on the application of any person interested.

Correction of award.

(2) The Collector shall give immediate notice of any correction made in the award to all persons interested.

(3) Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made under sub-section (1) ,such person shall be liable to refund the excess, and if he defaults or refuses to pay, the same may be realised as an arrear of land revenue."

६--मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित को एक नयी धारा (१-ए) के रूप में रख दिया जाय :--

ऐक्ट १,१८९४ की धारा १७ का संशोधन।

"(1-A) The power to take possession under sub-section (1) may also be exercised in the case of other than waste or arable land, where the land is acquired for or in connection with sanitary improvements of any kind."

ऐक्ट १,१८९४ की धारा १८ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं (३) और (४) के रूप में जोड़ दी जायं :—

"(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the Land Reforms Commissioner may, where he considers the amount of compensation allowed by the award under section 11 to be excessive, require the Collector that the matter be referred by him to the Court for determination of the amount of compensation.

"*Explanation*—In any case of land under Chapter VII the requisition under this sub-section may be made by the Land Reforms Commissioner at the request of the Company on its undertaking to pay all the cost consequent upon such requisition.

(4) The requisition shall state the grounds on which objection to the award is taken and shall be made within six months from the date of the award."

ऐक्ट १, १८९४ की धारा २३ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २३ में :

(१) खंड "first" में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में, अन्त में जोड़ दिया जाय—

"*Explanation*—In judging the market value aforesaid in any case where land is acquired for or in connection with sanitary improvements of any kind or planned development due regard shall be had to the insanitary and inhygienic conditions of the land on the date aforesaid."

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

ऐक्ट १, १८९४ की धारा २५ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा २५ से शब्द "or be less than the amount awarded by the Collector under section 11." निकाल दिये जायं।

ऐक्ट १, १८९४ की धारा ३९ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३९ की संख्या बदल कर उसे उपधारा (१) कर दिया जाय और निम्नलिखित को नयी उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(2) In cases of acquisition of land for a society registered under the Societies Registration Act, 1860, sub-section (1) shall have effect as if for the words and figures "sections 6 to 37 (both inclusive)" the words and figures "sections 6 and 7" had been substituted."

उद्देश्य और कारण

सरकार समझती है कि लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के अधीन कार्यवाहियों में कुछ विधिक दोषों के कारण बहुत विलम्ब हो जाता है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी। योजना आयोग (Planning Commission) ने भी नियोजित विकास को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से भूमि के अर्जन (acquisition) को सुकर बनाने तथा उसका व्यय कम करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्रस्तुत किये थे। समिति तथा योजना आयोग के सुझावों पर सरकार ने विचार किया है। स्वीकृति के योग्य समझे गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।]

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २९० पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधित करने का

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४।

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३ के खण्ड (२) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (२—क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(२—क) "चकबन्दी समिति" का तात्पर्य १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबन्धक समिति से है, और इसके अन्तर्गत धारा ४३ के अधीन स्थापित उप-समिति भी है।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ में नयी धाराएं १०—क और १०—ख का बढ़ाया जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं १०—क और १०—ख के रूप में बढ़ा दी जायं :—

"जोतों का बंटवारा।

१०—क—(१) ऐसे निरोधों (restrictions) के अधीन जो नियत किये जायं, एक या एक से अधिक खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से किसी भी खाते का स्वत्वधारी खातेदार धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से अथवा धारा १० के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी दशा हो, पूर्व चकबन्दी अधिकारी के पास प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि खाते में उसका अंश अलग प्रदिष्ट (allot) कर दिया जाय।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन खातेदार द्वारा कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जाय, तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १७८ में किसी बात के होते हुए भी, चकबन्दी अधिकारी खातेदार को उसमें उसके स्वत्वगत अंश के अनुपात से जोत के भाग का स्वत्वाधिकारी समझेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा।

१०-ख— किसी जोत के स्वत्वाधिकारी खातेदार के लिए यह वैध होगा कि वह किसी भी अन्य खातेदार के साथ आपस में तय किये हुए प्रतिबन्धों के अधीन अपनी जोत को उसकी जोत में सम्मिलित (amalgamate) करा ले और जहां तक कि ऐसा करना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, चकबन्दी अधिकारी भी इसे कार्यान्वित करेगा।

जोतों का एकत्रीकरण।

४—मूल अधिनियम की धारा १२—

(१) की उपधारा (४) में शब्द "हेतु" और शब्द "मध्यस्थ" के बीच में शब्द "क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) सिविल जज के पास अभिदिष्ट (refer) करेगा, जो उसे" रख दिये जायं,

उ० प्र० अधिनियम ५ की धारा १२ का संशोधन।

(२) की वर्तमान उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(५) उपधारा (४) के अधीन अभिदेश (reference) किये जाने पर आदिम, अपील, अभिदेश, अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (court of first instance, appeal, reference or revision) में विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियां, जिनमें उस भूमि से सम्बद्ध आगम (title) का प्रश्न उठा हो, रोक दी जायंगी।"

५—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (ङङ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १४ का संशोधन।

"(ङङ) वह आधार जिस पर खातेदार सामान्य उपयोगिता की भूमि के लिए अंशदान करेंगे; और"

६—मूल अधिनियम की धारा १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १५ का संशोधन।

१५—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अधीन सिद्धांतों का विवरण तैयार करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, यथा :—

"सिद्धान्तों के विवरण की तैयारी में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त।

(क) गांव की भूमि का विभाजन और वर्गीकरण विभिन्न हारों (blocks) में किया जायगा, जो संख्या में बिना चकबन्दी संचालक की आज्ञा प्राप्त किये तीन से अधिक न होंगे और निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके परिच्छिन्न (demarcated) किये जायंगे; यथा :—

(१) गांव में उगाई जाने वाली फसलों की किस्म और संख्या,

(२) मिट्टी की किस्म,

(३) सिंचाई की सुविधाओं का होना अथवा न होना, और

(४) किसी नदी की बहिया में पड़ने वाली भूमि का होना,

(ख) केवल उन्हीं खातेदारों को किसी हार (block) विशेष में भूमि मिलेगी जिनके पास वहां पर पहले से भूमि हो;

(ग) आबादी के लिए तथा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट (earmarked) क्षेत्रों को छोड़ कर प्रत्येक खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या , गांव की हारों (blocks) की संख्या से अधिक न होगी;

(घ) एक ही परिवार के खातेदार को जहां तक सम्भव होगा पड़ोस वाला चक दिया जायगा,

(ङ) खातेदार के निवासगृह अथवा उसके द्वारा की गयी समुन्नति (Improvement) की स्थिति पर यदि कोई हो, जहां तक सम्भव हो चक प्रदान करने में विचार किया जायगा;

(च) छोटे खातेदार को जहां तक सम्भव हो गांव की आबादी के पास भूमि दी जायगी;

(छ) वर्तमान संहत जोत (existing compact holding) अथवा फार्म जिसका क्षेत्रफल सवा छः एकड़ या उस से अधिक हो, जहां तक सम्भव हो, वितरित अथवा विभक्त नहीं किया जायगा,

(ज) प्रत्येक खातेदार को जहां तक सम्भव हो, उसी हार (block) में भूमि प्रदान की जायगी जिसमें उसकी जोत का अधिकतम अंश हो,

(झ) खंड (ज) के अधीन गाटों की प्रदेशना (allotment) उनके लगानी मूल्य के आधार पर की जायगी : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रस्तावित प्रदिष्ट किये जाने वाले गाटों का क्षेत्रफल, जहां तक सम्भव हो, मूल गाटों के २५ प्रतिशत से अधिक न हो।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी अन्य ऐसे सिद्धान्तों का भी ध्यान रखेगा, जो नियत किये जायं, अथवा जिन्हें प्रबन्धक समिति निर्दिष्ट करे और जो इस अधिनियम तथा नियमों से असंगत न हों।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १७ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (३) में शब्द "निरीक्षण" के पश्चात् शब्द "करेंगे" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "कर सकते हैं" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा २२ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २२—

(१) की उपधारा (१) में शब्द "हेतु" और शब्द "मध्यस्थ" के बीच में शब्द "क्षेत्राधिकार प्राप्त सिविल जज के पास अभिदिष्ट करेगा जो उसे" रख दिये जायं;

(२) की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२) उपधारा (१) के अधीन अभिदेश किये जाने पर आदिम, अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (Court of first instance, appeal, reference, or revision) में विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियां, जिसमें उस भूमि से सम्बद्ध आगम का प्रश्न उठा हो, रोक दी जायंगी।"

९—मूल अधिनियम की धारा २६ में शब्द "पहली मई" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी संचालक द्वारा निश्चित किये जाने वाले किसी दिनांक" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा २६ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा ३६— उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३६ का संशोधन।

(१) की उपधारा (१) में शब्द "हेतु" और शब्द "मध्यस्थ" के बीच शब्द "क्षेत्राधिकार प्राप्त सिविल जज के पास अभिदिष्ट करेगा जो उसे" रख दिये जायं।

(२) की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) उपधारा (१) के अधीन अभिदेश किये जाने पर आदिम, अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (Court of first instance, appeal reference or revision) में विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियां, जिसमें उस भूमि से सम्बद्ध आगम का प्रश्न उठा हो, रोक दी जायेंगी।"

११—मूल अधिनियम की धारा ४२ में उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (४) के रूप में बढ़ा दी जाय :— उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन।

"(४) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार चकबन्दी के सहायक संचालक को चकबन्दी संचालक के सभी अथवा ऐसे कृत्यों को सम्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकती है जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हो और तत्पश्चात् चकबन्दी के संचालक के प्रति इस अधिनियम के अधीन सभी अभिदेशों (references) के अन्तर्गत जहां तक उनका सम्बन्ध निर्दिष्ट कृत्यों से हो, सहायक संचालक के प्रति अभिदेश भी सम्मिलित समझे जायेंगे।"

१२—मूल अधिनियम की धारा ४३— उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४३ का संशोधन।

(१) की उपधारा (१) में—

(क) शब्द "नियत की जायं" और शब्द "चुनेगी" के बीच में शब्द "सदस्यों की एक उपसमिति" रख दिये जायं।

(ख) शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" रख दिये जायं।

(२) की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दी जाय :—

"(३) जब किसी भी समय राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि चकबन्दी समिति बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा क्षंतव्य बात (reasonable cause or excuse) के इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये अथवा अभ्यर्पित (assigned) कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के करने में असफल रही है, अथवा उसने उन्हें करने से इन्कार कर दिया है अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे समिति उक्त कर्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में असमर्थ हो गयी है अथवा अन्य किसी हेतु ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों के अनुसार या तो भूमि प्रबन्धक समिति का पुनर्संगठन करेगी या किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों अथवा कर्तव्यों को करने अथवा सम्पादन के हेतु नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रति सभी अभिदेशों (references) के अन्तर्गत इस प्रकार पुनर्संगठित भूमि प्रबन्धक समिति अथवा नियुक्त प्राधिकारी के प्रति, जैसी भी दशा हो, अभिदेश होंगे।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ में एक नयी धारा ४८-क का जोड़ा जाना।

१३—मूल अधिनियम की धारा ४८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा ४८-क के रूप में जोड़ दिया जाय :—

निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध।

४८-क-(१) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी भी बात के होते हुए भी :

(क) ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन (Custodian of Evacuee Property), जिन्हें यहां पर आगे चल कर इस धारा में कस्टोडियन कहा गया है, में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित किसी भी भूमि के सम्बन्ध में, उसके निर्णय पर इस अधिनियम के अधीन कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी न तो आक्षेप करेगा और न उसे परिवर्तित अथवा व्यतिक्रान्त (Call in question, very or reverse) करेगा।

(ख) इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ न होगा जिससे कस्टोडियन किसी भूमि के आगम (title) के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही को जो उसके समक्ष इस अधिनियम के ऐसे प्रचलित होने के दिनांक

पर जिनके अधीन भूमि के आगम से सम्बद्ध कार्यवाहियां रुकनी चाहिए विचाराधीन हों, रोक सके अथवा जिससे चकबन्दी अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसा अधिकार प्राप्त हो जिसके अनुसार उक्त दिनांक पर कस्टोडियन के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त (involved) भूमि के सम्बन्ध में आगम के प्रश्न को अवधारण के लिए अभिदिष्ट करे।

(२) जब चकबन्दी क्रियाओं के फलस्वरूप किसी गांव में :

(क) एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति (Evacuee Property) के रूप में कस्टोडियन में निहित भूमियां, उन जोतों में सम्मिलित कर दी जायं, जो कस्टोडियन में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित न हो तो ऐसी भूमि चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक के कस्टोडियन में इस प्रकार निहित न रहेंगी, और तत्पश्चात् उक्त ऐक्ट के उपबन्ध उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त न रहेंगे, और

(ख) ऐसी भूमियों के बदले में उसी प्रकार भूमियां उन जोतों में सम्मिलित कर दी जायगी, जो कास्टोडियन में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित हों, और ऐसी भूमियां चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से उपर्युक्त ऐक्ट के तात्पर्य के अन्तर्गत प्रख्यापित निष्क्रान्त सम्पत्ति समझी जायेंगी और कस्टोडियन में निहित हो जायेंगी, और तत्पश्चात् उक्त ऐक्ट के उपबन्ध तथा सम्भव उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त होंगे।

१४—मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जायगी। उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५३ का निकाला जाना।

१५—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) के वर्तमान खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५४ का संशोधन।

"(द) मध्यस्थ (arbitrator) की नियुक्ति :

(दद) सिविल जज को आगम के प्रश्न के भेजने की, तथा धारा १२, २२ और ३६ के अधीन सिविल जज द्वारा मध्यस्थ को अभिदेश (reference) की, तथा सिविल जज द्वारा तत्सम्बन्धी निर्णय की चकबन्दी अधिकारी के पास वापसी की प्रक्रिया।"

१६—धारा १७, १९ और २१ में तथा धारा ४३ की उपधारा (२) में तथा धारा ५४ की उपधारा (२) के खंड छ में शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" रख दिये जायं।" शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" का रखा जाना।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ पर राष्ट्रपति ने ४ मार्च, १९५४ को स्वीकृति प्रदान की। निष्क्रान्त सम्पत्ति की विशेष स्थिति को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि इस अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया जाय, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन आफ एवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन में, निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित किसी सम्पत्ति के आगम के सम्बन्ध में उसके निर्णय पर इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप अथवा परिवर्तन न हो सके, और यदि कस्टोडियन में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित भूमियां ऐसी जोतों के अन्तर्गत हों, जो कस्टोडियन में निहित नहीं हैं, तो वे भूमियां कस्टोडियन में निहित न रहेंगी, और उसी प्रकार की भूमियां उन जोतों में सम्मिलित कर दी जायंगी, जो कस्टोडियन में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित हों।

२—इस अधिनियम के उपबन्धों पर और अधिक विचार करने से यह प्रतीत होता है कि मध्यस्थ निर्णय (arbitration) जोतों के बटवारे और संयोजन, अधिकारों के सौंपने और भूमि प्रबन्धक समिति के अपने कर्त्तव्यों को करने से इनकार कर देने की दशा में चकबन्दी योजना से जनता के सम्पर्क के वैकल्पिक प्रबन्ध में कुछ त्रुटियां अवश्य हैं।

३— इन त्रुटियों को दूर करने के लिये और निष्क्रान्त सम्पत्ति के स्वत्व को रक्षित रखने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरन सिंह,
माल मंत्री।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'घ,

(देखिये पीछे पृष्ठ २९० पर)

कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४

कुमायूं में भौमिक अधिकार की सुरक्षा की व्यवस्था तथा कृषि भूमि से सम्बद्ध अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि कुमायूं में कृषि भूमि से सम्बद्ध भौमिक अधिकार की सुरक्षा तथा अन्य प्रकीर्ण उपबन्धों की व्यवस्था की जाय,

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार उन क्षेत्रों को छोड़कर, जो सरकारी आस्थान (Government Estates) के अन्तर्गत हैं, अथवा जिन पर १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है, सम्पूर्ण कुमायूं डिवीजन में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम परिभाषायें में :

(क) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(ख) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(ग) "काश्तकार" (Tenant) के अन्तर्गत सिरतान है किन्तु इसके अन्तर्गत खायकर नहीं है, और

(घ) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुये हैं पर जिनकी परिभाषा नहीं दी गयी है, वही अर्थ होगा जो उनको कुमायूं में प्रवृत्ति मालगुजारी अथवा भौमिक अधिकार से सम्बद्ध विधि में दिया गया है ।

काश्तकारों की बेदखली ।

३—इसके विपरीत किसी विधि अथवा रिवाज के होते हुये भी :

(१) कोई काश्तकार अपने खाते (holding) से या उसके किसी भाग से, सिवाय किसी सक्षम (competent) न्यायालय की आज्ञा के, बेदखल नहीं किया जायगा, और

(२) कोई न्यायालय किसी काश्तकार को उसके खाते से या उसके किसी भाग से बेदखल किये जाने की आज्ञा नहीं देगा, सिवाय निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक आधार पर, अर्थात्

(क) कि उस खाते के सम्बन्ध में उसके या उसके स्वत्व के पूर्वाधिकार के विरुद्ध किसी कृषि वर्ग के लिये बकाया लगान की

कोई डिग्री उस वर्ष के समाप्त होने पर बिना भरपाई के रही हो, अथवा

(ख) कि उसने कोई ऐसा कार्य या भूल (ommission) की है जो उसके खातों के अन्तर्गत भूमि के लिये हानिकारक (detrimental) है, अथवा उन प्रयोजनों के असंगत (inconsistent) है जिनके लिये वह भूमि उसे उठायी गयी थी, अथवा

(ग) कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में अपने खातों या उनके किसी भाग को शिकमी पट्टे पर उठा दिया (Sub-let) हो।

काश्तकारों द्वारा शिकमी पट्टे पर उठाना।

४—किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई काश्तकार अपने खाते का सम्पूर्ण या उसका कोई भाग शिकमी पट्टे पर न उठायेगा सिवाय जबकि पट्टा देने वाला (lessor):—

(१) कोई अविवाहिता स्त्री हो, अथवा यदि विवाहिता हो, तो उसे तलाक दे दिया गया हो अथवा अपने पति से पृथक् हो गयी हो या विधवा हो,

(२) अवयस्क (minor) हो जिसका पिता मर गया है,

(३) ऐसा व्यक्ति हो जो किसी मान्यता प्राप्त (recognised) संस्था में अध्ययन कर रहा हो और जो २५ वर्ष से अधिक अवस्था का न हो,

(४) पागल या जड़ (lunatic or idiot) हो,

(५) ऐसा व्यक्ति हो जो अंधेपन अथवा किसी अन्य शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती करने में असमर्थ हो,

(६) संघ की सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर हो, या

(७) तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये कारावास का दंड भोग रहा हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे खाते की दशा में जो एक से अधिक व्यक्ति के अधिकार में संयुक्त रूप से हो, यह अपवाद प्रवृत्त न होगा जब तक कि ऐसे सभी व्यक्ति पट्टे के आरम्भ होने पर उपर्युक्त किसी एक या अन्य अयोग्यता से बाधित न हों।

अवैध रूप से बेदखल करना।

५—(१) यदि कोई क्षेत्रपति (land-holder) तत्सम्बन्धी विधि के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से किसी काश्तकार को उसकी भूमि से बेदखल करता है तो उस क्षेत्रपति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने इंडियन पेनल कोड की धारा ४४१ के अर्थ के अन्तर्गत उक्त काश्तकार को क्लेश पहुंचाने या उसको भय दिखाने के अभिप्राय से (with intent to annoy or intimidate) ऐसा किया है।

(२) यदि कोई व्यक्ति किसी काश्तकार के कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में दंडनीय अनधिकार प्रवेश (criminal trespass) के अपराध में दोषी सिद्ध हो और न्यायालय को यह प्रतीत हो कि काश्तकार इस प्रकार उक्त भूमि से बेदखल हो गया है, तो न्यायालय यदि उचित समझे, ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करते समय या दोष सिद्ध के दिनांक से दो मास के भीतर किसी समय

आज्ञा दे सकता है कि बेदखल किये गये काश्तकार को उक्त भूमि पर फिर से कब्जा दिलाया जाय।

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गयी आज्ञा ऐसी किसी भूमि के या उसमें अधिकार या स्वत्व को बाधित नहीं करेगी जिसे कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में प्रमाणित कर सके।

(४) इस धारा के अधीन आज्ञा किसी अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण न्यायालय (court of appeal, reference or revision) द्वारा दी जा सकती है।

लगान का नकदी में परिवर्तन।

६—(१) यदि काश्तकार द्वारा देय लगान जिन्सी हो (payable in kin) या खड़ी फसल के अनुमान (estimate) या कूत (appraisement) के अनुसार या बोयी हुयी फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः (on his own motion) नियत की जाने वाली रीति और दरों से भूमि की प्रकार को ध्यान में रखते हुए लगान की नकदी में परिवर्तित कर सकता है और उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा या जिसे लगान देय हो, प्रार्थना-पत्र देने पर अवश्य ही ऐसा करेगा।

(२) यदि भूमि पर कोई मालगुजारी निर्धारित न हो, तो उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि की मालगुजारी ऐसी धनराशि समझी जायगी जो असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन, जैसा कि वह उस क्षेत्र पर जहां भूमि स्थित हो प्रवृत्त हो, मालगुजारी के निर्धारण से सम्बद्ध रीति से तथा सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जायगी।

इक्सटेंशन (विस्तार) पर मालगुजारी का निर्धारित किया जाना।

७—(१) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में या तत्सम्बन्धी किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले के अंतिम बंदोबस्त के पश्चात् किये गये किसी "इक्सटेंशन" (विस्तार) पर मालगुजारी निर्धारित की जाय और तत्पश्चात् उसी भूमि पर मालगुजारी निर्धारित की जायगी।

(२) उक्त "इक्सटेंशन" (विस्तार) पर निर्धारित की जाने वाली मालगुजारी का अनुपात (incidence) वही होगा जो कि उस भूमि का हो जिसका कि वह "इक्सटेंशन" (विस्तार) है, और वह उन व्यक्तियों द्वारा देय होगी जिनके द्वारा उस भूमि की मालगुजारी देय है जिसका कि वह "इक्सटेंशन" (विस्तार) है।

(३) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हों, उपधारा (२) के अधीन मालगुजारी के निर्धारण के प्रयोजनों के लिये प्रवृत्त होंगे।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में शब्द "इक्सटेंशन" का वही अर्थ है जो कुमायूं नयाबाद ऐन्ड वेस्ट लैन्ड्स ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ के खंड (२) में उसको दिया गया है।

नियम बनाने का अधिकार।

८—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

उद्देश्य तथा कारण

सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को कुमायूं में प्रवृत्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अधिनियम वर्तमान रूप में तात्विक परिष्कारों के बिना सम्भवतः उस क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता और उस क्षेत्र में भूमि सुधार करने के निमित्त एक नया अधिनियम बनाना पड़ेगा, ऐसे सुधारों को प्रचलित करने के कार्य में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सिरतानों के, जो उस क्षेत्र के किसानों का सबसे कमजोर वर्ग है और जिसके बेदखल किये जाने का भय है, भौमिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये और साथ ही उन एक्सटेंशनों पर, जो पिछले बन्दोबस्त से कृषिक भूमि के क्षेत्र में किये गये हैं, मालगुजारी निर्धारित करने के लिये व्यवस्था की जाय। इस विधेयक का लक्ष्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

चरन सिंह,
माल मंत्री

L. A. M.

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१७१ एल० ए०—१९५४—८५०।